खण्ड-307, अंक-5
बुधवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत् 1896
(12 जून, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 307 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 12 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—388

अंगन लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उफ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदा, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
भूपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश श्री (जिला मि[illegible])
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गजे प्रसाद श्री
[illegible] सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री

गजेंद्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शास्त्री, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोरी शकर (एडवोकेट), श्री
चन्दन सिंह, कामरड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह डाक्टर
चरन दास सेठ, श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया—जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटा धर बाजपेयी, श्री
जनादन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागश्वर, श्री
जितेंद्र कुमार, अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारी देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धमवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह श्री
धीरद्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरद्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पूरन चन्द्र, श्री

पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बजबीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनो बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवती दयाल,श्री
भगवत चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद,
भगवती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भूषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूप सिंह,केन, श्री

भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मंत्री लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह,
महेंद्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेंद्र सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
ममताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
महम्मद मसूद, श्री
महम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रफीउल्ला श्री,

रमा, कुमारी
रमाकांत द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेंद्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रज राज सिंह श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेंद्र कुमार गर्ग, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी डाक्टर
राजेंद्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेंद्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजद्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेंद्र शाह, श्री
राजेंद्र सिंह, श्री
राजद्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कप्टन
रामचन्द बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री

राम रतन सिंह, श्री
राम [illegible] श्री
राम [illegible] श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा [illegible], श्री
राम [illegible] (जिला इटावा)
राम [illegible] (जिला बस्ती)
राम [illegible] श्री
राम [illegible], श्री
राम [illegible], श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धीबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शत रुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री

शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री पाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह श्री
सन्त सिंह यूसुफ श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह श्री
सलाहउद्दीन श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुंजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार 12 जून, 1974

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री शिवराज सिंह, छात्र नेता, शिया कालेज की लखनऊ में हनुमान सेतु पर हत्या

****1—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—**

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि 1 जून, 1974 को लखनऊ में हनुमान सेतु पर स्थानीय शिया कालेज के छात्र नेता श्री शिवराज सिंह को गोली मार कर हत्या कर दी गई? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

दिनांक 31-5-74 को 11-15 बजे रात्रि में श्री [illegible] नायक द्वितीय पी0ए0सी0 वाहनी जो [illegible] (हनुमान सेतु) पर ड्यूटी पर थे, [illegible]

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

में इस आशय की सूचना दी कि एक आदमी ने जो रिक्शे पर बैठा था अपने आप को गोली मार ली और रिक्शे से गिर पड़ा और मौके पर उसकी लाश पड़ी हुई है । उक्त सूचना जनरल डायरी में अंकित होने के उपरान्त स्थानीय पुलिस अधिकारी तुरन्त घटनास्थल पर गये और लाश की शिनाख्त कराने के लिये प्रयास किया । लाश का पंचायतनामा तैयार किया गया और लाश को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु मेडिकल कालेज भेजा गया जहां दिनांक 1-6-74 को मृतक के माता पिता ने लाश को देखकर पहचाना और तस्दीक की कि लाश उनके पुत्र सुर राज सिंह, जो शिया कालेज यूनियन के अध्यक्ष थे, की थी ।

मृतक की लाश के पास घटनास्थल पर देशी एक नाली पिस्तौल पाया गया था जिसके चैम्बर में 455 बोर की एक चली हुई गोली पाई गई थी ।

दिनांक 1-8-74 से इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । अब तक की जांच से किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है ।

श्री सत्य प्रकाश--

मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या छात्र के किसी मित्र अथवा किसी संबंधी ने रिपोर्ट इस सिलसिले में लिखाई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर किसी भी मित्र या रिश्तेदार ने इस सिलसिले में रिपोर्ट नहीं लिखाई लेकिन विद्यार्थियों के प्रतिनितियों ने मेरे पास एक आवेदन-पत्र दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस क्राइम की जांच सी0बी0आई0 के द्वारा कराई जाय । सम्भवतः सी0बी0आई0 प्रदेश सरकार के लिखने पर कह दे कि इसकी जांच अपनी अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराइये क्योंकि मृतक की घटना स्थल से लगभग 12-15 फीट की दूरी पर सिपाही मौजूद थे । पुलिस का कहना है कि रिक्शा चालक तथा मृतक के अलावा वहां कोई दूसरा आदमी नहीं था । फिर भी हमने विद्यार्थियों और उनके मित्र तथा प्रतिनिधियों के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है कि बड़ी कृपा होगी यदि आप अपनी अपराध अनुसंधान शाखा सी0बी0 आई0 द्वारा इसकी जांच करा लें ।

श्री सत्य प्रकाश--

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट अभी आई है कि नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आ गई है ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट मार्टम के आधार पर छात्र को गोली कहां लगी । रिक्शा चालक तथा मृतक छात्र कहां के रहने वाले हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

रिक्शा चालक 8-9 महीने से यहां आया था जो कि बहराइच जिले में प्रयागपुर का रहने वाला है । जहां तक विद्यार्थी के जिले का ताल्लुक है उसके माता पिता डालीगंज में रह रहे थे। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि उसके गोली कनपटी में एक लगकर दूसरी तरफ निकल गई । उसके गिरने से हाथ में भी खरोंच आ गई थी।

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)—

घटना होने के कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और हत्या किये गये पिस्तौल को पुलिस अधिकारियों ने बिना कपड़े के लगाये ल परवाही से उठाया था । जिससे उस पर उनके फिंगर प्रिंट आ गये थे । तो जब इस प्रकार हत्या का मामला था तो पुलिस अधिकारियों को उस पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिये था और पिस्तौल को कपड़ा लगाकर उठाना चाहिये थ। ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि किस स्थिति में उसको उठाया गया । लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह सारी चीजें अपराध अनुसंधान शाखा या अगर सी0बी0 आई0 ने स्वीकार कर लिया तो उनके द्वारा मालूम हो जायेगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस पिस्तौल से कारतूस चलाया गया था क्या उसको कैमीकल एग्जामिनर के पास भेजा गया है ? अ.र हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अभी रिपोर्ट कोई नहीं आई है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सामान्य पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट हत्या के कितने दिनों के अन्दर आ जाती है और इस मृतक के संबंध में कितने दिनों के बाद पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मिली

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दूसरे दिन।

तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर के नैबारी भरहरी, जुगैल, तथा ओवरा मार्ग का सुधार

*1—श्री शिव सम्पत्ति (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष नेवारी, भरहरी, जुगैल, ओवरा मार्ग (मिर्जापुर) को यातायात के लिये सुगम बनाने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी नहीं ।

प्रश्न गत मार्ग के निर्माण व सुधार की कोई योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

श्री शिव सम्पत्ति—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र चोपन के पश्चिम मध्य प्रदेश की सीमा पर रेणु नदी के पार है । वहां कोई यातायात के साधन नहीं है ? यदि हां, तो इस वर्ष की नई योजना में इसे प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं । धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

श्री सूबेदार (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां पर उस पार के लोगों को जो बाकी हिस्से से अलग हो गये हैं और कहते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाय क्योंकि वहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं और पिछड़ा हुआ इलाका है, क्या नई योजना के अन्तर्गत सड़क बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन् जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सत्य ही होगा, लेकिन जैसे ही धन उपलब्ध होगा तब इस पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी अपने सन् 71 के घोषणा-पत्र को ध्यान में रखकर जिसमें यह कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में हर गांव को सड़क से मिला दिया जायेगा और उत्तर प्रदेश में विशेषकर उनकी कठिनाइयों को देखते हुए कि आवागमन के साधन बहुत कम है, क्या कोई विशेष प्रकार की योजना इस प्रदेश के प्रत्येक गांवों को सड़क से मिलाने के लिये बनायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

अभी तक गांवों को मिलाने की कोई योजना नहीं है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताने का कष्ट करें कि सदन में बहिर्गमन संसदीय प्रणाली है या असंसदीय प्रणाली है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी इसका समय नहीं है ।

*2—श्री कल्याण सिंह, श्री हर प्रताप सिंह तथा श्री अठई राम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला फतेहपुर के ग्राम घोरहा तथा शिवपुरी के मध्य और ग्राम भारतपुर में रिन्द नदी पर पुल निर्माण की योजना

*3—श्री प्रेमदत्त (जिला (फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम घोरहा, विकास खंड देमई, जिला फतेहपुर और ग्राम शिवपुरी व सहिमल पुर, विकास खंड अमौली, जिला फतेहपुर के बीच रिन्द नदी के दोनों तरफ सड़क जहां से हजारों व्यक्तियों को रोज नदी पार करके जाना पड़ता है ? में पक्के पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण हो जावेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*4—श्री प्रेमदत्त (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमौली-सहिवाजपुर रोड विकास खंड खजुहा, जिला फतेहपुर में भारतपुर ग्राम में रिन्द नदी के पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती की बांसी डुमरियागंज सड़कों को पक्का बनाने की योजना

*5—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में बांसी डुमरियागंज सड़क जो बहुत ही चालू सड़क है, को पक्की बनाने की सरकार की जो योजना थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं । योजना समाप्त नहीं हुई है ।

आई० टी० आई० में सेवारत अनुदेशकों की छटनी

*6—श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1972, 7 दिसम्बर, 1973 तथा दिनांक 29 मार्च, 1974 को भेजे हुए ऐसे पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें प्रदेश के आई0 टी0 आई0 में सेवारत अनुदेशकों की दिनांक 5 मई, 1968 को सामान्य छटनी होने के कारण जो छटनी की गई और तत्पश्चात् छांटे गये अनुदेशकों की जो पुनः नियुक्तियां की गई है, उनमें पक्षपात और अनियमितता की गई है । यदि हां, तो उन पत्रों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुए थे । जिन पर कार्यवाही की गई और यह पता चला कि इस संबंध में कोई पक्षपात और अनियमितता नहीं हुई ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री पुनः इस बात की जांच करायेंगे कि उनके कार्यालय में जिन-जिन तिथियों का उल्लेख है, उनमें बराबर पत्र दिये गये और इस छटनी में जो घोर अनियमिततायें हुई हैं उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने कहा कि कोई अनियमिततायें नहीं हुई । इसलिये पुनः जांच कराने का प्रश्न नहीं है ।

श्री भगवती सिंह बिशारद—

जो तालिका में सूचना दी गयी है अगर उसको देखें तो ज्ञात होगा कि अन्ट्रेण्ड लोग काम कर रहे हैं और ट्रेंड लोगों को निकाल दिया गया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं माननीय सदस्य से बड़ी नम्रता से कहूंगा कि उन्होंने तालिका को नहीं देखा है । सी० टी० आई० ट्रेंड नहीं हैं । बाकी लोग ट्रेंड थे ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों की छटनी की गयी थी और उनमें से पुनः कितने नियुक्त किये गये और नियुक्ति का आधार क्या था ?

श्री राम सेवक यादव--

छंटनी का भी आधार बतला दें।

श्री राजमंगल पांडेय--

142 लोगों की छटनी हुई थी । कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी हैं जैसे इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रो-प्लेटिंग, अपहोल्स्ट्री, मोल्डिंग, काष्ट कला, ब्लैक स्मिथ जिनमें पहले तो विद्यार्थी आते हैं लेकिन जब उनका रेवेन्यू कम हो गया तो विद्यार्थियों ने उनमें प्रवेश लेना बन्द करा दिया । यह स्वाभाविक था कि उन विभागों में इंस्ट्रक्टर्स की छटनी की जाती । जसे-जैसे दूसरे विभागों में जगह होती गयी तो उन लोग को जगह दे दी गयी ।

श्री रामसेवक यादव--

142 लोगों की छंटनी हुई । उनमें से वापस किस-किस को लिया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मेरी इत्तिला है कि बाद में सब के सब काम पर ले लिये गये ।

डेरापुर तहसील, जिला कानपुर में लिफ्ट सिंचाई तथा राजकीय नलकूपों का सर्वेक्षण

7--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में लिफ्ट सिंचाई और राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में गत वर्ष सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि, हां तो इन सर्वेक्षण कार्यों में अलग-अलग अब तक क्या कार्य हुये और उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो बिलम्ब किये जाने का क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

सर्वेक्षण के पश्चात् इस तहसील में सिंचाई योजना के अन्तर्गत एक 35 क्यूसेक्स क्षमता की भोजपुर, सनियापुर नामक पम्प नहर का निर्माण विचाराधीन है । यदि यह आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पायी गयी तो इसे पंचम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जायगा ।

जहां तक राजकीय नलकूपों का संबंध है, इस तहसील के निम्न तीन ग्रामों में राजकीय नल-कूप का निर्माण संभव पाया गया :--

(1) सरगांव बुजुर्ग प्रथम
(2) सरगांव बुजुर्ग द्वितीय
(3) गढ़ेवा

प्रश्न तृतीया का भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भोजपुर संधियापुर पम्प नहर किन-किन गांवों से निकलेगा, इसकी लम्बाई कितनी है, कितने एकड़ जमीन की सिंचाई इससे होगी ?

श्री अध्यक्ष---

कितने एकड़ की सिंचाई होगी, यह जबाव सम्भव है, कितने गांव से होकर निकलेगी, यह जवाव सम्भव नहीं है ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

यह नहर ग्राम संधियापुर-भोजपुर और बलाई बुजुर्ग और सुरगांव से होकर जायेगी।

चौधरी रामसिंह यादव---

इसकी लम्बाई क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

लम्बाई क्या है, यह मालूम नहीं लेकिन यह ज्ञात है कि इससे 7 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बात को ध्यान में रखकर कि डेरापुर क्षेत्र में सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, एक भी राजकीय नलकूप वहां नहीं लगा, क्या वहां राजकीय नलकप की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इस विषय में मैंने अर्ज किया कि नलकूप लगाने के बारे में सरकार नहीं तय करती, बल्कि उसके लिये जिले में एक उद्यम समिति होती है, कि किस जिले में कहां राजकीय नलकूप लगाये जायं ।

कानपुर के डेरापुर तहसील के डब्बू झाबर के जल निकासी हेतु नाले का निर्माण

*8---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के डब्बू झाबर के जल निकासी हेतु एक नाले के निर्माण के सम्बन्ध में शासन की ओर से प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से वर्ष 1973 के आरम्भ में आख्या मांगी गई है ? यदि हां, तो इस नाले के निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता की क्या आख्या आई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी हां। डब्बू झाबर से जल निकासी के लिये एक नाले के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । यह काम भूमि लिये जाने पर ही प्रारम्भ होगा।

चौधरी रामपाल सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नाले की लम्बाई कितनी है और यह किन-किन गांवों से होकर निकलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

किन-किन गांवों से होकर निकलेगा, इसको तो माननीय सदस्य जानते ही हैं इसलिये वह जिस बात को नहीं जानते हैं, उसके बारे में प्रश्न करें।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

इस नाले के लिये भूमि-अर्जन हेतु क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहम्मद महमद अली खां—

उसके लिये जो जरूरी कार्यवाही होती है, हो रही है।

फैजाबाद जिले के ग्राम बबुआपुर तथा एमोआलापुर में सरकारी नलकूप लगाये जाने की स्कीम

*9—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की सदर तहसील के बबुआपुर तथा एमोआलापुर ग्रामों में ट्यूबवेल सरकार द्वारा लगाये जाने की कोई स्कीम है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमद अली खां—

केवल ग्राम एमोआलापुर में सरकारी नलकूप लगाये जाने की स्कीम है। ग्राम बबुआपुर में सरकारी नलकूप बनाने की कोई स्कीम नहीं है।

सुल्तानपुर नगर के गोला घाट पर नया पुल बनवाना

*10—डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सुल्तानपुर नगर के गोलाघाट पर स्थित, गोमती नदी के पुल का जीवन समाप्त हो गया है तथा वह यातायात योग्य नहीं रह गया है और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल को फिर से बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

पुल का जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रश्नगत पुल केवल 5 टन तक भार वाली हल्की गाड़ियों के यातायात के लिये सुरक्षित है। धनाभाव के कारण इस समय नये पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस पुल पर केवल 5 टन तक की हल्की गाड़ियां चल सकती हैं। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण पुल है। इस पर इलाहाबाद से गोरखपुर, बलरामपुर, बस्ती, लखनऊ बलिया और आजमगढ़ की लगभग 15–20 बसें रोज चलती हैं और इतने ही ट्रक चलते होंगे। बरसात के दिनों में केवल पैदल यात्रियों को ही जाने दिया जाता है। अगर पुल का जीवन समाप्त नहीं होता, तो 5 टन का प्रतिबन्ध क्यों लगता। कोई भी बड़ा पुल 5 टन की गाड़ियों के लिये नहीं बनाया जाता। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक विभाग से या प्रादेशिक स्तर से कोई सूचना नहीं हुई कि इस पुल को खतरा है और इसका जीवन समाप्त हो गया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, उक्त पुल जब बना था, तब वह 5 टन की भार वाली गाड़ियों के लिये ही बना था। इस वक्त उस पर ज्यादा भार की गाड़ियां चल रही हैं। उनके लिये दोनों तरफ गति-अवरोधक बना दिये गये हैं। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया धन की कमी के कारण इस समय संभव नहीं है। वित्तीय सहायता के लिये सेतु निगम भी है लेकिन इस पुल के लिये वहां से भी पैसा उपलब्ध नहीं हो सकता। इस पुल से बिना किसी कर के जनता को सुविधा मिल रही है। अब अगर पुल को तोड़ कर दूसरा पुल बनाया जायगा तो टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता और धन मिलना इस सेतु निगम से भी संभव नहीं है। जैसे ही धन उपलब्ध हो जायगा उसके निर्माण पर विचार किया जायगा।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी धनाभाव के कारण हजारों नागरिकों के जीवन को रोज खतरे में डालना पसन्द करते हैं। उत्तर में बताया कि 5 टन की हल्की गाड़ियों के लिये यह पुल सुरक्षित है लेकिन मुझे ऐसा आभास होता है कि 5 टन की हल्की गाड़ियों के लिये पुल नहीं बनाया गया था बल्कि इसकी जीर्णावस्था को देखकर 5 टन की हलकी गाड़ियों के लिये यह सुरक्षित कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव—

इस पुल की जीवनावधि समाप्त होने की क्या सीमा है और क्या मंत्रालय के विचाराधीन यह प्रश्न है कि जीवनावधि समाप्त होने वाली है तो उसकी प्राथमिकता देकर इसका निर्माण किया जाय ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इसके लिये सूचना चाहिये कि जीवनावधि कब तक समाप्त होने वाली है लेकिन जिसकी दशा ऐसी हो जाती है तो उसको प्राथमिकता दी ही जाती है।

उच्च न्यायालय की नयी बेंच खोलना

***11—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—**

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय की कोई नई बेंच खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस स्थान पर तथा कब से ?

श्री राज मंगल पांडेय—

शासन इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, अर्थात् यह कि कोई नई बेंच खोली भी जाय अथवा नहीं, व यदि खोली जाय तो एक या अधिक स्थानों में, व कहां-कहां व कब से खोली जाय।

सफदरगंज बदोसराय (बराबंकी) सड़क का निर्माण

***12—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले की निर्माणाधीन सड़क सफदरगंज से बदो सराय पर अब तक कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है ? क्या शासन को जानकारी है कि सड़क हेतु खरीदे गये ईटों की व्यापक चोरी हो रही है ? यदि हां, तो चोरी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इस मार्ग पर मार्च 1974 तक 7,87,468.16 रुपये व्यय हो चुके हैं। इस मार्ग पर विभाग द्वारा खरीदी गई ईंटों की कोई चोरी नहीं हो रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इस सड़क को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है और इस समय इस सड़क का निर्माण किस स्तर पर चल रहा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

आशा है कि यह कार्य मार्च, 75 तक पूर्ण हो जायगा।

श्री राम सेवक यादव--

इसके पूरा करने के लिये कोई निश्चित अवधि थी तो वह अवधि क्या है और क्या उस अवधि के अनुसार कार्य हो रहा है ? कार्य किस स्तर पर चल रहा है और अगर कार्य अवधि के पीछे है तो उसका कारण क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जून, 75 तक पूर्ण होना निश्चित था। कार्य भी प्रगति पर है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इस सड़क पर ईंटों की बड़ी चोरी हो रही है क्या सरकार उसकी जांच करायेगी और क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वहां डेलीवेजेज पर जो मजदूर काम करते हैं उनको निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है और क्या ओवरसियर के खिलाफ ऐसी शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मजदूरी के बारे में....

श्री अध्यक्ष--

वे ईंटों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

वहां पर ढेर के ढेर ईंटें चोरी हो रहे और आजकल वहां की जनता में यह चर्चा का बिषय बन गया है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर मेरी जानकारी में तो नहीं है। माननीय सदस्य लिखकर दे दें मैं बाकायदा जांच करवा लूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं मिला मैंने डेली वेजेज के बारे में पूछा था।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह तो दिया आप लिखकर दे दें वे देख लेंगे।

बांदा में लिफ्ट सिंचाई योजना

*13--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के विकास खंड, जसपुरा में बहने वाली दो बड़ी नदियों के जल से कोई लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना इस पिछड़े तिरहार क्षेत्र में लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

पंचम पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार की कोई प्रायोजना अभी तक सम्मिलित नहीं की गयी है।

*14--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बांदा जिले में कितनी लिफ्ट इरीगेशन योजनायें चल रही हैं, कितनी पूरी हैं, जो कार्य कर रही हैं और कितनी अधूरी हैं तथा वित्तीय वर्ष 1974-75 में कहां-कहां लिफ्ट सिंचाई योजना लगाने का विचार किया गया है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

6 विद्युत् पम्प नहरें सिंचाई कर रही हैं तथा 5 विद्युत् पम्प नहरों पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1974-75 में नई योजना के अन्तर्गत औगासी विद्युत् पम्प नहर भारत सरकार की डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाने पर विचार हो रहा है।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

मन्त्री जी किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पढ़ लें।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के विकास खंड जसपुरा में बहने वाली दो बड़ी नदियों के जल से कोई लिफ्ट इरीगेशन की योजना इस पिछड़े तिरहार क्षेत्र में लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उसका ही तो जवाब दे चुका हूं।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि बांदा जिले की केन नदी के पश्चिमी इलाके में 70 गांव आते हैं। क्या उस इलाके के लिए कोई सिंचाई की योजना बनाई गई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह तो और ही प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका नया प्रश्न है।

श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जसपुरा ब्लाक जिला बांदा में भोरा नाम से एक लिफ्ट की योजना मंजूर की गई है, उसका क्या हुआ ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जसपुरा ब्लाक में नारायण, राजपुर, बढ़ेरा आदि गांव हैं जहां विद्युत् नहर है उससे इन गांवों को फायदा पहुंचेगा ।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार---

मान्यवर, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर विकास खंड जसपुरा में कोई योजना नहीं है ।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने कहा कि वहां पर एक विद्युत् नहर है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विद्युत् नहर कैसी है और उससे कैसे सिंचाई होगी ? क्या यह कोई नई नहर निकाली गई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मैं आप से अर्ज करूं कि विद्युत् नहर पम्प नहर होती है, जिससे बिजली से पानी उठाकर सिंचाई होती है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1974-75 में आपकी कौन-कौन सी योजनाये विचाराधीन हैं और कब से उनका कार्यान्वयन होना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इसमें दो योजनायें हैं । एक तो केन नदी को भोरा तक पानी लाने की योजना है, इससे विकास खंड जसपुरा के लोगों को लाभ होगा ।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार---

माननीय मंत्री जी सूचना दे रहे है, वह बिलकुल गलत है ? मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज तक उस पिछड़े क्षेत्र में इस प्रकार की कोई योजना लागू नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो वह स्वयं कह रहे हैं कि वह विचाराधीन है ।

छोटी गंडक नदी के घाटों पर पक्के पुल बनवाने की योजना

*15---श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या देवरिया और गोरखपुर जिलों की लगभग 40 मील लम्बी सीमा बनाने वाली नदी छोटी गंडक के प्रमुख एवं व्यवसायी नगरों को मिलाने वाले मार्गों पर कप्तानगंज घाट घुघली (ढोढिया) घाट, बेलवाघाट और गुलीघाट पर पक्के पुल बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

प्रश्नगत घाटों पर पक्के पुल बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

श्री श्रीनारायण--

गोरखपुर के बार्डर पर छोटी गण्डक नदी बहती है, जो 40 मील लम्बी सीमा बनाती है, तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है किन्तु इस 40 मील लम्बी सीमा पर कोई पुल नहीं है। तो क्या सरकार इसे बनाने का विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण स्थान पर घुघुली घाट, बेलवाघाट और गुलीघाट पर कोई भी पुल नहीं है, जबकि बेलवा घाट पर पुल के लिये लोगों ने 1 लाख रुपया भी जमा कर दिया है? यह सबसे छोटी दूरी की, सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जिसके दोनों ओर पी0 डब्लू0 डी0 की पक्की सड़कें बनी हैं, तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस घुघुली घाट पर ही कम से कम शीघ्र पुल बनवाने को प्राथमिकता देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

एक लाख रुपया वहां एकत्र है, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है और इस पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दी जाये, यह धन की उपलब्धि पर मुनहसिर करता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घुघुली घाट पर पुल बन सके तो उस पर टोल टैक्स लग सकता है, तो क्या उसको बनवाकर टोल-टैक्स लगाने की वह कृपा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर पुल बनवा कर टोल टैक्स लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसका जवाब आपके पास है ? कह चुके हैं। फिर दोहरा दीजिये।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

माननीय सदस्य ने टोल टैक्स के हिसाब से पुल निर्माण की बात कही है, उसको हम दिखवा लेंगे। कह नहीं सकता।

एक सदस्य--

कृपा कर एक बार पूछने दीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री....

श्री अध्यक्ष--

जो खड़े हो जायेंगे बोलेंगे नहीं, उनको मैं इजाजत दूंगा और जो खड़े होकर बोलने लगेंगे उनको मैं समय नहीं दूंगा।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)--

मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि हर सवाल पर उनका धनाभाव चलता है, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग है, बजट भाषण में लिखा है कि 30 पुलों के निर्माण को पूरा करने का प्रस्ताव है, इसमें महत्वपूर्ण यह पुल है और ऊदल जी ने कहा कि पुल बनवा कर टोल टैक्स लगा दिया जाय, तो 30 में से एक पुल यह भी ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह सुझाव आपका है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं । जो खड़े होंगे उनको इजाजत दूंगा । आप बोलने क्यों लगते हैं ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि गोरखपुर और देवरिया की जिस सड़क की बात चर्चा में आ रही है, गोरखपुर एअरवेज भी है, क्या सामरिक या विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस सड़क पर पुल बनाने की बात कही गयी है इस साल पुल को लेने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह बार-बार वही आग्रह कर रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि जो बड़ी नारायणी नदी जिससे गंडक नहर निकली है उस नारायणी नदी और बांसी नदी के अन्तराल में कोई पुल नहीं है, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने शासन को लिखा है कि बांसी और नारायणी के बीच में पुल होना आवश्यक है, वहां तीन लाख लोगों का जीवन प्रति वर्ष संकट में पड़ता है, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने लिखा है कि बांसी और नारायणी नदी के अन्तराल में जटहा और अरनहवा के बीच में तीन लाख लोग संकटग्रस्त रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है लेकिन इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि आपके पास धनाभाव है, जब बन निगम और पर्वतीय निगम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है तो आपके विभाग में धनाभाव क्यों है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपकी राय है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है कि बेलवाघाट पर पुल बनाने की योजना पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है उसकी जगह पर ढुंढलाघाट पर पुल जिसका इतना महत्व है, और उसका इसलिए औचित्य है कि किसानों ने पैसा जमा किया है केन प्राइस कटा कर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पुल को प्राथमिकता देंगे जिसके लिए किसान और भी पैसा देने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यही सवाल बार-बार आता है ।

*16--श्री मलखान सिंह--

[3 रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

जिला मिर्जापुर के कौन विढन्मगंज कोटा सड़क निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*17--श्री सूबेदार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के कौन विन्ढमगंज कोटा सड़क के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के लिए क्या प्रश्नकर्ता ने दिसम्बर, 1973 में सरकार को कोई शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

श्री सूबेदार--

भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वह पढ़कर सुनाएंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

आरोप है घटिया किस्म का सामान लगवाना, ठेकेदार से मिलकर पैसे खाना, मस्टर रोल गलत रखना तथा मेट के सहारे काम करवाना और स्वयं न जाना इत्यादि ।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सात महीने हो गये हैं तो जांच की प्रगति क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन् जी, जांच के लिए भेजा गया है । कई बार लिखा गया है । अभी रिपोर्ट नहीं आई है । इसके लिए प्रयास किया जायेगा कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाय ।

श्री रामसेवक यादव--

मैं यह जानना चाहूंगा कि किसके खिलाफ शिकायत है और किसके द्वारा जांच हो रही है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

श्रीमन्, जूनियर इंजीनियर श्री अभयचन्द राय के खिलाफ शिकायत है और वाराणसी के एस० ई० जांच कर रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब कई मर्तबा के लिखने पर भी जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है तो आज्ञा उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कायवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

आज्ञा के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है । जांच के लिए भेजा है । रिपोर्ट आ रही होगी ।

श्री प्रभूनारायण (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रिलिमनरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है या नहीं और असिस्टेंट इंजीनियर को वहीं रखा गया है या उसको हटा कर जांच हो रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमन्, प्रिलिमनरी रिपोर्ट नहीं आई है। वह असिस्टेंट इंजीनियर न होकर जूनियर इंजीनियर है और उसका तबादला हो गया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रिपोर्ट कार द्वारा या ट्रेन द्वारा आ रही है? 7 महीने हो गये हैं रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमन् जी, यही कह सकता हूं कि जल्द से जल्द मंगाने का प्रयास करूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जल्द से जल्द के क्या माने हैं। क्या मन्त्री जी ने दो आदेश दे रखे हैं कि जांच की जाय और रिपोर्ट न भेजी जाय?

श्री अध्यक्ष—

यह काल्पनिक प्रश्न है।

बिन्दकगंज कोटा सड़क हेतु किसानों से ली गयी भूमि का मुआवजा

*18—श्री सूबेदार—

क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विन्दकगंज कोटा सड़क में किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा कब दिया जायगा?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

भूमि अध्यापित के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। मुआवजा देने की कार्यवाही भूमि अध्यापित के आदेश हो जाने के बाद ही की जा सकेगी।

श्री सूबेदार—

(माइक पर आवाज नहीं आई।)

श्री अध्यक्ष—

हमारे रिपोर्टर्स लिख नहीं पाये। इसलिए संक्षेप में दुहरा दीजिए।

श्री सूबेदार—

अभी तक भूमि के आवंटन का प्रस्ताव क्यों नहीं आया? जिन अधिकारियों ने प्रस्ताव नहीं भेजा क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

भूमि अध्याप्ति की सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है उसके बाद मुआवजा देने की बात है। इसमें जो देरी हुई है इसको मैं जरूर दिखवा लूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

अध्यक्ष जी, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी नहीं हुई। तो इस बात को सही मानकर कि सड़क बन गयी है और अभी उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो उस में कौन अधिकारी दोषी हैं इस बात की जानकारी देंगे?

श्री अध्यक्ष--

सड़क बन गई है ।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

हमने पहले ही निवेदन किया है कि हम उसकी जांच करा लेंगे । जरूर करा लेंगे और उस पर जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ऊदल--

नियम है कि बिना भमि अधिग्रहण किए हुए भमि नहीं ली जानी चाहिए । धारा 4 की कार्यवाही करने के बाद ही भूमि अधिग्रहण होता है । माननीय मन्त्री जी का उत्तर है कि भूमि अधिग्रहण की कायवाही अब हो रही है तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए और उनको बिना मुआवजा दिए हुए सड़क क ों बनायी गयी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जहां सड़क आवश्यक है और वहां के लोग चाहते हैं कि सड़क बन जाये तो सड़क बना दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

एक बार यह प्रश्न उठा था और वह मामला याचिका समिति में भी आया था । उसमें गवाही जसे सेक्रेटरी वगैरह की ली गयी थी । तो काम आगे चले । ऐसा कुछ हुआ था उस याचिका में कि काम रुके नहीं । अगर लोग चाहते हैं तो वहां सड़क बन जाती है और कार्यवाही होती रहती है ।

श्री प्रभु नारायण--

नये कानून के मुताबिक जिस जमीन पर सरकार का कब्जा हो जाये उस पर सरकार को कब्जा मिले तो उसका 2/3 मुआवजा देने का निर्णय नये कानून में है । तो यह क्यों नहीं हुआ ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

इसे भी मान्यवर दिखवा लूंगा ।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, 2/3 का कानून अभी बना है । जो यहां सड़क बन गयी है और किसानों को इतने दिनों से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है त इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री लक्ष्मीशंकर यादव के हाथ से इशारा करने पर) आपको पता नहीं है । तो सड़क बन चुकी है । श्री यादव का कहना है कि वस्तुत: सड़क बन गयी है, लेकिन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ? क्या कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

श्रीमान जी, वैसे जहां तक सड़क बनती है और जिसका भी खेत जाता है, जिस किसान का वैसे हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिल सके । क्योंकि उनकी जमीन गई । इस मामले में जैसा माननीय सदस्य ने कहा उसे तो हम दिखवा लेंगे । ऐसा भी प्रयास करेंगे कि अगर कोई अडचन हो तो उसको भी देख लेंगे ।

बजाज स्कूटर तथा अम्बेसडर व फीएट कारों का आवंटन

*19—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "बजाज" स्कूटर का आवंटन दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 तक कितने लोगों को किया गया ? क्या यह सच है कि "बजाज स्कूटर" अम्बेसडर व फीएट कारें, जो मार्च माह के कोटे में थीं, उनमें से कुछ का आवंटन फरवरी माह में किया ? यदि हां , तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय—

175 व्यक्तियों को ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आवंटन के लिए कोटा तिमाहीवार उपलब्ध होता है, न कि प्रत्येक माह के लिए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, तिमाही के लिए किस आधार पर आवंटन करते हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, असल में यह तो कोटा है डिस्क्रेशनरी । जो आवेदन दिया जाता है उसका सोशल स्टेटस, पोलिटिकल स्टेटस और उसकी कितनी अर्जेन्सी है । यह आधार है देने का ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, इसका अध्ययन कैसे करेंगे कि आवश्यकता किसकी ज्यादा है ?

श्री तीरथ राम कोहली—

मान्यवर, एक गवर्नमेंट के जी0 ओ0 के अनुसार एक कमेटी बनी थी और मन्त्री महोदय ने उस कमेटी को भंग कर दिया है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी, हां ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कोटा प्रदेश को मिला उसमें से कितने लम्ब्रेटा, बजाज कसिया क्षेत्र को मिला ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इसका कोई रिकार्ड तो नहीं है । माननीय सदस्य को कोई चिन्ता की बात नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम (देवरिया)—

मान्यवर, मेरे पड़ोस रामकोला में गोविन्दराम, संतराम को कितने स्कूटर आबंटित किए गए हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

एक भगवान राम को अवश्य स्कूटर दिया गया है ।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 तक विधायक और एम0 एल0 सी0 की कितनी दरख्वास्तें आयीं और कितनी दरख्वास्तें बाहरी लोगों की आयीं ।

श्री अध्यक्ष--

यह विस्तार का प्रश्न है। इसको अलग से पूछ लें, जवाब दे दिया जायगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, प्रश्न 30 में यह प्रश्न है और सारी सूची उसमें दी हुई है। माननीय सदस्य कृपा करके उसको देख सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र देवरिया पाण्डे ग्राम में कितने स्कूटर इन्होंने दिये हैं।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

एक भी नहीं।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो देवरिया जिले के चुनाव अधिकारी थे उनको स्कूटर दिया गया ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

कोई स्कूटर नहीं दिया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी के समय में हाउस की एक एलाटमेंट कमेटी बनी थी। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे उस कमेटी ने कितने स्कूटर और मोटर एलाट किए और आपने कितने एलाट किए हैं और उस कमेटी की कार्यवाही क्या है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

श्रीमन्, ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न का उत्तर पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करते तो शायद यह प्रश्न उन्होंने न पूछा होता।

श्री सत्य प्रकाश--

क्या माननीय मन्त्री जी आबंटन के लिए कोई नयी पद्धति अपनायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस कार्य के लिए एक कमेटी बनी थी लेकिन माननीय सदस्यों को इतना रोष था और वे कहते थे कि डिपार्टमेंट के जो क्लर्क्स वगैरह हैं वे धांधली करते थे। इसलिए उनके अनुरोध पर ही उसे सस्पेन्ड कर दिया गया। आज भी यदि 10 परसेंट सदस्य यह कह दें कि उस कमेटी को रिवाइज कर दिया जाय तो मुझे कोई एतराज न होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी के समय में कमेटी बनी थी, उसकी क्या-क्या कार्यवाहियां हैं?

श्री अध्यक्ष--

यह एक व्यापक प्रश्न है, आप अलग से प्रश्न करके पूछ सकते हैं ?

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो स्कूटर्स और फिएट कारों के आबंटन करने में जिस अरजेन्सी और सोशल स्टेटस की बात कही, उसको नापने का उनका माप दंड क्या है ?

श्री र जमंगल पांडेय--

मैंने अपने उत्तर में अभी बताया कि आवंटन के आधार 3 चीजें हैं, एक तो उस इन्सान का सोशल स्टेटस, पोलिटिकल स्टेटस और उसकी अरजेन्सी। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन कर दूं माननीय सदस्य लटूरी सिंह हैं। उन्होंने बताया कि उनको 20 गोलियां लगी हैं, वे सौभाग्य से किसी प्रकार बच गये, तो जिस आदमी को मैंने पहले प्राथमिकता दी थी, उसको काट कर उन्हें प्राथमिकता दी। तो जैसा मैंने निवेदन किया स्कूटर के आवंटन में प्राथमिकता देने के लिए 3 चीजें हैं, अरजेन्सी, सोशल स्टेटस, और पोलिटिकल स्टेटस।

बस्ती जिले के ब्लाक मिठवल में पथरातल राप्ती की बाढ़ के पानी को रोकने हेतु बांध

*20--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला बस्ती ब्लाक मिठवल में पथरातल में राप्ती नदी से बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी आता है जो ताल से निकल कर लगभग 300 ग्रामों की कई हजार एकड़ की फसल डुबोकर नष्ट कर देता है? यदि हां, तो क्या राप्ती नदी का पानी उपरोक्त ताल में आने से रोकने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां। यह बहुत हद तक ठीक है और अभी स्थिति को रोकने के लिए बांध बनाने के लिए जरूरी कार्यवाही की जा रही है।

*21--श्री हिम्मत सिंह--

[3रे सोमवार में तारांकित प्र0 3 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

*22--श्री ऊदल--

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

*23--श्री मोतीलाल देहलवी--

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

आर० टी० ओ० लखनऊ रीजन की पोस्टिंग

*24--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आर0 टी0 ओ0, लखनऊ रीजन कितने समय से लखनऊ में इस पद पर कार्य कर रहे हैं तथा इसी परिवहन विभाग लखनऊ में उनकी पोस्टिंग कितनी बार और कितने समय के लिए हुई?

श्री राजमंगल पांडेय--

25-8-69 से,

परिवहन विभाग लखनऊ में उनकी पोस्टिंग के विवरण निम्नवत् हैं:--

(1)	25-8-50 से 12-5-55 तक	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ।
(2)	6-8-63 से 24-9-66 तक	सहायक परिवहन आयुक्त मुख्यालय।
(3)	13-6-68 से 5-7-69 तक	

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुंवर श्री पाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये आर० टी० ओ० साहब बराबर लखनऊ में ही क्यों रह रहे हैं। उनके बराबर यहां पर ही रहने के क्या कारण हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं तो नवम्बर, 1973 में आया हूं, ये 1955 से रह रहे हैं, इसका उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन यह जरूर है कि जो अधिकारी इतना संतोषजनक कार्य कर रहा हो कि यहां पर दो विभाग हैं। एक तो आर० टी० ओ० का दूसरा ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर का। अगर एक अधिकारी को ए० आर० टी० ओ० से हटाना चाहते हैं और ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर अगर अलग-अलग विभागों में हो तो वह नहीं रह सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह बड़े कुशल हैं तो क्या इस नीति में ऐसा परिवर्तन करेंगे माननीय मन्त्री जी कि उनकी कार्यकुशलता और दक्षता का लाभ किसी दूसरे स्थान को भी मिले ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने कहा कि उनकी अच्छाई का जो मेजरमेंट होगा यह तो जो ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर है वह करे या जो विभाग के ऊंचे अधिकारी ह वह करे। अगर उससे भी अच्छी जगह के लिए उपयोगिता होगी तो अवश्य किया जायगा। लेकिन मैं यह सूचना दे दूं कि "ही इज अंडर ट्रांसफर"।

जिला सीतापुर में जहांगीराबाद स्थित केवानी नदी पर पुल का निर्माण

*25—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सावजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिसवां, जिला सीतापुर मे बिसवां बहराइच मार्ग पर जहांगीराबाद स्थित केवानी नदी पर पुल का निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

आगरा-जलेसर-सिकन्दराबाद मार्ग

*26—श्री शिव चरन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा-जलेसर-सिकन्दराबाद मार्ग कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस मार्ग की वर्तमान लम्बाई मे से अलीगढ़ एवं एटा जिले मे पड़ने वाले भाग को जून, 1974 तथा आगरा जिले में पड़ने वाले भाग को मार्च 1975 तक पूर्ण होने की आशा है।

कानपुर की तहसील घाटमपुर एवं भोगनीपुर में नलकूप

*27—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर एवं भोगनीपुर म कितने नलकूप लग चुके हैं और कितने नलकूपों का कार्य अधूरा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

कानपुर जिले की तहसील घाटमपुर एवं भोगनीपुर में दिनांक 31 मार्च, 1974 तक 85 राजकीय नलकूपों म बोरिंग हो चुकी है। इनमें से 35 नलकूप चलित हैं तथा शेष 53 का कार्य अधूरा है जिसे पूरा किया जा चुका है।

*28—श्री केशरी लाल तथा श्री सीताराम निषाद्—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

नलकूप चालक पतरौल एवं अमीनों की संस्था अंजुमन अनहार की कतिपय मांगें

*29—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के नलकूप चालक, पतरौल एवं अमीनों की संख्या अंजुमन अनहार, उत्तर प्रदेश द्वारा माह मार्च, 1974 में तथा उसके पूर्व भी अपनी कतिपय मांगों को जिसमें वेतन विषमताओं को दूर करना स्थायी मासिक तथा आकस्मिक भत्ते में वृद्धि करना, सायकिल भत्ता, संस्था तथा पदनामों में परिवर्तन, नलकूप चालकों को मेकेनिक भत्ता, आवास की सुविधा आदि सम्मिलित है, के सम्बन्ध में एक ज्ञापन सरकार को दिया और जिस पर सरकार ने उन्हें लिखित उत्तर द्वारा आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो निर्णय शीघ्र लेने में क्या कठिनाई है और कब तक निर्णय हो जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां, लेकिन शासन के स्तर से कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है किन्तु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने संस्था को अपने पत्र दिनांक 17-4-74 के द्वारा उनकी मांगों पर हो रही कार्यवाही से अवगत करा दिया है। अंजुमन अनहार की मांगों पर विचार हो रहा है। इनकी मांगों के परीक्षण के सिलसिले में कई अनुभागों से परामर्श करना है, अतः इसमें समय लगेगा।

स्कूटर व कारों का सरकारी कोटे से आवंटन

*30—श्री राम आधार तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी-फरवरी, 1974 के बीच में कितने स्कूटर व कारें सरकारी कोटे से एलाट किये गये? क्या सरकार ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी?

श्री राजमंगल पांडेय—

बजाज	..	..	..	..	175
लम्बेटा	..	..	..	..	115
फिएट	..	..	..	..	80
एम्बेसडर	..	..	..	..	75
स्टैण्ड मजल	..	..	..	..	10

जी हां यथा उपरोक्त है।

हिन्दुस्तान अल्युमीनियम लि० रेनुकोट (मिर्जापुर) में तालाबन्दी

*31--कुंवर श्रीपाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्दुस्तान अल्युमीनियम लिमिटेड रेनूकोट (मिर्जापुर) में किन परिस्थितियों के कारण तालाबन्दी दिनांक 12 अप्रैल, 1974 को घोषित करनी पड़ी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मेसर्स हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड रेनूकोट (मिर्जापुर) के सेवायोजकों द्वारा उनके सुपरवाइजरों के मध्य उत्पन्न विवादों के कारण सुपरवाइजरों द्वारा प्रतिष्ठान में सामान्य कार्य दिनांक 4 मार्च, 1974 से नहीं हो रहा था और सुपरवाइजरों द्वारा प्रतिष्ठान में वरिष्ठ इन्जीनियरों तथा सुपरवाइजरों एवं फोरमैन के न रहने के कारण कारखाने में कार्य करना व उत्पादन कार्य बहुत मुश्किल हो गया था। सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान में दिनांक 12 अप्रैल, 1974 से तालाबन्दी कर दी गई।

इलाहाबाद जिले की तहसील हंडिया के खराब नलकूपो की मरम्मत

*32--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील हंडिया के नलकूप नं0 9, 186, 64 व 121 क्रमशः 1 वर्ष, 6 माह से बन्द हैं जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि की फसल बर्बाद हो गई है ? यदि हां, तो सरकार इन नलकूपों को कब तक ठीक करायेगी, और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह नलकूप इतने समय से बन्द नहीं हैं।

वाराणसी के राजकीय नलकूपों में मीटर

*33--श्री गिरजा शंकर पाठक तथा श्री राम रति बिन्द एडवोकेट (जिला वाराणसी)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में कितने राजकीय नलकूपों में मीटर लगाये गये हैं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

वाराणसी जनपद में 689 नलकूपों पर मीटर लगाये गये हैं और 145 नलकूपों पर मीटर नहीं लगाये गये हैं। राजकीय नलकूपों पर मीटर लगाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की है जिसके लिये उनसे अनुरोध किया गया है।

उतरौला तुलसीपुर मार्ग (गोण्डा) में राप्ती नदी पर पुल

*34--श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में गोंडा वाया उतरौला होते हुए तुलसीपुर जाने वाली सड़क पर राप्ती नदी पर पुल बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पुल के कब तक बन जाने की संभावना है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं।

मिर्जापुर जिल म असनडोह पोखरा बमनी आदि मार्गों पर निर्माण-कार्य

*35--श्री शिव सम्पत्ति--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिला में असनडीह, बम्हनी, बचरा, जरहा होती हुई, मध्य प्रदेश को जाने वाली सड़कों के निर्माण पर कितना रुपया व्यय होने की योजना थी और उस पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है तथा कितना निर्माण-कार्य बाकी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इस मार्ग का निर्माण-कार्य निम्नलिखित दो भागों में स्वीकृत किया गया है जिसका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

1--असन-डीह पोखरा बम्नी

2--बमनी चपकी बीजपुर ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 606 पर ।)

ऋषिकेश टिहरी, मार्ग टिहरी-गढ़वाल में दुर्घटना

*36--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या परिवहन मंत्री को विदित है कि दिनांक 16 अप्रैल, 1974 को जिला टिहरी-गढ़वाल ऋषीकेश, टिहरी मोटर मार्ग, पर फकोट के पास एक सवारी गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हुई जिसमें 44 यात्रियों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां ।

दुर्घटना होने के कारण यह थे कि दुर्घटना के स्थान से लगभग 10 फीट पहले सड़क का करीब 8 फीट हिस्सा बहुत ही खराब हालत में था और उसमें काफी तादाद में पत्थर उभरे हुए थे । उस स्थान पर सड़क 17 फीट चौड़ी है किन्तु उसके खड्ड की तरफ का किनारा काफी कमजोर है । जब खराब सड़क पर वाहन गुजरी तो ड्राइवर का स्टेयरिंग पर संतुलन बिगड़ गया और खराब सड़क पर लगभग 10 फीट आगे जाने पर वाहन का दाहिनी ओर का आगे का पहिया खड्ड की ओर किनारे से नीचे उतर गया और वाहन खड्ड में नीचे गिर गई । ड्राइवर गाड़ी को टाप गियर में ले जा रहा था और इस प्रकार गाड़ी की स्पीड अधिक थी ।

*37--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*38--श्री सत्य प्रकाश तथा श्री राम चरण शाह--

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बखिरा ताल के पानी निकासी की योजना

*39--श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर व बस्ती जिले में स्थित बखिरा ताल के पानी निकासी की योजना अब स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो पुनः उस पर कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह योजना अक्तूबर, 1965 में स्थगित कर दी गई थी ।

इस पर पुनः कार्य आरम्भ करने की योजना विचाराधीन नहीं है ।

*40—श्री राम सजीवन—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

*41-42—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

*43—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[सरकार से पुनर्विचार पर निरस्त]

*44—श्री कैलाश सिंह तथा श्री दीना नाथ सेवक—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

*45—श्री अनवार जमील—

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रुद्रपुर (देवरिया) से झनेहा (गोरखपुर) मार्ग का सर्वेक्षण एवं निर्माण

*46—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया में स्थित स्थान रुद्रपुर से गोरखपुर के गांव बोहवार-गोबडोर-मंगने-बरही होते झनेहा थाने तक की सड़क का सवक्षण सन् 1970 से फरवरी, 1973 तक कितनी बार निर्माण के सिलसिले में हो चुका है ? इसका निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

इस मार्ग का सवक्षण भी इस विभाग द्वारा 1970 से फरवरी, 1973 तक नहीं करवाया गया है ।

*47—श्री इन्द्र पाल सिंह—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले में करवी से राजापुर सड़क का निर्माण

*48—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जिले में करवी से बूढ़ा होती हुई राजापुर तक जाने वाली कच्ची सड़क पर यातायात की अधिकता को देखते हुए उसे पक्की बनाने के लिये सरकार विचार करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में राजकीय नलकूप

*49---श्री राम सेवक यादव, श्री जंगबहादुर, श्री नन्हें लाल (जिला बाराबंकी), श्री जगन्नाथ सिंह परमार तथा श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बांदा के विकास खंड जसपुरा में आजादी के बाद अब तक खेती की सिंचाई हेतु एक भी सरकारी नलकूप नहीं स्थापित किया गया है, जबकि जिले के दूसरे क्षेत्रों में सैकड़ों की तादाद में नलकूप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विकास क्षेत्र की भूमि को सिंचित बनाने के लिये वहां पर शीघ्र नलकूप स्थापित करने की कृपा करेगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी हां । बांदा जिले के जसपुरा ब्लाक में अब तक राजकीय नलकूप नहीं हैं । इस जिले के दूसरे क्षेत्रों में 26 नलकूप बनाये गये हैं । यह ब्लाक केन नदी के पार है । वहां विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही कहा जा सकेगा कि राजकीय नलकूप बनाये जा सकेंगे या नहीं ।

*50---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*51---श्री मुहम्मद असरार अहमद---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

नगरपालिका सोरों, जिला एटा में हरि की पौड़ी गंगा घाटों के निर्माण में घटिया किस्म के सीमेंट आदि के प्रयोग की शिकायत

*52---श्री मोहन लाल कपूर---

क्या सरकार को ज्ञात है कि नगरपालिका सोरों जिला एटा की हरि की पौड़ी गंगा घाटों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण में कंकरीट, सीमेंट, ईटें आदि घटिया किस्म के प्रयोग किये जाने अथवा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में माह मार्च, 1974 में कोई शिकायती-पत्र सोरों निवासियों का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो यह शिकायत क्या थी ? शिकायतों के आधार पर किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

ऐसी कोई शिकायत सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में पक्की सड़कें

*53---श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार को मालूम है कि जनपद बदायूं में पक्की सड़कें उत्तर प्रदेश की सभी जिलों से कम हैं ? यदि हां, तो सरकार उस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

बम्बई योजना के अनुसार जनपद बदायूं में पक्की सड़कों का प्रतिशत अन्य जिलों से कम है। पंचम पंचवर्षीय योजना में इस कमी को दूर करना नई सड़कों के निर्माण के लिये उपलब्ध धनराशि पर निर्भर है ।

*54—श्री शिव सम्पत्ति—

[3रे बुधवार में प्रश्न संख्या 26 पर स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जिला मिर्जापुर में दुद्धी–भैरवपुर–बभनी तथा मुर्धना से भैरवपुर मार्ग का निर्माण

1—श्री शिव सम्पत्ति—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के दुद्धी-भैरवपुर-बभनी व नेहरू रोड, मुर्धना से भैरवपुर मार्ग पर कितना कार्य हो चुका है और कितना शेष तथा कब तक पूरा होगा ?

श्री लक्ष्म शंकर यादव—

जिला मिर्जापुर में मेवरपुर-दुद्धी, मेवारपुर-बभनी तथा मुर्धना-मेवरपुर मार्गों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

1—मेवरपुर–दुद्धी मार्ग पर कार्य की प्रगति–

लम्बाई 24.00 किलोमीटर

	कि0 मी0
मिट्टी का कार्य	17.60
सोलिंग कोट का एकत्रीकरण	18.50
टापकोट एकत्रीकरण	18.50
पुल एवं पुलिया	1.50

शेष कार्य

मिट्टी का कार्य	6.40
सोलिंग कोट का एकत्रीकरण	5.50
सोलिंग कोट की कुटाई	24.00
टापकोट एकत्रीकरण	5.50
टाप कोट की कुटाई	24.00
पेंटिंग पहला एवं दूसरा कोट	24.00
पुल एवं पुलिया	22.50

कार्य दिसम्बर, 1975 तक पूरा हो जायेगा।

2—मेवरपुर–बभनी मार्ग लम्बाई 22.36 कि0 मी0

मिट्टी का कार्य	2.50
सोलिंग कोट का एकत्रीकरण	12.00

मार्ग का शेष कार्य बाकी है जिसके पूर्ण होने का सम्भावित लक्ष्य दिसम्बर, 1975 है।

3—मुर्धना—मेवरपुर मार्ग	लम्बाई 10 कि0 मी0		
मिट्टी का कार्य	..	..	10.00
मैकेनिकल कम्पैशन	..	..	9.50
सोलिंग कोट का एकत्रीकरण	..	..	10.00
सोलिंग कोट की कुटाई	..	..	9.50
टापकोट एकत्रीकरण	..	..	10.00
टापकोट कुटाई	..	..	शून्य
पुल एवं पुलिया	..	..	8.00

मार्ग का शेष कार्य बाकी है जिसके पूर्ण होने का सम्भावित लक्ष्य मार्च, 1975 है।

4—नेहरू रोड इस समय बन मार्ग है और विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत भी नहीं है।

बदायूं जिले में बदायूं कादिर चौक-ककोड़ा मार्ग तक पक्की सड़क

2—श्री बृजपाल सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में बदायूं-कादिर-चौक ककोड़ा मार्ग तक पक्की सड़क बनाने का क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बदायूं से कादिर चौक तक का मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का पक्का मार्ग है। इस मार्ग को काकोड़ तक पक्का बनाने की अभी कोई योजना नहीं है।

जिला बुलन्दशहर में अहमदगढ़ से पहासकू तक सड़क का निर्माण

3—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर विकास खंड पहासकू में अहमदगढ़ से पहासकू तक सड़क 1973 में पूर्ण होने की योजना थी ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं बनी और कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग जिला परिषद् के अधीन है और सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी भी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है।

बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर तथा डिबाई में सड़कें तथा पुल का निर्माण

4—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर तथा डिबाई में 1973-74 में कौन-कौन सी सड़कें तथा पुल बनने हेतु प्रस्तावित थे और अब तक इनमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

चुनार तहसील में सड़कों को पक्का करने का कार्य

5—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुनार तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग किन-किन सड़कों को कितना किलोमीटर पक्का बनान का विचार कर रही है तथा ऐसी सड़कों का कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

चुनार तहसील में निम्नलिखित सड़कों को पक्का बनाने का कार्य चल रहा है:—

1—जिबनाथपुर-कंचनपुर (15 कि० मी०) मार्ग ।
2—अहरौरा उपमार्ग (4.62 कि० मी०) ।

6—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

बहराइच जिले के हरिहरपुर रानी एवं सिरसिया तथा इकौना विकास खण्डों में सड़क निर्माण की योजना

7—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के हरिहरपुर रानी एवं सिरसिया तथा इकौना बिकास खंडों में किन-किन सड़कों के निर्माण की योजना वर्ष 1974–75 हेतु बनाई गई है तथा उन पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत विकास खण्डों में से हरिहरपुर रानी एवं सिरसिया विकास खण्डों में भिगा से लक्ष्मणपुर मार्ग पर जो 1970–71 वर्ष में स्वीकृत हुआ था और 1974–75 वर्ष में कार्य प्रगति पर रहेगा ।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग के निर्माण की योजना नहीं है ।

गोण्डा की तहसील बलरामपुर में खरभार नाला के पानी के लिये बांध

8—श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की तहसील बलरामपुर में खरभार नाला लोहे पनिया के पास जो प्रतिवर्ष बर्षा में कट जाने से गांव को काफी क्षति पहुंचा देता है उसकी रोक-थाम के लिये कोई बांध या ठोकर बर्षा के पूर्व ही बनाने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं ।

सुल्तानपुर-कुड़वार (सुल्तानपुर) मार्ग का निर्माण

9—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के सुल्तानपुर–कुड़वार मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिये जाने के सम्बन्ध में वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से तथा इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

कानपुर की डेरापुर तहसील में बहेरा नाला का निर्माण

10—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला की डेरापुर तहसील में बहेरा नाला का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें रजापुर माइनर के पार दक्खिन और प्राकृतिक नाला और खाली भूमि है, जिसमें इस नाले का पानी जा सकता है ? इसके बावजूद भी रजापुर माइनर के दक्खिन में उपजाऊ खेतों से उक्त नाला खोदा जा रहा है, जिससे किसानों की उपजाऊ भूमि भी जा रही है ? क्या इस स्थान का निरीक्षण शीघ्र कराकर उचित स्थान पर नाला रक्खा जावेगा और कब तक इस कार्य को पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

11-12—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मिर्जापुर के विकास खंडों में नलकूप

13—श्री शिवसम्पत्ति—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में सन् 1974-75 में कुल कितने नलकूपों का निर्माण कराने का विचार किया है ? यदि हां, तो किन-किन बिकास खंडों में कितना-कितना नलकूप लगाया जायेगा और किन ग्रामों में लगाने के लिये सर्वे हो चुका है और कितने ग्रामों में सर्वे करना शेष है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मिर्जापुर में सन् 1974-75 में 5 नलकूपों का निर्माण कराना प्रस्तावित है । किन-किन विकास खण्डों में कितने कितने नलकूप लगाये जायेंगे इसका निर्णय जिला परामर्श-दात्री तथा स्थान चयन समिति द्वारा लिया जाता है । सर्वेक्षित ग्रामों की सूची संलग्न है, 20 ग्रामों का सर्वेक्षण बाकी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 607 पर)

दुद्धी क्षेत्र विकास खंड में कनहर नदी पर पुल

14—श्री शिव सम्पत्ति—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के दुद्धी क्षेत्र विकास खण्ड के अन्तर्गत कनहर नदी पर पुल बनाने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

धनाभाव के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है ।

सरकारी कोटे से फिएट तथा अम्बेसडर गाड़ियों का आवंटन

15—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि दिसम्बर, 1973 जनवरी एवं फरवरी, 1974 मास में कितनी फिएट तथा अम्बेसडर गाड़ियों का आवंटन उनकी आज्ञा से प्राथमिकता के आधार पर की गई और कितनी क्रमानुसार की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय---

जनवरी एवं फरवरी, 74 के बीच 80 फिएट, 75 अम्बेसडर गाड़ियों का आवंटन किया गया। आवेदकों की मांग को आंकते हुये आवंटन में प्राथमिकता दी गई।

जिला बस्ती में बांसी-इटवा रोड पर मिट्टी डालने का कार्य

16---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला बस्ती में बांसी-इटवा रोड पर ग्राम जिगिनिहवा से ग्राम अशोगवा होते हुये शोहरतगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क पर ग्राम जिगिनिहवा से ग्राम अशोगवा तक मिट्टी डालने के लिये मन्त्री सार्वजनिक विभाग ने आदेश वित्तीय वर्ष 1973-74 के शुरू ही में दे दिया था ? यदि हां, तो इस समय तक (अप्रैल, 1974) उसकी स्थिति क्या है तथा अब तक कार्य क्यों नहीं पूरा हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

प्रश्नगत मार्ग पर टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत जून, 1973 में 2 किलोमीटर लम्बाई पर मिट्टी डाली गई थी। फरवरी-मार्च, 1974 में लगभग 1 किलोमीटर लम्बाई पर भी मिट्टी का कार्य किया गया है तथा पिछले 2 किलोमीटर पर मरम्मत की गई है। इस मार्ग पर अब कोई कार्य नहीं हो रहा है।

17-18---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोकुलपुर, जिला बुलन्दशहर के काश्तकारों द्वारा नलकूप लगाने हेतु प्रार्थना-पत्र

19---श्री हिम्मत सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोकुलपुर, परगना डिबाई, जिला बुलन्दशहर के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित किया हुआ दिनांक 27 मार्च, 1974 को प्राप्त हुआ, जिसमें सरकार द्वारा सरकारी ट्यूबवेल लगाने में देरी की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी हां।

शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कराई गई। जांच कराने से ज्ञात हुआ कि इस ग्राम में राजकीय नलकूप का लगाया जाना सम्भव नहीं है।

ओंग से देवमई (फतेहपुर) मार्ग को पक्का बनाने की योजना

20---श्री प्रेम दत्त---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ओंग से देवमई विकास खण्ड, देवमई, जिला फतेहपुर में पक्की सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी नहीं।

21---श्री प्रेमदत्त---

[3 मंगल के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी कुछ असंगतियों से सम्बन्धित याचिका

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण संबंधी कुछ असंगतियों से संबंधित डा० सुरेन्द्रनाथ सक्सेना 41-42, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री सत्यपाल मलिक व श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री बेनी प्रसाद द्वारा केन्द्रीय मंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल व डी० ए० वी० पी० के डायरेक्टर के विरुद्ध "दंगा फसाद करे कोई भरे कोई" नामक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना--(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

अब कल विशेषाधिकार का जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया था तो उसके हर पहलू पर आज तक की जो परम्परा रही ह उसकी तरफ सदन का ध्यान मैंने आकृष्ट किया और माननीय नेता विरोधी दल और माननीय रामसेवक यादव ने इच्छा व्यक्त की कि इसका एक पहलू है कि विशेषाधिकार क्या समवेत् जो सदन होता है, जिसको राज्यपाल या राष्ट्रपति संबोधित करते हैं वह विधान सभा और लोक सभा का अधिवेशन है? तो मैंने जो नजीरें थीं प्रिसिडेंस थे, उनको आपके सामने रख दिया।

आज सिर्फ इसी बात तक सीमित रहेगी बहस की परिधि कि क्या जो गवर्नर का भाषण होता है वह अधिवेशन, विधान सभा का अधिवेशन है या नहीं?

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी यह इच्छा थी कि जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है उसको आप एक सिर्फ तकनीकी मामला न बनायें। चूंकि इसमें एक इतना बुनियादी सवाल निहित है जो आज हिन्दुस्तान भर में विरोध की आवाज कर रहे हैं उनके ऊपर केन्द्र सरकार का जो हमला हो रहा है कि विरोधी दल वालों को देश और जनता के दुश्मन कह कर जनतन्त्र की हत्या की जा रही है। इसको रोका जा सकता है, मैं समझता हूं इसमें आप हिम्मत से काम लेते।

श्री अध्यक्ष----

मुझ में बड़ी हिम्मत है, लेकिन विरोधी पक्ष आत्मघाती कोई कदम न उठाये। अगर वाक्-स्वातंत्र्य पर अपना नियंत्रण चाहेंगे, अगर बोलने की आजादी और प्रकाशन और अखबारों के अधिकारों को सीमित करना चाहेंगे तो सरकार से अधिक चिन्ता विरोधी पक्ष को होगी। कोई प्रकाशन हुआ, मैं उसको नहीं जानता। मैं बुनियादी तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी छापे प्रेस, यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा सही छापे, लेकिन वह स्वतंत्ररूप से छापे, यानी यह नहीं है कि सही ही छपा हो, सही ही बोलता हो। गलत बोलने के लिये आजादी है। और यहां उस पहलू पर जाने में माननीय सदन ने और नेता विरोधी दल ने भी कुछ कहा था, उसके जो अशोभनीय शब्द हैं वह शब्द यहां भी कहे गये हैं, इधर से भी कहे

---

†11 जून, 1974 की कार्यवाही से।

गये हैं। इसलिये इस सब को देखते हुये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हम उसका कागनिजेन्स ले सकते हैं अथवा हम यह कहें कि वह विधान सभा का अधिवेशन था या नहीं।

श्री सत्यपाल मलिक--

आपने जो बहस की सीमा बांधी है उसमें मैं दो, तीन चीजें रखना चाहता हूं। सवाल यह है कि वह सदन है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सदन के सत्र को आहूत करते हैं, किन्हीं व्यक्तियों को नहीं बुलाते हैं बल्कि सदन को बुलाते हैं। अनुच्छेद 176 में लिखा है:

"राज्यपाल एक साथ समवेत विधान सभा और विधान परिषद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करते हैं और बिधान सभा को आहूत करने का कारण बताते हैं।"

इसका मतलब यह है कि जब हम लोग यहां बैठें हैं तब वह विधान सभा और विधान परिषद् का अधिवेशन है, वह कोई मामूली बैठक नहीं है। अनुच्छेद 175 में लिखा है:--

"राज्यपाल जब कभी चाहें विधान सभा या विधान परिषद् या एक साथ समवेत विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष भी अभिभाषण कर सकते हैं।"

मुझे यह भी निवेदन करना है कि ठीक इसी तरह से 19 फरवरी, 1963 को जब लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक बुलायी थी राष्ट्रपति महोदय ने, उस समय सोशलिस्ट पार्टी के संसद सदस्यों, जिनमें राम सेवक जी भी थे, ने राष्ट्रपति महोदय से हिन्दी में बोलने के लिये कहा था जिसमें कुछ गरमागरमी हो गयी थी। उस समय एक पार्लियामेंटरी कमेटी इसकी जांच करने के लिये बनी थी। उस कमेटी ने जो रेकमेंन्डेशन दी थी उस में यह कहा था कि अगर भविष्य में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कोई सदस्य इस तरह का बिहेवियर करेगा तो सदन का कोई भी मेम्बर उसके खिलाफ सदन में मामले को उठा सकेगा और सदन उसके खिलाफ ऐक्शन ले सकेगा। और 19 फरवरी, 1963 को हुये मामले पर जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पर सदन में कुछ लोगों को बुलाकर उनकी प्रताड़ना की थी। तो जब उस दिन के आचरण पर सदन प्रताड़ना कर सकता है तो उस समय जो हम लोग मौजूद थे उस वक्त हम सदस्य थे और वह सदन था इसलिये हमारे विशेषाधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने इस बहस को सीमित कर दिया और मैं समझता हूं कि शायद कल आपने जो पहला मुद्दा है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं उसमें मतैक्य है....

श्री अध्यक्ष--

यह मैं नहीं कहता।

श्री राम सेवक यादव--

इसका मतलब यह है कि इसके बाद वह बहस फिर चलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि वह विधान सभा की कार्यवाही है तो उस प्रश्न का गुणावगुण तब लिया जायगा ।

श्री रामसेवक यादव—

इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक मुद्दे पर बहस चलेगी, मैं उसी पर आ रहा हूं। एक तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आपने जब कल चर्चा के विषय में कुछ बातें कहीं तो लोक सभा का उदाहरण दिया और मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का भी दाह ण दिय.। वैसे तो मेरा निवेदन है कि यह जो सदन है और लोक सभा, दोनों अलग अलग हैं। लोक सभा कोई हमारे लिये सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। संविधान के कारण हम भी बने हैं और उसी संविधान के कारण लोक सभा भी है। लेकिन चंकि लोक सभा का उदाहरण यहां दिया जाता रहा है आपने भी कई बार उसका जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन मैं जरा सा यह याद दिला दूं कि जब तक सदन विशेषाधिकार के सम्बन्ध में कोई कानून न बना दे अपना तब तक न केवल लोक सभा बल्कि ग्रेट ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स से हम मार्ग-दर्शन लेते हैं।

श्री राम सेवक यादव—

वह यह है, अध्यक्ष महोदय। ठीक इसी तरह की घटना है जिसका अभी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया। जहां तक संयुक्त अधिवेशन का संबंध है वहां दिल्ली में राष्ट्रपति उसको सम्बोधित करते हैं, यहां पर विधान सभा और विधान परिषद् को एक साथ राज्यपाल सम्बोधित करते हैं। दोनों ही एक सी स्थिति में आते हैं। दोनों की व्यवस्था हमारे संविधान में है और उसी की तहत में हमारी कार्य प्रणाली यानी नियमावली बनी हुई है। संसद को राष्ट्रपति समन करता है और धारा सभाओं को राज्यपाल समन करता है। वर्ष के शुरू में या नयी विधान सभा बनने पर दोनों सदनों को एक साथ वे आहूत करते हैं और उसी संयुक्त बैठक को वे सम्बोधित करते हैं। दोनों ही जगह पर प्रतिक्रियायें समान हैं। केवल फर्क यह है कि एक संसद के लिये है और दूसरी यहां धारा सभाओं के लिये है।

सन् 63 में जब राष्ट्रपति महोदय ने संसद को आहूत किया था और संयुक्त सदन की बैठक हुई थी, वह 18 फरवरी को थी। राष्ट्रपति महोदय ने उसको सम्बोधित किया। उसी समय हम लोगों ने अर्थात् जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे उन्होंने, उनमें मैं भी एक सदस्य था उस समय, एक साथ राष्ट्रपति महोदय से यह कहा कि वे अंग्रेजी में न बोल कर जन भाषा में बोलें। इतना ही था। हम लोगों की बातें उन लोगों ने नहीं सुनी। तब हम लोगों ने सदन का त्याग कर दिया और बाहर चले आये। जब लोक सभा बैठी तो यह प्रश्न उठा दिया गया। तत्काल अध्यक्ष महोदय ने इस सारे मामले को एक विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया। उस समिति में 14 सदस्य थे। वहां के उपाध्यक्ष महोदय उस समिति के अध्यक्ष थे। जो हम लोगों का आचरण था उस पर उसे विचार करना था कि वह उचित था या अनुचित था। सदन के अन्दर डिकोरम कायम करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, इसलिये इन सारे मुद्दों पर उस समिति द्वारा जांच हुई। हम लोगों को भी सुना गया। जो कुछ हम लोगों ने कहा उसे उस समिति ने स्वीकारा भी। आप श्रीमन्, इससे सहमत भी हैं कि वाणी स्वातन्त्र होना चाहिये। अब जो व्यवस्था आपकी होगी उसी के अनुसार यह सदन चलेगा। जिस प्रकार कोई किसी की हत्या कर देता है, तो उस पर भी बहस चलती है, उसको जीवन-कारावास का दंड मिलना चाहिये यह बहस भी चलती है। जान नहीं लेना चाहिये। लेकिन जब तक श्रीमन्, पुराना कानून है, उस हिसाब से उसको मृत्यु दंड मिलेगा।

अदालत में मुकदमा जाने पर उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसी प्रकार जो कानून है उसके अनुसार जो व्यवस्था आपकी होगी, उसका पालन किया जायेगा।

मान्यवर, यहां दिल्ली में दोनों सदनों की बैठक के लिये एक केन्द्रीय हाल बना हुआ है। यहां पर दोनों सदनों की बैठक इसी विधान सभा हाल में होती है। इसलिये इस सदन के अन्दर जो घटना घटेगी उस घटना का नोटिस अध्यक्ष महोदय लेंगे और अध्यक्ष महोदय की ही जिम्मेदारी होगी और जब कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है तो उस पर आपको व्यवस्था देनी होगी। यह प्रश्न दो तरह के हो सकते हैं। कोई बाहर वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ और कोई व्यक्ति सदन के अन्दर है उसके खिलाफ। तो यह जो मामला उठा और यह जो घटना घटी है। यह जो अपने हाल में घटना घटी है तो उसी के संबंध में अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का डाइरेक्शन है। मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय अगर आप पढ़ें तो यह पेज 164 पर है, इस प्रकार है:—

"As regards the right and duty of the House to maintain order and decorum both in the House as well as its precints, the following passage from the memorandum submitted by the Clerk of the House of Commons to the Committee of Privileges in Piratan's Case (1947) may be quoted :

फिर आगे अध्यक्ष महोदय मैं पढ़ रहा हूं—

It is equally well established in law that the House has the right and duty to maintain order both in the House itself and in the precincts. Any misbehaviour in the precincts, whether the offender be a member or a stranger, has always been treated by the House as a breach of privillege."

फिर स्पीकर का डाइरेक्शन है उसको मैं आगे पढ़ना चाहता हूं—

"According to Direction 124 (1) of the Directions by the Speaker, in the Lok Sabha, the term 'precincts of the House' includes the Central Hall and its lobbies."

तो मान्यवर, मैं यह सेन्ट्रल हाल की बात कर रहा हूं पर यह जो आपके विधान सभा हाल के अन्दर घटना घटी उस पर मान्यवर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुयी ?

श्री अध्यक्ष—

जो संवैधानिक अधिकार है वैसा हुआ, आप तो तर्क करते हैं।

श्री राम सेवक यादव—

अगर वह नहीं है और यह मान लें तो हम लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों की गयी और मामला प्रीविलेज कमेटी को क्यों गया और कमेटी ने अपने अधिकार के बाहर काय क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष—

जो आचरण है जो सिफारिशें हैं उस पर कार्यवाही होती है।

श्री राम सेवक यादव—

जो किया गया ऐसी सिफारिशें नहीं ह मैं दोनों अंश पढ़ रहा हूं। जो कमेटी ह उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण किया अध्यक्ष महोदय यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:—

The Committee recommends that if in future any member of the Lok Sabha interrupts or obstructs the Presidential address to both Houses of Parliament assembled together, either before, during, or after the address, while the President is in the Hall, with any speech or point or order or walk-out or in any other manner, such interruption, obstruction or show of disrespect may be considered as a grossly disorderly conduct on the part of the offending member and dealt with by the House subsequently on a motion moved by a member.

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है।

श्री राम सेवक यादव—

तो मान्यवर अगर हम कोई चोरी करें और कोई गबन करें और अगर वह यदि सच साबित हो और हमें सजा हो जाय तो सदन में कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु जब तक कोई क्लेरीफिकेशन न हो जाय तब तक सजा नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आगे यह कहा है कि:—

On 19th March, 1963, Sri S. V. Krishnamoorthy Rao, Chairman of the Committee, moved that paras 26 and 27 of the report be accepted. Para 28 of the report was not moved as that would restrict the powers of the House for the future and the House should decide each case on its merits.

तो इसका मतलब यह था कि उन्होंने जो फ्यूचर के लिये कर दिया था तो उनकी यह अनाधिकृत चेष्टा थी उसको निकाल दिया गया। मैं उसी के आगे पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मान लीजिये कि विधान सभा नहीं चल रही है। परिसर का आपका जो दारुलशफा है और कोई एक वहां सभा कर दी तो इससे बिधान सभा समाप्त नहीं होगी। इसलिये परिसर पर जोर न दे करके यह जो विधान सभा का अधिवेशन है उसमें जो भी कार्यवाही हुई है वह आचरण या दुराचरण के लिये हुई है तो उसको समझना चाहिये। मान लीजिये कि आज की पद्धति जो संसदीय ढंग के अनुकूल नहीं है तो यह सही हो सकता है। इस प्रकार सम्बोधन हिन्दी में होना चाहिये। इसी प्रकार लोक सभा और हाउस आफ कामन्स में भी नियम हैं। हमारे यहां भी नियम हैं और नियम 14 (2) में अधिवेशन के संबंध में लिखा है। जब सदन में अध्यक्ष बैठा हो तो वह सदन है कि नहीं—इस पर आप प्रकाश डालें।

श्री राम सेवक यादव—

मेरा तो निवेदन है कि अगर आप अपनी नियमावली को पढ़ें तो उसमें नियम 19 में ही यह आता है। फिर संविधान के तहत ही राज्यपाल महोदय बोलते हैं और यह सदन तब

तक सम्पूर्ण नहीं होता है जब तक सदन के सदस्य न बैठ जायं और माननीय अध्यक्ष न बैठ जायं। अगर यह सदन सम्पूर्ण न होता तो जो लोक सभा के नियम पढ़े उसके अन्तर्गत आचरण संबंधी किसी भी नोटिस को नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

दुराचरण या दुर्व्यवहार कर कोई सदस्य परिसर के अन्दर नहीं बोल सकता है। इसी प्रकार यदि कोई बाहरी व्यक्ति विधान सभा में आकर बैठ जाय तो वह विधान सभा का सदस्य नहीं होगा और वह बोल भी नहीं सकता है। इस प्रकार अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही परिसर के अन्दर अथवा सदन में बैठ सकता है और वह बोलने का अधिकारी हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

यहां मान्यवर ध्यवस्था का प्रश्न है। यदि दोनों सदन मिलते हैं और गवर्नर भाषण देते हैं तो उसके प्रिविलेज हैं कि नहीं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। यहां पर सवाल यह उठाया जा रहा है कि कुछ माननीय सदस्यों के व्यवस्था के बारे में तो भले ही सदन की मीटिंग न हो लेकिन एक विशेषाधिकार के उल्लंघन होने पर क्या आप यह कहेंगे कि किसी सदस्य को विशेषाधिकार तब तक नहीं है जब तक कि हाउस मीट न कर रहा हो।

श्री अध्यक्ष--

यह एक अलग प्रश्न है। माननीय गर्ग साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन उसमें गुणों और दोषों की चर्चा कर दी। सवाल यह है कि जैसा कि ये मैंने कल पढ़ा था, जो आज तक की परम्परा है उसके अनुसार जब कि गवर्नर अभिभाषण कर रहे हों, उसको विधान सभा नहीं मानते। ऐसा हाउस आफ कामन्स, लोक सभा, पुरानी असेम्बलियों के अध्यक्षों ने माना है और सबकी ऐसी ही राय है। चूंकि नेता विरोधी दल तथा श्री राम सेवक यादव ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, वह सदन है, तो इसी पर बहस है।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, राज्यपाल ही सदन को बुलाता है और नियमों के अन्दर बुलाता है तथा संविधान के अन्तर्गत बुलाता है। मेरा निवेदन यह है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो इस पर पूरी छानबीन करे। जल्दबाजी से कोई लाभ नहीं है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

हम लोगों ने भी, मान्यवर, विशेषाधिकार के सम्बन्ध मे अपना प्रस्ताव दिया है, इसलिये मैं भी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं और उस प्रकाश को डालने के लिये मैं भारतीय संविधान तथा जो नियमावली "उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिये हस्तपुस्तिका (केवल सदस्यों के लिये)" इन दोनों का हवाला दूंगा। मान्यवर, राज्यपाल के जो विधायी अधिकार हैं इसको अगर देख लिया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 174, 75 और 176 के द्वारा उनको दिये गये हैं जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधान सभा का आह्वान करते हैं। वह विधायकों को नहीं बुलाते, बल्कि विधान सभा को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

बुलाते हैं । इसके अतिरिक्त जैसा कि नियमावली के पृष्ठ 3–विधान सभा का आह्वान और राज्यपाल का अभिभाषण शीर्षक', के अन्तर्गत अनुच्छेद 174 की तरफ इशारा करूंगा जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधान सभा के सामान्य निर्वाचन होने के बाद या किसी भी वर्ष के प्रथम सत्र को राज्यपाल बुलायेंगे या तो संयुक्त अधिवेशन को बुलायेंगे या खाली विधान सभा को जिस समय राज्यपाल आते हैं वह कहते हैं कि 'माननीय सदस्य कृपया अपने स्थानों पर बैठें' इससे स्पष्ट है कि उनका तात्पर्य विधान सभा के सदस्यों से होगा ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी नियमावली के पृष्ठ 4 पैराग्राफ 4 को देखें जिसमें यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल जब सदन के समक्ष अभिभाषण कर रहे हैं.....से लेकर राज्यपाल के प्रति अशिष्टता की प्रवृत्ति का सूचक हो, क्योंकि ऐसे कार्य से सदस्यों द्वारा ली गई शपथ का उल्लंघन होता है और उनसे उस सदन की प्रतिष्ठा भी घटती है जिसके माननीय सदस्य होने का गौरव उन्हें प्राप्त है । इस सम्बन्ध में एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि जो 'सत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के पृष्ठ 4 पर पैरा (ब) से स्पष्ट हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि 'सत्र' का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद 174 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम उपवेशन से उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो । इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल केवल सदन को आहूत कर सकता है न कि विधायकों को बुला सकता है ।

एक बात मैं और पूरे सदन से कहना चाहता कि डी० ए० डी० पी० जो श्री इन्द्र कुमार गुजराल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार द्वारा निकाली गई है उसमें भी स्पष्ट है कि विधान सभा की कार्यवाही सदन में चलती है । अन्त में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जब यहां पर अभिभाषण देते हैं तो सदन का जो अध्यक्ष होता है उसके जरिये उनके अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बाद में पढ़ता हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

बाद में ही सही । उस पर फिर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तर्क तो आपके विरुद्ध हो जायगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उस पर सदन के अन्दर विचार होता है और फिर सदन से धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव आया है उसको पढ़ कर तो सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप कल नहीं थे ?

शकधर की पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूं । अनुच्छेद 87 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के लिये एक साथ समवेत होना, लोक सभा की बैठक नहीं माना जाता । संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति लोक सभा

के सचिव द्वारा सभापटल पर उस समय रखी जाती है जब लोक सभा की बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे बाद अपने सभा भवन में होती है। उस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा की कार्यवाही का अंग बनता है। उसके पूर्व नहीं बनता।

श्री प्रभुनारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, चूंकि नेता विरोधी दल ने एक टेक्निकल बहस प्रारम्भ कर दी है तो मुझे भी कुछ निवेदन करना है। आपने भी उस सम्बन्ध में लोक सभा की बात पढ़ी। लेकिन आपके अपने नियम भी इस पर बहुत स्पष्ट हैं। धारा 14 की उपधारा (2) में यह है कि सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हों जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो। मान्यवर, विधान सभा का अधिवेशन तभी माना जायगा जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन हों या अध्यक्ष महोदय के न रहने पर कोई वह सदस्य जो सदन का सदस्य हो, सदन के बाहर का आदमी नहीं, जो संविधान और नियमों के अन्तर्गत पीठासीन होने का हक रखता हो तो वह पीठासीन माना जायगा। इस सब्सटेन्टिव नियम के रहते हुये, कोई प्रश्न नहीं उठता कि वह विधान सभा का अधिवेशन था।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

सम्मानित नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य सत्यपाल मलिक, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह अवश्य एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। वह प्रश्न यह है कि जब कभी राज्यपाल संविधान की मर्यादा के अनुसार यहां अभिभाषण करते हैं तो उस समय जो अवस्था है उसका नियंत्रण किन नियमों से हो और किस प्रकार हो। मैं सम्मानित सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव से कम से कम अपने को जो हिंसात्मक घटनाएं बाहर हुईं उनसे अलग रखा। मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां का विरोधी दल बहुत जागरूक, बहुत संसदीय मान्यताओं को मानने वाला और हिंसात्मक कांडों का विरोध करने वाला एक सजग विरोधी दल है।

श्री राम सेवक यादव--

अगर आप भी जो जिम्मेदारियां आपको लेनी चाहिये, ले लें, तो मैं आपको भी बधाई देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो अप्रिय घटनायें गुजरात में हुयीं और सरकारी सम्पत्ति का नुक्सान हुआ, उनका ऐसा कोई विचार नहीं था और न हमने कभी माना। मैं स्पष्टतः अपनी भावना को दोहराने के लिये आपका अभिनंदन करता हूं।

जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, वह सबके सामने हुआ, विधान मण्डल के सदस्यगण के सामने हुआ शोभनीय हुआ या अशोभनीय हुआ, उस समय जो कुछ हुआ, उसके दूसरे दिन स्वयं नेता विरोधी दल ने स्पष्टीकरण दे दिया। उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो केवल यह निवेदन करूंगा कि आपने जो निर्णय प्राग्दर्शन में कल दिया, वह बिल्कुल ठीक है,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

क्योंकि जैसा कि माननीय प्रभुनारायणसिंह जी ने उल्लेख किया नियम 14 में और जैसा कि नियम 19 (2) में भी लिखा है:—

"राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़कर सुना सकेंगे।"

श्रीमन्, मेरे पास दुर्गादास बसु जी का नजर है। मैं इस पुस्तक के पृष्ठ 527 की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि:—

"But there is no provision relating to the procedure at the meeting of the Houses assembled together to hear the President's address. It is not a 'joint sitting' of the Houses in the proper sense, because the session commences only after the President has delivered his address.'

तो इसमें दिया है कि लेकिन कोई भी विधान नहीं है कि जिसके अनुसार जब दोनों सदन मिलकर बैठतें हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के लिये, उस समय क्या प्रक्रिया होगी। यह एक संयुक्त अधिवेशन भी नहीं है, क्योंकि सेशन बाद को शुरू होता है, जबकि प्रेसीडेन्ट अपना ऐड्रेस दे देते हैं।

"It seems that provision for maintenance of order at such a meeting can be framed only by agreement between the different parties. The President is entitled to prevent branches of order in the assembly addressed by him by his own body-guards."

यानी, इस समय, ऐसा लगता है, कि विभिन्न दलों के द्वारा ही आपस में एग्रीमेंट द्वारा ही आर्डर मेन्टेन कर सकते हैं। हां, इसमें यह भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति चाहे तो अपने बाडी-गार्ड्स इस सम्बन्ध में इस्तेमाल कर सकता है।

"But in the absence of specific provision in the Constitution, it is hardly possible for the President himself to make Rules for regulating the conduct of the Members at such sitting. Nor it is possible for the Speaker to enforce the ordinary rules as the Presiding Officer, because at the meeting addressed by the President under Art. 87(1) no one presides and Art. 118(4) or the Rules mede thereunder do not extend to such meeting if it is not a 'joint sitting of the two Houses."

लेकिन चूंकि विधान में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रावीजन नहीं है, इसलिये राष्ट्रपति के लिये भी बड़ी कठिनाई है कि कोई नियम बना सकें कि ऐसी सिटिंग्स में किस तरह से नियंत्रण हो। स्पीकर के लिये जो साधारण नियम है, उसके अनुसार नियंत्रण लागू करना सम्भव नहीं है, क्यों ऐसी सभा में कोई सभापति नहीं है और यह ज्वाइन्ट सिटिंग संयुक्त अधिवेशन भी नहीं है, दोनों सदनों का, इसलिये उनको कठिनाई है। इसमें आगे बताया है:—

'Taking advantage of this point of provision, there have been in some State Legislatures walk-out demonstrations attended with the shouting of slogans etc. at the time of the Governor's opening address and Speakers of such Legislatures have felt themselves helpless in the matter.'

और इसी बात को देखते हुये जब किसी विधान मंडल के अधिवेशन में जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, तो स्पीकर्स आदि इस मसले में असमर्थता महसूस करते रहे हैं।

इसी के आगे दिया है:—

"No such incident has so far happened in Parliament. Pending the insertion of proper constitutional provisions, however, it may be said that any such situation may be avoided if Members of all parties remember that the President or the Governor is a head of the State and any disparaging

remark about the opening Address read by him or any other violent conduct is a disgrace to the Nation. Opportunity for giving vent to the member's reactions to the contents of the address is available in the debate which follows on a subsequent day.'

बसु की कमेंट्री में यह लिखा हुआ है । इसी को माहेश्वर नाथ कौल तथा श्यामलाल शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" में दोहराया गया है । पृष्ठ 177 पर आप देखें "राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के लिये संसद के दोनों सदनों का एक साथ समवेत होना न तो लोकसभा की बैठक कहा जा सकता है, न राज्य सभा की, और न ही दोनों सदनों की संयुक्त बठक क्योंकि लोक सभा की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बठक, तब विधिवत गठित होती है जब उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य कर रहा हो जो संविधान या नियमों के अन्तर्गत अध्यक्षता करने का अधिकारी है" ।

मेरा निवेदन है कि इससे प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है । मेरा यह आग्रह है कि अध्यक्षों का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसमें आप इस पर विचार कर लें क्या भविष्य में संविधान में इस सम्बन्ध में कोई संशोधन करने की गुंजायश है और क्या इस स्थिति को नियंत्रित करने का कोई अधिकार है । यादव जी स्वयं लोक सभा के सदस्य रहे हैं और प्रक्रियाओं से वह भलीभांति परिचित हैं । जो निष्पक्ष राय होगी विधान वेत्ताओं की उसे हम स्वीकार करेंगे ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

एक प्रश्न रह जाता है जहां पर दो सदन न हों, एक ही सदन हो और गवर्नर आये तो क्या तब ही स्पीकर जो शपथ लेकर स्पीकर हो जाते हैं उस दिन भी अध्यक्ष रहते हैं या नहीं रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों दिशाओं में वह नहीं रहते हैं । कोई नहीं रहता है ।

श्री रामसेवक यादव--

आप अपना निर्णय दें उससे पहले दो तीन सवालों का आप जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

हो सकता है आप अधिक विद्वान हों, आपकी संसदीय जानकारी ज्यादा हो । मैं अपने विवेक से ही निर्णय दूंगा ।

श्री रामसेवक यादव--

विद्वान कौन है इसकी होड़ नहीं है । मान लीजिये राज्यपाल सदन को सम्बोधित करते हैं और सदन में आने का अधिकार हमको है क्योंकि संविधान के तहत में हमको बुलाया गया है । लेकिन रास्ते में कोई भी रोक ले और आने न दे तो जिसने रोका है उसने विशेषाधिकार की अवहेलना की है ? मान लीजिये इसके अन्दर बाहर के लोग चले आये क्योंकि कोई नियम नहीं है और राष्ट्रपति एवं गवर्नर अपने बाडी गार्ड से कंट्रोल कर सकते है, अनुशासन रख सकते हैं लेकिन बाहर के जो लोग चले आते हैं वे अध्यक्ष अथवा चेयरमैन की शान के खिलाफ कुछ कह देते हैं तो यह सदन का अवमान होता है ? ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ? ये मूल प्रश्न इससे जुड़े हुये हैं । इसलिये मैंने कहा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

श्री सत्य प्रकाश मलिक, श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन व प्रचार विभाग, डी0ए0वी0पी0 द्वारा प्रकाशित "बंगा फसाद करे कोई भरे कोई" नामक पुस्तक के निम्नलिखित अंक के प्रकाशन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल व डी0ए0वी0पी0 के डायरेक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने की सूचना दी है:---

"इस विश्लेषण में काफी सच्चाई है कि राजधानी पटना सहित बिहार के कुछ हिस्सों में हुये हिंसक उपद्रव और लखनऊ में नई विधान सभा के अधिवेशन के पहले दिन की अप्रिय घटनाओं तथा गुजरात में जनवरी और फरवरी की घटनाओं में कुछ समानता है।

* * * *

उत्तर प्रदेश में भी विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो अशोभनीय नाटक खेला गया, उसके प्रमुख पात्र भी विपक्ष के विधायक ही थे। राज्यपाल को अपने कर्तव्य पालन से रोकने के अपने निर्णय के अनुसार उन्होंने राज्यपाल से अभिभाषण की प्रति छीन ली। क्या यह सब संसदीय परम्परा के अनुकूल है ?

इसके बाद हिंसा और बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्ति की बर्बादी हुई। यह सब उन लोगों की कार्यवाही का परिणाम था, जिन्होंने बड़ी दृढ़ता से घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र प्रणाली को चलने नहीं देंगे।"

माननीय सदस्यों का कहना है कि सदन के अन्दर कही गयी बातों और किये गये आचरण को अशोभनीय नाटक कहना और उसे अन्य प्रान्तों की हिंसक घटनाओं से जोड़कर एवं गलत उद्देश्य तलाशना पूर्ण तरह तथा स्पष्ट तौर पर विधान सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन है। उक्त माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि सदन में किये गये कार्यों को लोकतंत्र विरोधी कह कर तथा यह दर्शाकर कि विधायक लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं, इसलिये जनता उन्हें सबक दे, उनके विशेषाधिकारों का हनन व सदन का अवमान किया गया है।

महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 159 पर कहा गया है कि लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों का अनुच्छेद 87(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के लिये एक साथ समवेत होना, लोकसभा की बैठक नहीं माना जाता है। इस सम्बन्ध में उक्त पृष्ठ पर एक फुटनोट में केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष श्री अब्दुल रहीम के निर्णय का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार है:---

"मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कम से कम मेरे एक पूर्वाधिकारी (सर फ्रैड्रिक ह्वाइट) ने स्पष्ट रूप से यह राय प्रकट की थी कि जब गवर्नर जनरल धारा 63(ख)(2) के अन्तर्गत विधान सभा के सदस्यों या विधान परिषद तथा विधान सभा के सदस्यों के सामने अभिभाषण देता है तो वह न तो विधान सभा की बैठक होती है और न दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और सभा की बैठक विधिवत् रूप से गठित तभी मानी जाती है जब अध्यक्ष अपने आसन पर बैठा हो। ----------मैं सर फ्रैड्रिक ह्वाइट के इस विचार से सहमत हूं---देखिये वि0स0वा0वि0 16-9-1963, पृ0142-53।"

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के जो एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष 19 मार्च, 1974 को राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था वह संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अन्तर्गत था। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम 14(2) और 19(2) में यह उपबन्ध है कि सदन का उपवेशन तभी विधिवत् गठित होगा जबकि अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन के उपवेशन में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो। अतः 19 मार्च, 1974 को जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा अभिभाषण किया गया था, वह विधान सभा का कोई उपवेशन नहीं था और उसमें कही गयी किसी बात को विधान सभा की बैठक में कही गयी बात नहीं माना जा सकता। अतः माननीय सदस्यों द्वारा इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान

का प्रश्न उठाना कि सदन के अन्दर कही गयी बातों तथा किये गये कार्यों की आलोचना की गयी है, ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन का कोई उपवेशन ही नहीं हो रहा था।

इसके अतिरिक्त उस दिन कुछ माननीय सदस्यों का जो आचरण था जिसमें उन्होंने राज्यपाल के हाथ से अभिभाषण की प्रति छीन ली थी और यह प्रयत्न किया था कि वे विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित न कर सकें, यह ऐसा आचरण था जो सदन के सदस्यों की मर्यादा के अनुकूल नहीं था और यदि सदन माननीय नेता विरोधी दल ने भी अपने 20 मार्च, 1974 के भाषण में इस अवसर पर घटित घटना के सम्बन्ध में 'अफसोस' जाहिर किया और यह भी कहा कि "हम लोग सदन के मेम्बर हैं और सदन की जो मर्यादा है उसका हमें निर्वहन करना ही होगा।" इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त घटना में सदस्यों का व्यवहार सदन की मर्यादा के विपरीत था। यदि सदन चाहता तो इस अमर्यादित व्यवहार का संज्ञान ले सकता था, ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकता था। इस प्रकार किसी सदस्य का जो कार्य या व्यवहार सदन की मर्यादा के विपरीत होने के कारण स्वयं ही सदन का अवमान हो और उसे यदि प्रकाशित किया जाय तो उससे सदन का अवमान है ? या सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता।

सदन के किसी एक भाग या दल विशेष के लिये मानहानि कारक शब्दों के प्रयोग को सदन का अवमान नहीं समझा जाता क्योंकि उनका प्रभाव सारे सदन पर नहीं पड़ता। इस सम्बन्ध में महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की पुस्तक संसदीय "प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 247 पर निम्नलिखित उद्धरण दृष्टव्य है --

"लोक सभा में एक मामला हुआ था, जिसमें समाचार-पत्रों के अनुसार एक राजनीतिक नेता ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि विधान मण्डल में एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि "ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी थम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लेगा और ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका का कोई अच्छा साधन नहीं है"। अध्यक्ष श्री आयंगर ने इस विशेषाधिकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दी।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष श्री आयंगर ने ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष के निम्नलिखित विनिर्णय का हवाला दिया। वह मामला डेली मेल में छपे एक सार्वजनिक भाषण में सभा के एक भाग को पागल, टोरी जलील, बदमाश और पाजी की संज्ञा दी गयी थी।

व्यक्तियों तथा दलों के लिये प्रयुक्त किये गये कठोर शब्दों के सम्बन्ध में आवश्यक हो तो मानहानि विषयक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार भंग का मामला तभी उठता है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग सारी सभा के लिये किया गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन बुरे विशषणों का प्रयोग कुछ लोगों के लिये किया गया है। इसलिये मेरे विचार में इन शब्दों के आधार पर प्रत्यक्षतः विशेषाधिकार भंग का कोई मामला नहीं उठता। हा० आ० का० वा० वि० (1954-55) 529, का० 35-36।

चूंकि जिन शब्दों के प्रकाशन के बारे में आपत्ति की गयी है वे न तो सदन की बैठक से सम्बन्धित हैं और न पूरे सदन के बारे में कहे गये हैं, साथ ही साथ वे इस प्रकार के भी नहीं हैं जिन्हें मान हानिकारक कहा जा सके। इसलिये उनसे सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम सेवक यादव—

जो आपने निर्णय दिया उसके सामने हम नतमस्तक हैं। लेकिन कुछ प्रश्न जो मैंने उठाये थे और जिन पर कहा गया था कि यह प्रश्न बाद में लिया जायगा, मुझे अफसोस है कि उस पर भी आपने निर्णय दे दिया। तो हम लोगों को आश्वासन क्यों दिया गया, हमारा समय क्यों नष्ट किया गया ? जब आप पहले से उस विषय पर अपना निर्णय तैयार करके लाये हैं। क्या मैं समझूं कि आप दिमाग अपना बदलेंगे तो इस लिखे हुए को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, इससे आपकी जागृति का परिचय मिला है और नियमों के सम्बन्ध में हमारी व्यवस्था कैसे चले, इसके लिए एक ज्वलन्त उदाहरण, प्रत्यक्ष जानकारी हम लोगों को मिली है। (व्यवधान)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की अन्य सूचनाएं

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरे एक प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

3 विशेषाधिकार के प्रश्न मेरे पास और भेजे गये हैं, जिनको मैंने देखा ही नहीं है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

मैंने भी एक दिया था, उसको कब लेंगे आप ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

वह कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा पूर्वक इस कार्यसूची को पढ़ लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

जो मैंने वित्त मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

एक-एक बोलें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने आपको एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था उसके बारे में आपने देखा नहीं। वित्त मंत्री के विरुद्ध था। छोटा सा है यद्यपि गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष —

विशेषाधिकार का प्रश्न देख लेंगे तब उसको लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पांच दिन के लिये सदन बन्द है फिर महत्व नहीं रहेगा। बजट में झूठी बातें कही हैं उसके प्रमाण हमारे पास हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वेतनमान लागू कर दिये हैं जब कि 6 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि लागू किये जायेंगे। बिलकुल झूठ है। इसलिये विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

देखा नहीं। कैसे विचार कर लें? विचार तो करेंगे लेकिन आप कहते हैं कि इसी वक्त करें। तो कैसे?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

क्या 18 तारीख को देखा जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

श्री जमुना प्रसाद बोस ने बुन्देलखंड के मुख्यालय, झांसी में माताटीला डैम से सप्लाई बन्द हो जाने के कारण दो दिन से बिना पानी के हैं। दो लाख नर नारी, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, इसके सम्बन्ध में नियम 56 में सूचना दी है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है नियम 51 के अन्तर्गत।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

प्रधान मंत्री के अखबार.....

श्री अध्यक्ष---

जो मेरे पास है उसको देखूंगा। कुछ होगा, पता नहीं।

दूसरा एक है माननीय सत्य प्रकाश मालवीय। सम्पूर्ण प्रदेश में नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन का अकाल हो गया है। यह नियम 56 का विषय नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

कल समाचार पत्रों में समाचार छपा है कि बरेली में नहाने और कपड़ा धोने का साबुन राशनकार्ड पर बट रहा है। आज इतना हाहाकार मचा हुआ है। आज न कोई शरीर और न कपड़ा साफ कर पाता है। कम से कम मंत्री का वक्तव्य करवा दें, जब साबुन राशन कार्ड से बरेली में मिल रहा है तो क्या इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था सरकार द्वारा करायी जायगी?

श्री अध्यक्ष---

आप सामान्य बहस में कहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं एक निवेदन करूंगा सरकार से। एक घटना छपी है 30 मई के नार्दर्न इंडिया पत्रिका में। घटना इस प्रकार है कि एक मुंसिफ साहब हैं जो हरिजन हैं और डिस्ट्रिक्ट जज सवर्ण हैं। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपको हिस्टरी नहीं मालूम है। यह सूचना लेकर आये सवा दस पर, समय बीत जाने के बाद सूचना दी इसलिये स्वीकार नहीं किया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं सूचना के आधार पर नहीं। मुझे अनुमति दे दें तो कहूं।

श्री अध्यक्ष---

आप 18 को उठाइये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो ये डींगें हांकते हैं हरिजनों के लिये, इनके अधिकारी कैसा व्यवहार करते हैं, चमार है मुंसिफ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिये। भेजते हैं ऐसे आर्डरली को जो पानी नहीं दे सकता। इस पर क्या सरकार का ध्यान गया, सरकार ने कोई कदम उठाया ?

श्री अध्यक्ष—

लगे हाथ अननुमोदन का प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तिवारी जी दूसरी बात कर रहे हैं। (व्यवधान) मैंने अभी निवेदन किया माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये से आप से (माननीय नारायण दत्त तिवारी) कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिर्जापुर ने मुंसिफ के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसकी वजह से वहां पर अनशन किया जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कहने से रोका गया। क्या आपका ध्यान उधर गया है कि आपके अधिकारी ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। आपने इसमें क्या किया ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। अगर वह पूरी सूचना भेज देंगे तो मैं उसकी तुरन्त जांच करा लूंगा।

एक सदस्य—

जैसा कि माधो बाबू फरमा रहे हैं कि मिर्जापुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ दुर्व्यवहार किया जो हरिजन हैं तो दिल्ली में एक कमिश्नर हैं जो हरिजन हैं वहां जनसंघ ने उनके पुछंगा लगा रखा है। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब देना मुनासिब नहीं होता। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

जनसंघ हरिजनों के विरुद्ध नहीं है बल्कि कांग्रेस की नीति के विरुद्ध है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बदले के स्वरूप में ऐसा कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

हो सकता है जनसंघ हो। (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश 1974 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 †

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है।

---

†10 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शीरा के संबंध में अब तक जो नियम थे उनमें बड़ी खामियां थीं । (सदन की बत्ती चली गई) कमियां इस प्रकार की थीं कि इस किस्म का शीरा जो 40 परसेंट कम होता था उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। विकास हेतु दिये जाने वाले शीरे के लिये आवेदन पत्र दिये जाने की व्यवस्था न थी जिससे शीरे का दुरुपयोग किया जाता था ।

(सदन में बिजली चली जाने पर अंधकार)

दूसरी चीज यह थी मान्यवर, कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय शीरा नियंत्रण आदेश में किये गये प्राविधान के अनुसार शीरे की समुचित संरक्षण हेतु सुविधायें प्रदान करने के लिय शीरे के मूल्य से आंशिक धन प्राप्त करके फंड के सृजन की व्यवस्था नहीं की गयी थी । यह व्यवस्था इस अधिनियम में कर दी गयी है। तीसरी बात यह है कि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोगों में पकड़े गये शीरे के निस्तारण की व्यवस्था न थी। इसे इसमें कर दिया गया है । जिस शीरे में शकर की मात्रा 40 प्रतिशत से कम होती थी उसके मूल्य निर्धारण की व्यवस्था कर दी गयी है । इससे चीनी मिलों के अध्यासी अच्छे शीरा को खराब श्रेणी में लाकर अनुचित लाभ नहीं उठा पायेंगे । यह हमारा संशोधन है जिसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण हमें इस संशोधन विधेयक को नहीं रखना चाहिये ।

*श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, यह विधेयक जो सामने लाया गया है देखने में जरूर छोटा है लेकिन ····

श्री अध्यक्ष---

पहले आप इसका संशोधन रखें ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे ।

मान्यवर, इस विधेयक में सरकार को 2-3 काम करने चाहिये थे । पहला जो ऐक्ट था उसके अन्दर केवल स्टोरेज का प्राविजन था और डिस्ट्रीब्यूशन का प्राविजन नहीं था। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत पकड़े गये लोगों को दंडित करने में हमें कठिनाई होती है और किसी कानून का प्राविजन करना जरूरी है। तीसरे जो मिल में शीरा इकट्ठा किया जायेगा उसके स्टोरेज की व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन तीनों बातों के लिये आर्डिनेंस निकालने की क्या जरूरत पड़ी । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गयी थी ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण इस आर्डिनेंस को जारी करने की आवश्यकता पड़ गयी। इन तीनों बातों को करने के लिये आप विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे और यहां पास करा सकते थे। स्टोरेज के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी शीरा के 100 किलोग्राम पर 0.33रु0, द्वितीय श्रेणी शीरा क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवणी सहाय]

प्रति 100 किलोग्राम पर 0.27 रु0 और तृतीय श्रेणी शीरा के 40 किलोग्राम के लिये 0.20 रु0 की धनराशि ली जायेगी। इसी पैसे से स्टोरेज की व्यवस्था की है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल मिल मालिकों को छूट देने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो अनुसूची थी वह लागू नहीं हुई। तृतीय श्रेणी से निम्न किस्म के शीरे के लिये उसमें 40 किलोग्राम की मात्रा का मूल्य 60 पैसे कर दिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाये और उस पर वहां विचार हो।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इस व्यवस्था के बारे में माननीय सदस्य ने आपत्ति की है। उनको मालूम होना चाहिये कि यह निधि जो होगी वह निधि इक्साइज कमिश्नर की स्वीकृति से ही खर्च होगी: तो फिर उसके दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता। इसमें कभी-कभी ऐसा होता था कि अच्छी श्रेणी के शीरे को भी 40 परसेंट से कम कर दिया जाता था क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। हमने अब इसकी व्यवस्था कर दी है। माननीय सदस्य को जो आपत्ति है वह इस संशोधन से दूर हो गई है। मान्यवर, अगर गौर से देखें कि जो आवेदन-पत्र होते थे उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो शीरा कहीं जब्त हो जाता था या किसी मुकदमे में सब-मैटर हो जाता था तो उसकी व्यवस्था हमने की। हमने यह भी कर दिया कि इसके लिये एक निधि बनायेंगे जो कि मिट्टी काटकर अपना शीरा रखा लेते थे, अब उसको हम पक्का करके उसमें छाजन दे सकेंगे। पहले इन सब कारणों से सरकार को टैक्स की भी हानि होती थी इसलिये हमने इसमें संशोधन का प्राविधान किया है।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक बात यह इसमें पूछना चाहता हूं कि यह जो शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक वहां है यह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

त्रुटिपूर्ण आपने कह दिया तो जब खण्ड आवे तब आप बतावें।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 11

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्

"उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानोंद्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, श्रेणीकरण और मूल्य को नियंत्रित करने तथा उसके संभरण और वितरण को लोक-हित में, विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

प्रस्तावना का निकाला जाना

3—मूल अधिनियम की प्रस्तावना निकाल दी जाय ।

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, शीरे के संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, मूल्य, संभरण तथा निस्तारण पर नियंत्रण रखने से संबद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिये एक परामर्श समिति संघटित कर सकती है।"

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, संभरण अथवा निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भू-गृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली युक्तियुक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमत समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।"

नयी धारा 7 का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

शीरे के लिए आवेदन-पत्र

"7—(1) कोई व्यक्ति, जिसे अपनी आसवनी के लिये अथवा औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिये शीरे की आवश्यकता हो, उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अपेक्षित है निर्दिष्ट करते हुए नियंत्रक को नियत रीति से आवेदन-पत्र दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और उस मामले में ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, नियंत्रक धारा 8 के अधीन आज्ञा दे सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र का निस्तारण करने में, नियंत्रक निम्नलिखित पर विचार करेगा:—

(क) शीरे की सामान्य उपलभ्यता;
(ख) शीरे की विभिन्न आवश्यकतायें;
(ग) शीरे की लोक-हित में सदुपयोगिता;
(घ) सीमा जिस तक आवेदक की आवश्यकताय यथार्थ हैं ;

(ङ) आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ ऐसे शीरे के जिसे आवेदक प्राप्त कर सकता हो, व्यपवर्तन की युक्तियुक्त संभाव्यता अथवा असंभाव्यता;

और यदि आवेदन-पत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाय तो वह उसके लिये कारणों को अभिलिखित करेगा ।"

धारा 8 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात् निम्न लिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(कक) खंड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस धारा के अधीन दी गई आज्ञा के अन्तर्गत उसे संभरित शीरे का उपयोग धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये करे और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों का, जो नियत की जाये, अनुपालन करे ।"

नयी धारा 10-क का बढ़ाया जाना

8--मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिये निधि

"10-क--शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी धारा 10 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के शीरे के लिये नियत मूल्य से नीचे उल्लिखित धनराशि अथवा ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार तदर्थ अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण में उपयोग करने के लिये एक पृथक् निधि में रखेगा:

		रु०
प्रथम श्रेणी शीरा	प्रति 100 किलोग्राम ..	0.33
द्वितीय श्रेणी शीरा	प्रति 100 किलोग्राम ..	0.27
तृतीय श्रेणी शीरा	इसमें अपचायक शक्कर की मात्रा के प्रत्येक 40 किलोग्राम के लिये ..	0.20

धारा 15 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"(1) धारा 14 के अधीन अभिगृहीत किसी शीरे या किन्हीं वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट, ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र, अधिकारितायुक्त मैजिस्ट्रेट को की जायगी, जो ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और शीरे का नमूना लेने के पश्चात् नियंत्रक की आज्ञाओं के अनुसार उसका निस्तारण करने के लिये ऐसे निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।"

अनुसूची का संशोधन

10--मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:—

अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)	पात्रों में भरने तथा पार्श्व-वायन के व्यय सहित प्रति क्विंटल शीरे का अधिकतम मूल्य
1	2	3
		रु०
प्रथम ..	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर	. 1.00
द्वितीय ..	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक	. 0.80
तृतीय ..	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक	. 0.60

टिप्पणी—तृतीय श्रेणी से निम्न किस्म के शीरे के लिये उसमें प्रत्येक 40 किलोग्राम अपचायक शक्कर की मात्रा का मूल्य 60 पैसे होगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1974 निरसन तथा अपवाद

11--(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी बात को अथवा किया गया कोई काय, इस अधिनियम के अधीन की गयी बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो वह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तथा 11 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रक अधिनियम, 1964 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह विधेयक उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पांडेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अननुमोदन का संकल्प तथा इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974†

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है।

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन), विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

*श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे।

श्रीमन्, इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 के द्वारा ये इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 को कुछ मायनों में संशोधित करना चाहते हैं। मेरा इस अध्यादेश को अननुमोदन करने और विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति में भिजवाने का तात्पर्य यह है कि यह जो आज विधेयक लाया गया है वह मूलतः किसान विरोधी है, क्यों है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इस विधेयक के द्वारा सरकार ने जो हम लोग कोर्ट्स में जाते थे या जनता जाती थी, एफिडेविट देने के लिये, एग्रीमेंट्स या पार्टिजन डीड्स जो लिखे जाते हैं, उन सब चीजों के लिये जो अभी तक फीस निर्धारित थीं, उन सारी चीजों में इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी कर दी है कि उन्होंने आगे चल कर जो स्टाम्प एक रुपये का था उसकी जगह अब 2 रुपये कर दिये हैं। इसी प्रकार से एफिडेविट में जहां पर एक रुपया लगता था, 2 रुपये अब लगेंगे। रजिस्ट्रेशन की फीस भी जहां पर 45 रुपये थी, उसको इसके द्वारा 75 रुपया कर दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे के पूरे ऐक्ट में दुगुनी और तिगुनी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी है।

---

†10 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैसे तो आप कहते हैं कि बजट में भी जो कल सदन में पेश हुआ है कि कोई टैक्स लगाने की बात नहीं की लेकिन आपने विधान सभा का सत्र आरम्भ होने के पहले ही आर्डिनेन्स के द्वारा, ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिये हैं, जिनका विधान सभा के सामने आना बहुत अनिवार्य था। ये जो स्टाम्प है, इसे कौन खरीदता है, जिले में गांवों में बसने वाले या जो मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं, उन्हे ही खरीदना पड़ता है। इसमें कोई दर ऐसी नहीं बची है जिसे दुगुनी और चार गुनी न की हो। जैसा माननीय गर्ग साहब ने कहा था कि ऐसे अध्यादेशों को हमेशा विधान सभा के सामने आना चाहिये। यह टैक्स जन विरोधी है, इस पर विस्तृत रूप से सदन में विचार होना चाहिये था लेकिन आपने ऐसा अवसर न देकर बड़ी चालाकी से आर्डिनेन्स के रूप में लाकर राज्यपाल द्वारा निकलवा दिया। 24 तारीख को या 25 तारीख को यह आर्डिनेन्स लगाया जाता है। हर जिले के लोगों ने उस रेट्स पर वसूल करना आरम्भ कर दिया। नेशनेल हेराल्ड में एक समाचार हो गया कि यह 24 तारीख से लागू हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर जिले में वहां के स्टाम्प वालों ने इन रेट्स पर जो पैसा वसूल किया उसका देनदार कौन होगा ? या तो आप इसको 25 तारीख से लागू करते अथवा समाचारपत्रों में इस प्रकार का समाचार प्रकाशित नहीं होना चाहिये था। लेकिन हो गया। तो पैसा जो इकट्ठा हुआ है वह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। मैं एक एक क्लाज पर आता हूं। आप देखें इसको।

मूल अधिनियम की धारा (क्लाज) 3 में देखें--इसमें पहले 4.50 रुपये थे, अब उसके बजाय 5 रुपया हो गया। 6 में खंड 2 में पहले 1 रुपया था अब उसको 2 रुपया कर दिया। खंड 3 में है, आर्टिकिल 5 के खंड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर 5 रुपये कर दिये गये, पहले 2.25 रुपये थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पेज 3 पर सेक्शन 5 में जहां पहले 22.50 पैसे थे अब कर दिये 37.50 पैसे। उपखंड 6 में डेढ़ सौ के स्थान पर 225 रुपये कर दिये गये। उपखंड 7 में देखें कि जहां पहले 22.50 रुपये थे, अब 37.50 रुपये हैं। इसी तरह से उप खंड 8 में जो लिखा है--

"आर्टिकिल 15 के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय।" तो इस तालिका में जहां प्रतिभूत धनराशि या मूल्य 10 रुपये से अधिक न हों इसमे 45 पैसे किया जो कि पहले 35 पैसे था। आगे 10 रुपये से अधिक किन्तु 50 रुपये से अधिक न हों, उसमें पहले 75 पैसे था, उसको 1 रुपया कर दिया। 50 रुपये से अधिक, किन्तु 100 रुपये से अधिक न हो--3.25 रुपये थे, उसे 3.75 रुपये कर दिया। 100 रुपये से अधिक, किन्तु 200 रुपये से अधिक न हों 4.50 रुपये थे, अब 7.50 रुपये कर दिया। 200 से अधिक, किन्तु 300 रुपये से अधिक न हो--11.25 रुपये कर दिया, पहले 6.75 रुपये थे। तो हर तालिका में यही हालत है। कोई अन्दाजा, कोई ध्यान करते हुए कि आखिर किस हिसाब से लगाना है, खाली उद्देश्य में लिख दिया कि हमें संशोधन बढ़ाने है तो उसके लिये चाहे किसी का गला घोटना पड़े, इसका कोई खयाल नहीं किया। आपको तो लिखना चाहिये था कि गरीब जनता का गला घोटना है तब तो बात समझ में आती है।

आज जो ट्रेजरी बेंच पर बैठ कर बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। कहते हैं कि बड़े टैक्सों से गरीबों को बचायेंगे। आज परोक्ष में राज्यपाल के माध्यम से जो आर्डिनेन्स निकाला है यह किसान विरोधी नीति है। आज ट्रेजरी बेंच में बैठ कर किस तरह से देश की जनता को चूसना चाहते हैं उसका नमूना है। आगे चल कर जो इसमें एक अच्छी व्यवस्था की है उसका स्वागत करता हूं। यह किसान के हित में है। अगर स्टाम्प नहीं मिलता है तो परेशानी होती है, बेचारा भागता है और जहां मिलता भी है तो स्टाम्प वेंडर तंग करता है ज्यादा पैसा चार्ज करता है। अब यह कर दिया गया है कि अगर स्टाम्प नहीं है तो उतना रुपया क्लाइंट बैंक में जमा कर देगा, चालान लायेगा और मैजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट ईश्यू हो जायगा और

[श्री त्रिवेणी सहाय]

वह माना जायगा । यह तो व्यवस्था उचित है, लेकिन आपने जो स्टाम्प के जरिये इतना रुपया इकट्ठा करने की कोशिश की है उससे हलचल मची हुई है जनता में । इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आवश्यक समझता हूं कि इसे निश्चय ही प्रवर समिति में जाना चाहिये । वहां मौका मिलेगा कि स्टाम्पों के संबंध में कैसे रेट तय करें ।

हमारे वित्त मंत्री जी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब से वहां बैठे हैं तब से कितना पैसा सरकार के खजाने में किसी तरह से भी जमा हो जाय इसी चिन्ता में वह बराबर लगे हुये हैं । इसीलिये उन्होंने विधान सभा सत्र शुरू होने से पहले ही 7–8 आर्डिनेंस जारी करा दिये जिन के माध्यम से इन्डायरेक्ट टैक्सेज लग गये और मूल्य बढ़ा दिया उन चीजों की जो हमेशा हमारे प्रयोग में आती है । डीजल का प्रयोग आज किसान के घर में ज्यादा होने लगा है । उस पर भी आर्डिनेंस के माध्यम से टैक्स बढ़ा दिया । इसलिये मैं फिर कहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ।

*श्री मुहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)—

मोहतरिम स्पीकर साहब, इस सिलसिले में फाजिल मेम्बर ने जो बहस में हिस्सा लिया उसका एक रुख और भी है । इस कानून के जरिये से जहां शरह बढ़ी है वहां इसका एक रुख यह है कि हमारे वेन्डरों और स्टैम्प के सिलसिले में जो इन्तजाम रखा है जिलों में वह ठीक नहीं है । उनका कमीशन इतना कम है कि वह शायद 4 फीसदी पड़ता है जो स्टैम्प खरीदने के सिलसिले में ही खर्च हो जाता है और जनता को जब स्टैम्प देते हैं तो फी रुपया इकन्नी जायद कर देना पड़ता है। इसलिये इसे वाकई एक कमेटी के सिपुर्द होना चाहिये ताकि स्टैम्प के सिलसिले में कितनी खामियां और खराबियां हैं वह सामने आयें और उनको दूर किया जा सके । इसका ताल्लुक रजिस्ट्रेशन से भी होता है । जब स्टैम्प बढ़ाते हैं और रजिस्ट्रेशन में डीड जाता है तो वहां भी औसत लगायी जाती है कि कितने का स्टैम्प है उसी हिसाब से वहां भी रिश्वत का बाजार गर्म होता है । यह एक बहुत ही अहम बिल है, इसको सरसरी तौर से नहीं लाना चाहिये बल्कि एक कमेटी के सिपुर्द कर देना चाहिये ताकि वह देखे कि इसमें क्या खामियां और खराबियां हैं और एक अच्छा खासा कानून सामने आ सके ।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बजट का कुछ हिस्सा पढ़ा । विशेषतौर से जो कर नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की वह समझ में नहीं आती । कहीं पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया, कहीं शीरे पर लगा दिया, कहीं स्टैम्प पर लगा दिया । इससे बड़ी-बड़ी योजनायें कैसे चल पायेंगी । हमें किसी तरह से केन्द्र या योजना आयोग से रुपया लेना चाहिये जिससे यहां की जनता को करों से कुछ मुक्ति मिल सके ।

जहां तक स्टैम्प का सवाल है, छोटे-छोटे किसानों और दुकानदारों का इससे काम पड़ता है । छोटा किसान वैसे भी परेशान है । इस तरह से आर्डिनेंस के द्वारा, जो कि प्रजातांत्रिक तरीके में बिलकुल अव्यावहारिक है, टैक्स लगाना ठीक नहीं है । टैक्स विदाउट रिप्रेजेन्टेशन इज नो टैक्स ऐट आल । इस पर पूरी बहस का मौका दिया जाय और सदन से पूछा जाय कि उसकी क्या राय है । एक तरफ तो वह टैक्स लगाये जा रहे हैं जो जनता देने में बिलकुल अक्षम है और दूसरी तरह हठधर्मी के साथ उनको लादा जा रहा है। इस प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो गयी है कि बराबर आर्डिनेंस जारी किये जायं। इस तरह से हम कितने दिनों तक अपनी गाड़ी खींचेंगे । अभी मैं शीरे वाले बिल पर कुछ नोट तैयार कर के आया, उस पर मुझे कुछ बोलना था कि फौरन हां, न कर के उसे खत्म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिया जाय। ऐसी स्थिति में मेरी यह राय है कि इसको प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय ताकि गरीबों को राहत मिल सके ।

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, 23 मई, 1974 को एक अध्यादेश जारी कर के स्टैम्प ड्यूटी को बढ़ाया गया जब कि इस विधान सभा का अधिवेशन 6 जून से आरम्भ होने वाला था। 13 दिन पहले कौन सी ऐसी जल्दी थी जिस के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया, यह मेरे समझ में नहीं आता। इस अध्यादेश के दो भाग हैं। एक भाग में शुल्क की दरों को बढ़ाया गया है। दूसरे भाग में स्टैम्पों की कमी के लिये व्यवस्था की गई है। इसको पढ़ने से यह प्रकट हो रहा है कि वास्तव में स्टैम्प की कमी थी और इस कमी की आड़ शुल्क की दरों को भी बढ़ा दिया गया है। मैं पूछता हूं कि शुल्क की दरे बढ़ाने से कौन प्रभावित होगा ? अदालत में बयान हल्फी वगैरह कौन लगाता है ? जमानत आदि के लिये भी बयान हल्फी लगाना होता है । पहले इस पर कोई शुल्क नहीं लगता था । फिर एक रुपया शुल्क लगाया गया, अब दो रुपये करने का प्राविधान किया जा रहा है । तो यह सब गरीब पर ही पड़ेगा । यह काश्तकारों, गरीबों तथा अन्य लोगों के साथ सर्वथा अन्याय है । अंग्रेजी राज्य के बाद हम आशा करते थे कि धीरे-धीरे सस्ता न्याय हमें सुलभ हो सकेगा, मगर सरकार दिन प्रति दिन न्याय को महंगा करती जा रही है जिसके कारण गरीब न्याय नहीं पा रहा है । यह विधेयक जनता विरोधी है । न्याय को महंगा बनाने वाला है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और प्रवर समिति में भेजने तथा राय जानने के लिये जो संशोधन आया है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, रोज हम देखते हैं कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में तरह-तरह की सुविधायें प्रदान करने की मांग करते हैं । हर माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में विकास के कार्य चाहते हैं । यह निश्चित बात है कि उस के लिये धन चाहिये । धन के लिये यह जरूरी है कि कर लगाये जांय । हम सदन में यह देख रहे हैं कि विरोध पक्ष हर चीज का यहां पर विरोध करता है । जो भी अध्यादेश यहां पर प्रस्तुत किया गया, उसका विरोध किया गया । विरोध करना ही विरोध पक्ष अपना कर्तव्य समझता है । कभी यह सुझाव विरोध पक्ष से नहीं मिला कि फलां-फलां वस्तु पर टेक्स लगाइये, उससे पैसा मिलेगा । हर बिल पर यह संशोधन रख दिया जाता है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

यह एक बात देखने की है कि इसको प्रवर समिति को क्यों सौंपा जाय और वह किस लिये इस पर विचार करें और निर्णय ले। मैं तो यह चाहता हूं कि बिरोधी पक्ष इस कारण की विवेचना करे और रचनात्मक ढंग से इसे समझे और इसके एक-एक खंड पर एक-एक शब्द पर बिचार करे । मैं तो यह निश्चित मानता हूं कि विरोधी पक्ष इसे पढ़ें इसे समझे और इस पर रचनात्मक सुझाव दे । तो यह मेरी राय है कि इसको प्रवर समिति को न सौंपा जाय चाहे संशोधन कुछ भी पेश हो। प्रवर समिति को सौंपा जाय यह कोई बात नही हुई। तो श्रीमन् वित्त मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्टाम्प के सिलसिले में बहुत सुनीं। बहुत से पहलू इस सिल लिले में आ चुके हैं लेकिन मैं एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जहां तक सरकार की इस बात का ताल्लुक है कि उसने टैक्सेज लगाये हैं, बहरहाल कोई भी सरकार बगैर टैक्सेज लगाये नहीं चल सकती है और टैक्स लगाना जरूरी है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसको आमदनी हो। आमदनी के जरिये से ही हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। मैं इससे एक तरफा नहीं कर सकता हूं। क्योंकि बाज चीजें इस किस्म की हैं कि जिन पर टैक्सेज ज्यादा लगाने से आवाम के ऊपर असर पड़ता है, गरीबों और किसानों के ऊपर असर पड़ता है। एक सौदा ऐसा होता है जिसको खरीद कर बेचा जा सकता है लेकिन स्टाम्प को दुबारा खरीद कर बेचा नहीं जा सकता है। जहां तक और चीजों का ताल्लुक है, जिन पर कि आपने टैक्सेज लगाये हैं और जिन चीजों पर टैक्सेज लगाये हैं, उनको खरीद कर बेचा जा सकता है। पर स्टाम्प के सिलसिले में हमारा पैसा वापस नहीं हो सकता।

चूंकि स्टाम्प खरीद कर बेचा नहीं जा सकता इसलिये इस सौदे के बदले में कुछ नहीं मिलता। इसलिये जो लोग इसको खरीदते हैं, ज्यादातर गरीब आवाम ही इसको खरीदता हैं या जिनका मकदमेंबाजी से वास्ता पड़ता है उन पर इसका असर पड़ता है और उन्हीं को महसूस होता है कि इस टैक्स की अहमियत क्या है इसलिये इसको कमेंटी के सामने जाना चाहिये। ऐसे लोग ज्यादा हैं इस देश में जो बिल्कुल गरीब हैं, आज जनता कचेहरी में जाती है मामूली-मामूली चीजों पर उनको दरख्वास्त देनी पड़ती है। अदालतों के अन्दर जाना पड़ता है। आज मुकदमेंबाजी इस कदर बढ़ गई है कि इस मुल्क के अन्दर मामूली-मामूली झगड़ों पर आदमी कचेहरियों में जाते हैं जगह-जगह पर स्टाम्प की जरूरत पड़ती है तो स्टाम्प जैसी चीज कि जिस पर कि सरकार टैक्सेज को बढ़ा रही है इससे सरकार की आमदनी पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि अगर वह मुनासिब समझें मेरी अपील को तो इसको प्रवर समिति को सौंप दें। यह टैक्स आवाम के लिये बहुत ज्यादा है और आवाम इससे काफी प्रभावित होगा तो मैं फिर कहता हूं कि इसको आप कमेटी के सुपुर्द करें और जो फैसला कमेंटी क उसको मान लें।

एक बात मैं इतनी और गुजारिश करूंगा कि जहां तक आपने बजट में और भी चीजें पेश की हैं फिलहाल में उन पर आने वाले वक्त में इस बात का फैसला यह सदन करेगा कि जिन-जिन चीजों पर आप टैक्सेज लगाये हैं और जो आवाम की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है उन पर टैक्सेज लगे या नहीं।

श्री गोविंद प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मैं आपाका बड़ा आभारी हूं कि इस संशोधन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह जो बजट हमारे सामने कल आया उसको देखते हुये यद्यपि हमको बहुत खशी नहीं है। इसलिये खुशी नहीं है कि इस बजट में टैक्सेशन इतनी तीव्र गति से नहीं हुआ है जितनी गति से होना चाहि था। इस बजट से जनता की जो आकांक्षायें थी उनकी पूर्ति नहीं हुई है। हम तो यह मानते हैं कि कोई भी सरकार बिना कर लगाये जनता के स्तर को ऊंचा नहीं कर सकती है। जैसा कि विरोधी भाई ने स्वीकार किया है कि टैक्स लगाने में सरकार इस बात को ध्यान में नही रखती है कि इसका गरीबों पर भार डालने के बजाय अन्य विकल्प प्रस्तुत करें। स्टाप डयूटी बढ़ने पर जो जनता से कर भार बढ़ रहा है उसके बदले में कौन से दूसरे टैक्स लगाये जांय जिससे गरीब जनता कर भार से बचे। ऐसे यदि सुझाव आयें तो उस पर हम लोग अपने दिमाग में एक नई तस्वीर बना सकते हैं। परन्तु यह कह दें कि कोई टैक्स न लगें क्योंकि इससे गरीब और मजदूरों पर भार अधिक पड़ता है तो मैं उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं

कि जितने टैक्स सरकार ने बढ़ाये हैं उससे अधिक तो भार उन पर वकीलों की कितनी आय से बढ़ी है। वकील लोग छोटी-छोटी बातों के लिये 50-50 तथा 100-100 पये लेते हैं। उससे मजदूरों तथा गरीबों का जितना धन मुकदमा लड़ने में खर्च होता है उससे मजदूर तथा गरीब किसान सरकार का टैक्स 5 साल तथा 10 साल तक दे सकते हैं। इस प्रकार हम भी नहीं चाहते कि गरीब जनता का कर भार बढ़े। लेकिन मान्यवर, सरकार ने जब भी कोई ऐसे कदम उठाये हैं तो हम जानते हैं कि उसमें अंडंगे लगे हैं जैसे कि प्रिवीपर्स को समाप्त करना बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि स्टाम्प विधेयक के ऊपर जो डिबेट का समय लिया है उसके संबन्ध में मझे कहना है कि इस कर को इस दृष्टि से न लिया जाय कि उसका भार गरीबों पर अधिक पड़ें बल्कि आज जो यह धन टैक्स के रूप में मिलेगा उसको अगर सही माने में सरकार उनके विकास में, उनके जीवन को खशहाल बनाने में लगाती है और उस पैसे का ठीक-ठीक सदपयोग करती है तो मैं समझता हूं कि यह बहत बढ़िया बात होगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्टाम्प पर जिस तरह से कर लगाये गये हैं वह बहुत बढ़िया है। उसमें अगर आप बारीकी से देखें तो छोटे मजदूरों के मकदमें छोटे रहते हैं और इनलिये उन पर स्टाम्प भी कम रुपयों के लगते हैं। उनकी कोर्ट फीस भी कम लगती है। यह ठीक व्यवस्था है कि छोटी रकम में कर कम है और बड़ी रकम में अधिक कर लगता है। जैसे कि 2000 रु० के मकदमें में कोर्ट स्टाम्प अधिक रुपयों के लगेंगे और 10 लाख रु० रु० के मुकदमे में कोर्ट स्टाम्प अधिक रुपयों के लगेंगे इस प्रकार गरीब तबके के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने आपनी प्रखर बद्धि का परिचय दिया है। श्री तिवारी जी सबसे पहले एम० एल० ए० होकर आये थे। यह वित्तीय मामले के विशेषज्ञ तथा प्रखर बद्धि के हैं। उन्होंने इस तरह से इस कर का आरोपण किया है मेरे ख्याल से अनकल है।

हमारे विरोधी भाई भी जो बात कर रहे हैं वह भी ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कहता कि कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिये या कोई ऐसा साइन्टिफिक तरीका होना चाहिये जिसके आधार पर गरीबों पर न्यनतम बोझ पड़े और ऊंचों पर ज्यादा। हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि क्या किया जाय ऐसी स्थिति मे, आप भी देख रहे हैं और हम भी, कैसे उनको बचाया जाय। आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो, लेकिन जब तक कर नहीं लगेंगे कैसे आपकी और हमारी आकांक्षा पूरी होगी। हां, जो बात देखने की है वह यह है कि उन टैक्सों का सदपयोग होना चाहिये। पैसे का सदपयोग कैसे ठीक-ठीक हो इस तरफ आप ध्यान दिलाइये। इन शब्दों के साथ म इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसलिये विरोध कर रहा हूं और आपके माध्यम से माननीय सदन के उपनेता श्री तिवारी जी से यह बतलाना चाहता हूं कि यह इसलिये लगाया गया है कि हर बातों में सरकार यह कहती है कि धनाभाव है देश की जनता करों के बोझ से कितनी भी कराह रही, हो लेकिन टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है और जिस तरह से शरीर के सारे बोझ को पैरों को वहन करना पड़ता है उसी तरह दिन-प्रति-दिन बकाये जाने वाले टैक्स का बोझ छोटे और शोषित तथा उत्पीड़ित तबके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम]

पर पड़ रहा है । वह छोटा खेतिहर किसान बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है, उस पर इनका बोझ सबसे अधिक पड़ेगा । मेरे मित्र कहते हैं कि विरोधी पक्ष कोई रचनात्मक सुझाव नहीं देता । क्या आप कभी रचनात्मक सुझाव मांगते भी है । इस देश के किसान जिनकी तादाद 80 प्रतिशत है वह सबसे ज्यादा कठिनाई के दौर से गुजर रहा है जमीनों के झगड़े में । आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस दिशा में विदेशी हुकूमत थी । क्या सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस बातको नहीं जानते कि एक ऐसा भी गवर्नर हुआ है लार्ड कारनावालिस जिसने गरीब किसानों की तकलीफों को महसूस किया और पूरे देश में भूमि सुधार का व्यापक अभियान चलाया था । उस दौरान वह गाजीपुर जाते जाते समाप्त हो गया, लेकिन उसने कुछ ठोस कदम उठाये ।

आप लोगों ने रजत जयन्ती तो मना ली, लेकिन आज 27 वर्ष हो गये, जमीन के झगड़े ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, कहने के लिए आपने जमींदारी का उन्मूलन कर दिया लेकिन वह जमीन बड़े-बड़े किसानों और सामन्ती लोगों के आधिपत्य में है । आज का किसान जब राहत पाने के लिए कोर्ट में जाता है तो पहले से उसकी कमर टूटी हुई है और उसके बाद आपने स्टाम्प का मूल्य बढ़ा दिया तो उस पर क्या गुजरेगी, क्या आपने इसका ख्याल किया है । ऐसी स्थिति में हम कौन सा रचनात्मक सुझाव दें । हमारे पास एक ही रचनात्मक सुझाव है जो कृष्ण जी ने गीता में दिया उन गरीबों को जगाने का । उसे ही आप खुदाई-फरमान समझे:—

उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,
काबे उमरा के दरोदीवार हिलादो ।
सुल्तान जम्हुर-ऐ-का आता है जमाना,
जो नक्शे कुहन तुमको नजर आये मिटा दो ।
जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोजी,
उस खेत के हर खूशये गन्दुम को जला दो ।

यह स्थिति है । आप प्रशासनिक व्यय में कटौती नहीं करेंगे । वह गरीब किसान जो कोर्ट कचेहरी में चूसा जाता है उसके स्टाम्प की कीमत बढ़ा देंगे । मेरे मित्र कहते हैं कि बड़े लोगों पर इसका ज्यादा भार पड़ेगा। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि यह बड़ा गंभीर मसला है । और उसको इस तरह से न टालें। प्रशासनिक व्यय में कटौती करें। धनाभाव की बात बार-बार कही जाती है और उसकी पूर्ति करने के लिये कर बढ़ाये जाते हैं, अध्यादेश लाये जाते हैं। यह उसी तरह से है कि सिर में दर्द हो, या पीठ में दर्द हो, या कमर में दर्द हो तो दे दो ए0 पी0 सी0 की गोली । हम लोग अपना दु:ख दर्द कितना भी कहें तो कहा जाता है कि धनाभाव है । आज भी किसान कोर्ट में सबसे ज्यादा चूसा जाता है । अब स्टाम्प ड्यूटी बढ़ने से उसकी क्या स्थिति होगी इसको भी आपने कभी सोचा है । जब यहां की बागडोर संभाली थी तो मुख्य मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हमारे मिनिस्टर लोग डिनर नहीं खायेंगे । लेकिन क्या प्रशासनिक व्यय नहीं हो रहा है और क्या वह डिनर नहीं खाते हैं। मुझे सन् 1920 की घटना की याद आती है । अकबर इलाहाबादी जो कि एक बहुत बड़े शायर थे और जस्टिस रहे ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

आपने गीता का श्लोक नहीं सुनाया ।

श्री पुरुषोत्तम (देवरिया)—

वह मैं आपको बाद में बतला दूंगा । मैं कह रहा था कि अकबर इलाहाबादी जो कि जस्टिस रहे और एक बहुत बड़े शायर थे उन्होंने....

श्री राजबहादुर चन्द—

क्या वह जस्टिस भी थे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो दूसरे सदस्य बार-बार उनको टोक रहे हैं क्या यह उचित है ?

श्री पुरुषोत्तम (देवरिया)—

मैं जो कह रहा हूं अगर वह उसकी प्रमाणिकता को गलत सिद्ध कर देंगे तो मैं उनका आभार मानंगा । उस समय देश में चरित्रवान नेता होते थे । अकबर इलाहाबादी एक युगदृष्टा थे और उन्होंने देखा कि ऐसा भी वक्त आने वाला है जब ऐसी भी लोग होंगे जैसे कि आज सत्ता में बैठे हुए हैं । उन्होंने उस समय लिखा "कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ।" आज हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है । इस स्थिति में टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जाना बहुत ही अनुचित है । मैं पुनः सदन का और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस स्टाम्प ड्युटी में वृद्धि का भार सबसे ज्यादा गरीब किसान पर पड़ेगा जो कि भूखा रहकर अपना अस्तित्व बचाने के लिये कोर्ट कचहरी की शरण में जाता है । इसलिये आप इसको प्रवर समिति को भेज दें जैसा कि जनसंघ के नेता ने प्रस्ताव किया है । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने पमुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया ।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इंडियन स्टाम्प विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। इधर दो तीन दिनों में जो आर्डिनेंसेज जारी हुए उनके विषय में कुछ बुनियादी प्रश्न उठाय गय हैं और यह कहा गया है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है यह उसकी आत्मा के, उसके आदेशों के प्रतिकूल है ।

(व्यवधान)

इस विषय में कल गर्ग साहब ने एक बात उठाई कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।" गर्ग साहब एक बुद्धिमान आदमी हैं । मैं उनकी तकरीर बड़ी गौर से सुनती हूं । मैं जानती हूं कि गर्ग साहब ज्ञान के भंडार है । लेकिन मुश्किल यह है कि वह एक बात कहकर चले जाते हैं और यहां उनके बारे में बोलने वालों की छीछालेदर होती है। जो बात उन्होंने उठाई कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन, यह बात अमरीका में उठाई गयी थी और उस जमाने में उठी थी, जब अमरीका अंग्रेजों का गुलाम था । लेकिन हमारे ऊपर यह चीज लागू नहीं होती । उस जमाने में अमरीका का कहना ठीक था, क्योंकि पार्लियामेंट में उनका कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं था । अमरीका की हुकूमत होती थी इंगलैन्ड के राजा के द्वारा । लेकिन हम आज भारत वर्ष में गुलाम नहीं हैं । हम आजाद हैं और प्रजातंत्र के द्वारा हमारी हुकूमत कायम है ।

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

गए साहब हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया आपके सामने । इसी का मैंने स्पष्टीकरण किया । हमारे देश में प्रजातंत्रवाद है । जो अध्यादेश जारी हुये हैं, जनहित को देखते हुये हमारी सरकार को उसे करना पड़ा है, क्योंकि कभी पैसे का सवाल सामने आता है । धन का सवाल सामने आता है । जो अध्यादेश जारी किया गया, उसके द्वारा हमारी माननीय तिवारी जी ने यह बात पेश की कि अगर बैंकों का नेशनालाइजेशन अध्यादेश द्वारा न होता तो हमारी पूंजी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध प्राबुलम हो जाती, जिसको टेकल करना मुश्किल हो जाता । तो यह जो अध्यादेश जारी किया गयाहै,यह कोई चोरी की बात नही है या यह कोई बैंक डोर इण्ट्री नहीं है, इसको आप मन्जूर भी कर सकते हैं और नामन्जूर भी। यह प्रजातंत्र के नियमों के अनुकूल आपके सामने पेश किया गया है, प्रतिकूल नहीं।

किसानों के विषय में हमारी कुछ भाइयों ने बड़ी सुन्दर भाषा में कवितायें पेश कीं । जो उन्होंने कवितायें सुनायी, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की बेहतरी के लिये इस सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाये हैं और अब भी उठा रही है। यह जो जमींदारी उन्मूलन किया गया, उससे किसका फायदा हुआ ? किसानों को । जमींदारी खत्म हुई और किसानों को पूरे अधिकार जमीन पर मिल गये । उसके पश्चात् बराबर क्रांतिकारी कदमों के द्वारा, नियमों के द्वारा सरकार सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बराबर लगी हुई है । हमारी इसी सरकार ने हिन्दुस्तान का उद्योगीकरण किया है और उद्योगीकरण के जरिये सरकार पूरा फायदा किसानों को पहुंचा रही है फर्टिलाइजर दे कर, डैम्स बनवा कर, नलकूप बनवा कर, सड़कें बनवा कर और बिजली दे कर । इस प्रकार हमारी यह सरकार किसानों के हित में जो कुछ कर सकती है कर रही है ।

मैं यह निवेदन करूंगी कि अगर हम किसानों की बेहतरी चाहते हैं तो हमें अपनी आमदनी भी बढ़ानी होगी (व्यवधान) अगर हम धन एकत्रित नहीं करेंगे और रिसोर्सेज को टेप नहीं करते तो हम जन कल्याण नहीं कर सकेंगे । जैसे गंगा तथा बड़ी-बड़ी नदियों का पानी बटोर कर हम रिजरवायर में इकट्ठा करते हैं और फिर नहरों के जरिये उसे किसानों के खेतों तक पहुंचाते हैं उसी तरह से धन को एकत्रित करके, एक पूल में जमा करके अलग-अलग विभागों में बांट देते हैं ताकि उनके द्वारा देश की उन्नति हो सके । इसी का परिणाम है कि गरीब से गरीब किसान के घर तक आज बिजली पहुंच गयी है और खेतों में फायदा हो रहा है । अगर धन एकत्रित नहीं होगा तो हम किसान को फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे । इसलिये स्टाम्प्स के बारे में जो अध्यादेश इस सरकार ने जारी किया है उसका मैं पूरे तौर से समर्थन करती हूं । अगर स्टाम्प फीस बढ़ा दी गयी है तो मेरा कहना यह है कि किसानों को मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिये, उसको अदालत की शरण नहीं लेनी चाहिये । जिस प्रकार किसान सूदखोर बनिये के पास जा कर धीरे-धीरे बरबाद हो जाता है लेकिन कोआपरेटिव्स के जरिये से हमने किसान को राहत दी उसी तरह से जमीन के तथा घरेलू झगड़ों में भी किसान को अदालत का सहारा न ढूंढना पड़े ऐसी हमको व्यवस्था करनी चाहिये । किसान को परेशानी आज टैक्सेज की वजह से नहीं है बल्कि देश की दौलत कुछ चन्द जमाखोरों तथा चोरबाजारियों के हाथ में जमा हो गयी है उनकी वजह से है और उन्हीं के साथ विरोधी दलों की बड़ी हमदर्दी है । इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी ने जो यह बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मुख्य प्रश्न यह है कि स्टाम्प ड्यूटी कित ी बढ़े । अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के लोग कोई रचनात्मक सुझाव नहीं देते । किसी ने कहा कि आप सड़क की मांग करते हैं, पुल की मांग करते हैं, स्कूल की मांग करते हैं, अस्पताल की मांग करते हैं तो उसके लिये पैसा कहां से आवेगा । उनका यह कहना ठीक है लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि कितना बढ़ाया जाय । आपको क्या यह मालूम नहीं है कि अभी 7/8 वर्ष पहले जो दरख्वास्तें अदालतों में दी जाती थीं उन पर स्टाम्प ड्यूटी 12 आने लगती थी और उसी स्टाम्प ड्यूटी की मौजूदा कीमत आज डेढ़ रुपया है। कहांतक बढ़ायेंगे, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं । पहले रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क था, जो लोग मकान आदि बेंचते थे उसके रजिस्ट्रेशन में क्या स्टाम्प ड्यूटी लगती थी और आज वह शत-प्रतिशत बढ़ गई है। उसकी कोई सीमा तो होगी । यह तर्क देने से काम नहीं चलेगा । अभी माननीया बख्शी जी बोल रहीं थीं और कह रही थीं कि गर्ग साहब ने कह दिया कि आर्डिनेंस नहीं निकालने चाहिये और उसके लिये उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उदाहरण पेश किया । वह तो बात समझ में आती है । अगर आर्डिनेंस के जरिये न किया जाता तो खजाना खाली भी हो सकता था । लेकिन मैं पूछ सकता हूं कि आप स्टाम्प ड्यूटी क्यों बढ़ा रहे हैं । यह कोई खजाना है ? इस तरह से सच्चाई से हट जाना मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों के लिये शोभा नहीं देता । कहते हैं सुझाव दो । हम क्या सुझाव दें । एक संशोधन विधेयक के जरिये पहले ही आपने सौ फीसदी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी है और इसके जरिये आप उसे 150 फीसदी करना चाहते हैं। आप जो काम करना चाहते हैं उसके अन्जाम उल्टे होते हैं ।

अभी आपने बड़े-बड़े कवाल टाउन्स के अन्दर सम्पत्ति के ट्रांसफर और मकानों के बयनामे रोक दिये हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े कवाल टाउन्स हैं और वहां के जो बड़े-बड़े लोग हैं जो धन-पशु लोग हैं वे मद्रास, बम्बई जहां कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, में जाकर रजिस्ट्री करवाते हैं । इस तरह से आपके रोकने का कोई फायदा नहीं है । इससे आपके प्रदेश को जो फायदा होने वाला था वह नहीं हुआ । गरीब बेचारा मारा गया । माननीय नारायण दत्त तिवारी हमारे पुराने मित्र हैं । ये कभी इधर भी बैठते थे । मैंने इनके भाषण भी सुने हैं मौजूदा पार्टी की सन् 47 से सरकार रही है । जमीन की लगान की बात जो कि उन्होंने अपने बजट भाषण में कही है, वह किस किस्म की लगान है । आप जरा ठंडे दिल से अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचिये । जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, राजे महाराजे खत्म हो गये किन्तु आज भी उनकी जमीन का लगान 4 आने एकड़ है और उसी क्वालिटी की जमीन दूसरे के लिये 7,8 और 10 रुपये एकड़ है ।

कभी आपने विचार किया इस प्रश्न के ऊपर कि जमीन का लगान उसकी किस्म के ऊपर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी के अनुसार होना चाहिये ? कल आपने उसमें कहा तो मैंने आपको पत्र उस सम्बन्ध में लिखा है और यदि यही एक काम आप कर दीजिये तो प्रदेश को करोड़ों रुपये का लाभ होगा । इसको ही यदि आप पूरे सूबे में करें तो करोड़ों रुपये की इन्कम हो सकती है । मैं सुझाव देता हूं--जो आप कहते हैं कि विरोधी दल वाले कोई सुझाव नहीं देते हैं । आप सोचें यह कितना अच्छा सझाव है ।किस्म क हिसाब से जमीन के ऊपर लगान होना चाहिये, जो सन् 47 से लेकर आपन अबतक नहीं किया और जिसके वजह से करोड़ों रुपये का प्रदेश का

[श्री ऊदल]

नुकसना हुआ है। अभी जो परसों संशोधन विधेयक पेश किया था जिसमें अल्कोहल के ऊपर आपने 90 पैसा लीटर टैक्स लगाया, उसके संबंध में क्या मैं आपसे पूंछ सकता हूं कि हमारे सूबे म कितनी ऐसी फैक्टरियां हैं, जिनको आपने 8–8, 10–10 साल से छूट दे रखी थी? आज तक कोई टैक्स नहीं लगाया और करोड़ों रुपये का नुकसना किया और आपको मैंने एक पत्र भी लिखा था इस पर।

इसके अलावा ट्रकें जो चलती हैं उनकी भार क्षमता आजकल 16 टन से कम नहीं है– मरसीरीज और लेलैण्ड आदि जितनी भी गाड़ियां हैं। किन्तु आजतक आपने उनको परमिट दिया है, 7–8 टन का। उस पर आपका जो शुल्क होता है और रोड टैस होता है। यह कितनी बड़ी आर्थिक क्षति है। मुख्यमंत्री जी का जवाब मरे पास गया है। होता यह है कि इससे आपके आर0 टी0 ओ0 उन ट्रकों को पकड़ते हैं कि तुमने ओवरलोडिंग किया है और उनसे 150-150, 200–200, रुपये लेकर वह उन सबको छोड़ देते हैं। यह ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। सुझावों की कमी नहीं है बशर्ते कि सरकार सुझाव माने और उन पर अमल करे तो और भी बातें बताई जा सकती हैं। इसलिये इसमें कोई विरोध की बात नहीं है।

स्टैम्प ड्योटी बढ़ाने से इसका बहुत ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ेगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि हर जिले में आपके रजिस्ट्रार हैं, तहसील तहसील में हैं, वे क्या करते हैं। वे करते यह हैं कि अगर 10 हजार की सम्पत्ति है तो 5 हजार की सम्पत्ति के लिए स्टैम्प खरीदवाता है और शेष का परसेन्टेज अपनी जेब मे लेकर भरता है। कभी आपने इसको चेक किया? स्टाम्प डियूटी बढ़ाने से केल काम नहीं चलने वाला है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि एक-एक रजिस्ट्रार चन्द दिनों में लखपती हो जाता है। लेकिन इस सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। स्टाम्प डियूटी बढ़ाने से दरख्वास्त और हलफनामे के मामले में शुल्क अवश्य ठीक मिल जायगा, लेकिन आपके जो रजिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, वे आपकी मंशा नहीं पूरी होने देंगे। जिस तरह से पहले हिस्सा उनकी जेबों में जाता था, वह आगे भी जायेगा और अधिक जायगा। जब तक सरकार भ्रष्टाचार और जो इसके संबंधित अधिकारी हैं, उनकी तरफ यान नहीं देगे तो यह एक तरह से बढ़ाया हुआ टैक्स गरीबों पर बोझ बनकर गिरेगा और सफेद हाथी जिस तरह से अब तक सारा पैसा खाते रहे हैं, आगे भी खाते रहेंगे।

एक सदस्य—

ये सफेद हाथी बिना सूंड़ के हैं?

श्री ऊदल—

मेरा निवेदन है कि आप सोचिए। एक माननीय सदस्य ने कहा 12 दिन के बाद असेम्बली की बैठक होने वाली थी, स्टाम्प ड्यूटी में कौन खजाना खाली हो रहा था? मान लीजिये दो लाख, दस लाख रुपया मिल गया हो, लेकिन इससे खजाना खाली होने वाला नहीं था कि टाटा, बिड़ला, सिहानिया सारा का सारा रुपया बैंक से ले कर भाग जायंगे। ऐसा तर्क कृपा करके माननीय नारायणदत्त तिवारी न करें, कम से कम। स्वरूपकुमारी बक्शी और दूसरे माननीय सदस्य ऐसे तर्क देंगे तो कम से कम जो पुराने लोग हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप इस तरह का तर्क देंगे तो कष्ट होता है। हमारे नारायणदत्त जी तिवारी इस तरह का कुतर्क दे कर तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह दुःख होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसकी कोई सीमा रखें। आप कटौती कीजिये खर्च में। मैंने बजट में देखा जितनी हमारी आय है उससे बढ़ कर हमारा खर्चा है। कैसे गाड़ी चलेगी। प्रशासनिक खर्चा बहुत बढ़ गया है। कितना खर्चा बिना मतलब, कितन दफ्तर, कितने डिपार्टमेंट बिना मतलब खुले हुए हैं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और उसका कोई रिटर्न इस प्रदेश को नहीं मिल रहा

है। इस पर भी आप गौर कीजिये। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं माननीय नारायण दत्त जी तिवारी बहुत गम्भीरतापूर्वक इन बातों पर विचार करें कि इसकी कोई सीमा होगी या नहीं।

श्री हुकुमसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ऊदल जी ने काफी रचनात्मक सुझाव दिये और इसमें संदेह नहीं कि उनमें बहुत से सुझाव एस हैं जिन पर गम्भीरता स विचार होना चाहिए।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का प्रश्न है मेरे विचार में इस विधेयक की धारायें समाज के किस वर्ग पर लागू होती हैं, समाज का कौन सा वर्ग इसकी धाराओं से ज्यादा प्रभावित होता है हमको इस पर विचार करना चाहिये। मेरे साथियों ने किसानों की दुहाई दी, मजदूरों की दुहाई दी और कहा कि इसका असर किसानों पर पड़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई विशेष धारा इस विधेयक में ऐसी है जिसका प्रभाव केवल किसान वर्ग पर पड़ता हो या केवल मजदूर वर्ग पर पड़ता हो। जहां तक किसानो का संबंध है अधिक से अधिक उनका संबंध इसकी धाराओं से तब पड़ता है जब कि वे अपनी भूमि और मकानों का विभाजन कराते हैं। जहां तक कृषि भूमि के विभाजन का संबंध है उसके बारे में जमींदारी विनाश ऐक्ट की धाराओं के अन्दर जो लगान या मालगुजारी देय है उसके अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। आजकल मालगुजारी इतनी कम है कि उसके अनुपात में जो स्टाम्प देय होता है वह इतना कम है कि उसका कोई विशेष प्रभाव इस ऐक्ट में परिवर्तन होने से नहीं पड़ने वाला है। किसान वर्ग के ऊपर कोई विशेष प्रभाव इस ऐक्ट के अनुसार रेट बढ़ाने से नहीं पड़ता। जहां तक निम्न वर्ग का संबंध है इस विधेयक से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक रिक्शा चाल रिक्शा खरीदता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दस पैसे के स्टाम्प की रसीद देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल समृद्ध वर्ग, जिसको बोगस ट्रान्जेक्शन करने पड़ते हैं, सीलिंग ऐक्ट की धाराओं से बचने ने के लिये, उसी पर प्रभाव पड़ने वाला है। रोज-रोज समृद्ध वर्ग को पता चलता रहता है कि सीलिंग ऐक्ट आने वाला है तो बोगस ट्रांजेक्शन करवाते हैं। ऐक्ट के अन्तर्गत रेट कम होने के कारण अनुचित लाभ उठाते हैं। जो पैसा सरकार के पास आकर प्रदेश के उत्थान के काम आता है वह इन लोगों की जेब में रहता है। और इस ऐक्ट में रजिस्ट्री के कम होने के कारण जो सरकार को आमदनी होनी चाहिये वह न होकर ऐसे लोगों की जेब में चली जाती है जो कम की रजिस्ट्री कराते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐक्ट में ऐसी धारायें हैं कि लोग मैमोरेंडम आफ पार्टीशन बना कर रख लेते हैं जिसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण लाखों रुपया उन लोगों की जेब में रह जाता है और सरकार को नुकसान होता है। मंत्री जी ने इसमें तरमीम करके यह कोशिश की है कि हर चीज इससे कवर हो जाये। लेकिन धारा 15 (2) के अन्तर्गत भी जिनकी रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है वह इससे कवर नहीं होते हैं और मैमोरेंडन आफ पार्टीशन इससे बचे रहेंगे और लाखों रुपयों का नुकसान होगा। इसलिये मंत्री जी कोई ऐसा विधेयक लायें जिसमें यह चीज कवर हो सके।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि रजिस्ट्रार आफिस में बड़ा भ्रष्टाचार है और सरकार के कदम उठाने के बावजूद चल रहा है। ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे भ्रष्टाचार यदि पूरी तरह से दूर न हो सके तो कम जरूर हो जाय। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की योजना बनाई जाय और इस प्रकार का चैक लगाया जाय कि जितने वैल्युएशन की संपत्ति हो उतनी की रजिस्ट्री हो। आज कल एक लाख की संपत्ति को 5 हजार की रजिस्ट्री दिखाकर कराने से सरकार को हानि पहुंचायी जाती है। इसलिये फ्लाइंग स्क्वाड रखे जायं जो जाकर चैक कर सकें।

[श्री हुकुम सिंह]

इसमें कोई संदेह नहीं कि जिला कलेक्टर चेक कर सकता है। लेकिन उनतक वही केसेज जा पाते हैं जिनमें रजिस्ट्रार की जेब नहीं भरी जाती है जिसको वह रैफर कर देता है इसलिये इस तरह का प्राविधान किया जाय कि प्राइवेट शिकायत पर भी अगर रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर देता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। जहां तक इसकी दर बढ़ाने का सवाल है तो इसमें कोई बात नहीं है। दस साल पहले जो स्थिति थी वह अब नहीं है। दस साल पहले जो खर्चा था वह अब पांच गुना हो गया है और ड्यूटी केवल दुगुनी की गई है। इसलिये यह देखना होगा कि पहले हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। पूर्व इसके कि मैं इस बिल पर बोलूं, हमारे हां पक्ष के माननीय सदस्यों ने विरोधी दलों के ऊपर यह आरोप लगाया है कि यह लोग हर मामले को प्रवर समिति में भेजने की बात करते हैं। दो ही तरह से बात कही जा सकती है या तो किसी के सामने यह रखा जाय कि यह न्यायोचित है क्या इसको आप स्वीकार करते हैं। दूसरी यह कि यहां एक तरह से निश्चित भावना बन गई है कि आप स्वीकार नहीं करते इसलिये पंचायतनामे की बात रखते हैं। लेकिन उसको भी आप नहीं मानते हैं।

दूसरी बात यह कि इस टैक्स का गरीबों और किसानों पर बोझा है या नहीं। मेरा कहना यह है कि जो गरीब आदमी होगा उसको बयनामे पर या रजिस्ट्री पर स्टाम्प पूरे पैसे का लेना होगा। गरीब आदमी पूरे वैल्यूयेशन पर रजिस्ट्री करायेगा और जो बड़े आदमी हैं वे कम वैल्यूयेशन पर रजिस्ट्री कराते हैं इसलिये यह वह स्टाम्प का रुपया बचा लेते हैं। इस तरह से गरीब आदमी पर ज्यादा बोझा पड़ेगा। इस तरह से धनी वर्ग स्टाम्प पर कम पैसे खर्च करेगा। वह उतना ही खर्च करेगा जितना पहले करता था। जिसके बढ़ने से यह स्टेम्प ड्यूटी जो है इसकी चोरी होगी और वह खासकर वही लोग चुरायेंगे जो लोग बड़े हैं। जो भी असर इस ड्यूटी के बढ़ने से आयेगा वह एकमात्र छोटे लोगों पर आयेगा जिनके ऊपर खर्च 15–20 रुपया या 100 रु0 तक पड़ने वाला है।

इसके साथ-साथ इसमें एक और व्यवस्था है कि अगर स्टैम्प न मिले तो नकद भुगतान का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। इसमें एक बात यह मानने योग्य है या देखा भी जाता है कि कोई भी आदमी जिलाधीश के पास जायगा और वहां यह कहेगा कि मुझे स्टैम्प चाहिये और यदि स्टेम्प वहां पर उपलब्ध नहीं है तो वह कहेगा कि मुझ से नकद रुपया जमा कर लिया जाय तो वहां पर बिचौलिया लोग मिलेंगे या जिलाधिकारी का स्टेनो मिलेगा और ये सब लोग मिलकर एक नक्शा यह बनायेंगे कि आप लोग क्यों 5 हजार रुपये खर्च करेंगे 40 रु0 दे दीजिए 4 हजार रुपये में काम चल जायगा और हम जिलाधिकारी से काम करवा देंगे। इस तरह से एक भ्रष्टाचार और बढ़ जायगा। इसके साथ साथ यह नकद भुगतान का जो रुपया है उसके टैक्स का रुपया नहीं मिल पायेगा बजाय इसके कि वह पैसा जो है भ्रष्टाचारियों के हाथ में जायगा और साथ ही साथ इस विधेयक की जो मंशा है वह इस प्रकार से पूरी नहीं हो सकती।

इसके साथ-साथ जहां तक मुकदमें के बयान हल्फी के स्टेम्प ड्यूटी के बढ़ने का सवाल है वह निर्विवाद सिद्ध होता है क्योंकि 75 प्रतिशत मुकदमें केवल ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं और वह भी किसानों के होते हैं क्योंकि उनकी जमीन जायदाद का बराबर झगड़ा रहता है। और यह केवल खर्च देहाती क्षेत्र पर ही पड़ने वाला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो स्टैम्प ड्यूटी बयान हल्फी में लग रही है कि वह निश्चित की देय है, उसमें बचाव करने की जो गुंजाइश नहीं है और वह ड्यूटी जो देनी पड़ती है वह केवल अधिकांश 75 प्रतिशत देहात के लोगों को देती

पड़ती है। उसका सीधा असर देहात के लोगों पर ही पड़ने वाला है क्योंकि उनके खेती से संबंधित तथा फौजदारी से संबंधित मुकदमें अधिक रहते हैं। जो बयान हल्फी पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई गई है वह बिलकुल गलत है। माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने से सरकार की न तो मंशा ही पूरी होने वाली है और न तो पैसा ही उतना आयेगा बल्कि रजिस्ट्री में कम कीमत जायदाद जो दिखायेंगे, जिससे सरकार की स्टैम्प ड्यूटी की चोरी होगी और इस तरह से सरकार को घाटा ही होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रभावशाली बनाने के लिये जो बयान हल्फी स्टैम्प ड्यूटी का प्रश्न है वह ठीक से लगाई जाय। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी गरीब किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक में संशोधन करने की कृपा करेंगे और प्रवर समिति के सुपुर्द करने वाली बात है, वह उचित है, हमारे देश की परम्परा है। हमारे सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है और जो राय व्यक्त की है, आशा है, आप उससे सहमत होंगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि सम्मानित सदस्य गोंडा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं, उसे स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। सर्वप्रथम तो जो इस स्टाम्प संशोधन विधेयक के प्रसंग में अध्यादेश निकाला गया है इस सम्बंध में जो तर्क माननीय सदस्य गोन्डा ने दिए वही इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हैं कि अध्यादेश निकाला जाना चाहिए। श्रीमन्, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अखबार में निकल गया कि स्टाम्प ड्यूटी में कुछ संशोधन होने वाला है और उसका परिणाम यह हुआकि उस समाचार के निकलते ही कुछ अनैतिक दृष्टिकोंणसे कार्य करने वाले लोगों ने स्टाम्प की खरीद फरोख्त का काला बाजार चालू कर दिया जिससे न राजस्व की हानि हुई बल्कि जो क्रय विक्रय करने वाले लोग थे उनको भी कठिनाइयां हुई। उनको भी खरीद फरोख्त कुछ माने में महंगा पड़ा। अगर इसका विधेयक लाये होते तो जितने दिनों में यह इस सदन द्वारा काउन्सिल द्वारा पास होता और गवर्नर के हस्ताक्षर होते तो जितना समय लगता उतने दिनों में कितनी लूट मच जाती। यह तो इस लूट को रोकने के लिये किया गया। राजस्व के हित में यह आवश्यक था कि इसे अध्यादेश के रूप में लाया जाये और लागू किया जाये। निर्दोष क्रय विक्रय करने वाले लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। इसके साथ ही साथ सरकार का राजस्व भी मिले और इस प्रकार से चोर बाजारी करने वाले लोगों की जेब में रुपया भी न जाये। चोर बाजारी करना एक सामाजिक अपराध है और इसे रोका जाये।

अब प्रश्न यह है कि जो हमने विधेयक प्रस्तुत किया इसके पीछे क्या भावना है। श्रीमन् जो स्टाम्प की दरें हमारे यहां चल रही थी वह सन् 1963 से आज तक ज्यों की त्यों चली आ रही हैं। सम्मानित सदस्य मुजफ्फरनगर, श्री हुकुम सिंह को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अध्ययन के बाद इस प्रश्न को समाधान करने की चेष्टा की। सम्मानित सदस्य सहजनवां ने इसका अध्ययन किया।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस विधेयक के पीछे जो भावनायें है उनका हम अध्ययन कर लें तो सदन को बहुत सहायता होगी। बहुत से माननीय सदस्यों ने अध्ययन किया है, वह अभिनन्दनीय है। उन्होंने बहुत सी सार्थक बातें बतायी हैं। जैसे 11 वर्ष पहले जो दरें थीं वह आज भी लागू हैं। इन 11 वर्षों में सम्पत्ति के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है। उस सम्पत्ति से मूल्य आज पहले जैसे नहीं रह गये हैं उनमें दुगुना, तिगुना और चौगुनी वृद्धि हो गयी है। अगर किसी स्थान पर कोई कारखाना लग जाता है तो वह की लैंड वैल्यू बढ़ जाती है और फिर लोग अपने एसेट्स बनाने लगते हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

स्टाम्प ड्यूटी ऐसी नहीं है कि जो हर एक जो लाजमी देनी पड़े। यह कोई ऐसा राज्य का व्यय भार नहीं है कि हर एक को अनिवार्यतः देना पड़ेगा। जो लोग क्रय विक्रय करते हैं, जो विशेष प्रकार की सेवा चाहते हैं और जो विशेष प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित करना चाहते हैं, जो एसेट्स बनाना चाहते हैं या किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपनी सम्पत्ति को बेचना चाहते हैं, वे मुख्यतया प्रभावित होते हैं। यह कोई अनिवार्य टैक्स नहीं है। यह लाभ पाने वाली प्रक्रिया का एक अंग है और राज्य को अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ पाने का भागीदार है तो स्टेट को भी अधिकार है कि उस लाभ का एक अंश स्टाम्प लगाकर, ड्यूटी लगाकर प्राप्त करे। यह ऐसा टैक्स नहीं है कि जिस पर हम यह कह सकें कि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों का हिस्सा है। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इन बढ़ी हुई दरों को स्वीकार करें। 12 वर्ष हो गये हैं, जब हम इन दरों जो बदल रहे हैं। हमने इस विधेयक द्वारा जो अचल सम्पत्ति की स्टाम्प शुल्क 45 रुपये से 75 रुपये प्रति हजार बढ़ायी है वह हरियाणा में 100 रुपया महाराष्ट्र में 100 रुपया केरेला में 75 रुपया प्रति हजार और दूसरे राज्यों में भी यह वृद्धि प्रस्तावित है। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल इस प्रदेश के ही ये रेट्स बढ़ाये गये हैं। हम तो अभी 75 रुपये पर ही पहुंचे हैं। तो हमने मर्यादित रहने की कोशिश की है। माननीय सम्मानित सदस्य मेरे पुराने सहयोगी हैं। माननीय ऊदल जी ने भी उल्लेख किया। हम लोगों ने टैक्स के सम्बन्ध में कभी भी यह विचार नहीं किया कि कोई टैक्सलेस सोसाइटी होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---

चीन में न कोई टैक्स है और न इन्कम टैक्स होता है।?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मेरे विद्वान सहयोगी, माननीय बलवान सिंह, ने चीन का उदाहरण दिया। चीन में और बातें हैं। हमारी और माननीय बलवान सिंह जी की चीन में गुंजायश न होगी। चीन की व्यवस्था बिल्कुल दूसरी है। वहां पर टैक्स प्रणाली दूसरी है। बजट प्रणाली दूसरी है। चीन में खर्च करने के लिये आमदनी नहीं जोड़नी पड़ती। चीन में भी वह देखेंगे कि वहां पर स्टेट सैक्टर है। तो राज्य सैक्टर में कीमतें मुकर्रर होती है। जो चीजें बाजार में बिकती हैं, वे सारी राज्य की हैं, मार्केट आपरेसेन्स के जरिये जब सामान बाजार में बिकने आता है तो उसके मूल्यों में बैलेंस आफ स्टेट इन्कम होती है, उसका खर्चा निकलता है। वहां पर कोई टैक्स नहीं है। स्टेट इन्कम की वजह से अगर मान लिया जाय कि किसी की कीमत, जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट उत्पादन व्यय है और बिक्री से जो आमदनी है, अगर 10 परसेन्ट का फर्क पड़ जाय, जैसे जूते का उत्पादन 20 रुपये पड़ता है और वह बाजार में 25 रुपये में बिकता है तो 5 रुपये परकैपिटा एक्सपेंडिचर में जाता है तो ऐसा नहीं हैं। तो बलवान सिंह जी ने जो चीन का उदाहरण दिया तो वहां एक्सपेंडिचर के लिए दूसरी प्रणाली है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि अपवंचना, इवेजन को रोकने के लिए यह प्रभावी होगा। क्योंकि जैसा कि कहा गया यह सही है कि सम्पत्ति के मूल्य जो घटा कर बताया जाता है ताकि कम धनराशि देनी पड़े। उसके लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं। मैं तो सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में जो सुझाव व्यावहारिक होंगे उनके लिये मैं आभारी हूंगा। मुझे सलाह दी गयी है कि 75 रुपया प्रति हजार कर देने से विक्रय-पत्रों का शुल्क की इसमें कमी होगी, क्योंकि जब बेसिक दाम बढ़ जायंगे तो उससे कर-अपवंचना की प्रवृत्ति कम होगी, इसलिये यह सहायक भी है।

श्रीमन, इस विधेयक में एक और प्राविधान किया गया है। बार बार सुनने में आता है कि स्टाम्प नहीं मिलते और उससे लोगों को संपत्ति के क्रय-विक्रय में कठिनाइयां होती हैं। तो यह

प्राविधान किया गया कि जिलाधिकारियों को अधिकार दिया जाय जिससे अगर स्टाम्पों की कुछ दिनों के लिये कमी हो तो नकद भुगतान करके, मुहर लगाकर, सार्टिफिकेट लगाकर हो सकता है।

अब मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि जैसा कि मैंने कल निवेदन किया, 3 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि इस स्टाम्पों की दरों के पुनः निर्धारित किये जाने से मिलेगी। मुझे आशा है कि 11 वर्ष के बाद जो हम यह भुगतान की सीमायें बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आलोचना का विषय है। सदन अवश्य स्वीकार करेगा, मुझे भरोसा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिवेणी सहाय नहीं है।

प्रश्न यह है कि यह सदन इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

2—इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :— ऐक्ट संख्या 2 1899 की धारा 2 का संशोधन

"(15) 'विभाजन के लिखत' से कोई ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सहस्वामी ऐसी सम्पत्ति को पृथकतः विभाजित करें अथवा विभाजित करने के लिये सहमत हों, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है —

(1) विभाजन करने के लिये किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित कोई अंतिम आदेश,

(2) किसी मध्यस्थ का अधिनिर्णय जिसमें विभाजन के लिये निदेश दिया गया हो, और

(3) जब कोई ऐसी लिखत निष्पादित किये बिना कोई विभाजन किया जाय, तो कोई लिखत अथवा लिखतें जो सहस्वामियों द्वारा हस्तांतरित हो या हों, और जिसमें सहस्वामियों के बीच ऐसे विभाजन के निबन्धन, चाहे ऐसे विभाजन की घोषणा के रूप में या अन्यथा अभिलिखित हों ;"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्न-लिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(1) जहां कि किसी सक्रिय, बन्धक या समझौते की दशा में, संव्यवहार जो पूरा करने के लिए अनेक लिखतें प्रयुक्त की जायें वहांहस्तांतरण,बन्धक या समझौते के लिए केवल मुख्य लिखत पर अनुसूची 1-ख में विहित शुल्क प्रभार्य होगा और अन्य प्रत्येक लिखत पर उक्त अनुसूची में उसके लिये विहित शुल्क (यदि कोई हो) के बजाय पांच रुपये का शुल्क प्रभार्य होगा ।"

नई धारा 10-क का बढ़ाया जाना

4--मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"10-क--(1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि जिले में स्टाम्प की अस्थायी कमी है अथवा अपेक्षित अभिधान के स्टाम्प उपलब्ध नहीं है तो वह शुल्क का नकद भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा और कोषागार के प्रभारी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह सरकारी कोषागार या उप कोषागार में शुल्क का भुगतान करने को साक्ष्यित करने वाले चालान को पेश करने पर शुल्क की वह रकम जो इस प्रकार नकद संदत्त की गई है लिखत या लिखतों पर पृष्ठांकित कर दें ।

शुल्क का नकद संदाय

(2) किसी लिखत पर उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई पृष्ठांकन उसी प्रकार प्रभावी होगा मानों उसके संबंध में पृष्ठांकन में वर्णित रकम के बराबर शुल्क की रकम का भुगतान कर दिया गया है और ऐसी लिखत पर ऐसे भुगतान की धारा 10 की अपेक्षानुसार स्टाम्प द्वारा उपदर्शित किया गया है ।".

धारा 47-क का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 47-क में, उपधारा (4) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द 'चार वर्ष' रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

अनुसूची 1-बी का संशोधन

6--मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में,

(1) आर्टिकिल 3 के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटि रख दी जाय, अर्थात् :--

"पचास रुपये"

(2) आर्टिकिल 4 के खण्ड (क) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :--

"दो रुपये"

(3) आर्टिकिल 5 के खंड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"पांच रुपये"

(4) आर्टिकिल 6 के खंण्ड (2) उपखण्ड 'ए' के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:—

लिखत का विवरण	उचित स्टाम्प शुल्क	
	रुपये	पैसे
जब उधार या ऋण की धनराशि 200 रुपये से अधिक न हो	1	00
जब वह 200रु0से अधिक किन्तु 400रु0से अधिक न हो	2	00
जब वह 400 से अधिक किन्तु 600 से अधिक न हो	3	00
जब वह 600 से अधिक किन्तु 800 से अधिक न हो	4	00
जब वह 800 से अधिक किन्तु 1,000 से अधिक न हो	5	00
जब वह 1,000 से अधिक किन्तु 1,200 से अधिक न हो	6	00
जब वह 1,200 से अधिक किन्तु 1,600 से अधिक न हों	8	00
जब वह 1,600 से अधिक किन्तु 2,500 से अधिक न हों	12	50
जब वह 2,500 से अधिक किन्तु 5,000 से अधिक न हो	25	00
जब वह 5,000 से अधिक किन्तु 7,500 से अधिक न हों	37	50
जब वह 7,500 से अधिक किन्तु 10,000 से अधिक न हो	50	00
जब वह 10,000 से अधिक किन्तु 15,000 से अधिक न हो	75	00
जब वह 15,000 से अधिक किन्तु 20,000 से अधिक न हो	100	00
जब वह 20,000 से अधिक किन्तु 25,000 से अधिक न हो	125	00
जब वह 25,000 से अधिक किन्तु 30,000 से अधिक न हो	150	00
और 30,000 रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए ।	50	00

(5) आर्टिकिल 8 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि क स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(6) आर्टिकिल 10 के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"दो सौ पच्चीस रुपये"

(7) आर्टिकिल 12 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(8) आर्टिकिल 15 के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात् :—

लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
"जहां प्रतिभूत धनराशि का मूल्य 10 रुपये से अधिक न हो	पैंतालीस पैसे
जहां वह 10 रुपये से अधिक किन्तु 50 रुपये से अधिक न हो	एक रुपया
जहां वह 50 रुपये से अधिक किन्तु 100 रुपये से अधिक नहो	तीन रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वहां 100 रुपये से अधिक किन्तु 200 रुपये से अधिक न हो।	सात रुपये पचास पैसे
जहां वह 200 रुपये से अधिक किन्तु 300 रुपये से अधिक न हो।	ग्यारह रुपये पचीस पैसे
जहां वह 300 रुपये से अधिक किन्तु 400 रुपये से अधिक न हो।	पन्द्रह रुपये
जहां वह 400 रुपये से अधिक किन्तु 500 रुपये से अधिक न हो।	अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वह 500 रुपये से अधिक किन्तु 600 रुपये से अधिक न हो।	बाइस रुपये पचास पैसे
जहां वह 600 रुपये से अधिक किन्तु 700 रुपये से अधिक न हो	छब्बीस रुपये पचीस पैसे
जहां वह 700 रुपये से अधिक किन्तु 800 रुपये से अधिक न हो।	तीस रुपये
जहां वह 800 रुपये से अधिक किन्तु 900 रुपये से अधिक न हो।	तैंतीस रुपये पचहत्तर पसे
जहां वह 900 रुपये से अधिक कित 1,000 रुपये से अधिक न हो।	सैंतीस रुपये पचास पसे
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिये।	अटठारह रुपये पचहत्तर पसे"

(9) आर्टिकिल 23 के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय अर्थात्:—

लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क	
	रुपये	पैसे
"जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य अथवा उस सम्पत्ति का जो ऐसे हस्तान्तरण की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, 50 रुपये से अधिक न हो	2	00
जहां वह 50 रुपये से अधिक किन्तु 100 रुपये से अधिक न हो	7	50

लिखत का विवरण	उचित स्टाम्प शुल्क	
	रुपये	पैसे
जहां वह 100 रुपये से अधिक किन्तु 200 रुपये से अधिक न हो	15	00
जहां वह 200 रुपये से अधिक किन्तु 300 रुपये से अधिक न हो	22	50
जहां वह 300 रुपये से अधिक किन्तु 400 रुपये से अधिक न हो	30	00
जहां वह 400 रुपये से अधिक किन्तु 500 रुपये से अधिक न हो	37	50
जहां वह 500 रुपये से अधिक किन्तु 600 रुपये से अधिक न हो	45	00
जहां वह 600 रुपये से अधिक किन्तु 700 रुपये से अधिक न हो	52	50
जहां वह 700 रुपये से अधिक किन्तु 800 रुपये से अधिक न हो	60	00
जहां वह 800 रुपये से अधिक किन्तु 900 रुपये से अधिक न हो	67	50
जहां वह 900 रुपये से अधिक किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो	75	00
और 1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिए ..	37	50

(10) आर्टिकिल 24 के खण्ड (2) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात :—

"जब प्रति अथवा उद्धरण किसी कृषिक पट्टे का अथवा कृषिक भूमि के किसी बन्धक विलेख या विक्रय विलेख का हो और मूल की विषय वस्तु का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो तो तीन रुपये, अन्य किसी दशा में पांच रुपये ।"

(11) आर्टिकिल 25 के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) यदि शुल्क जो मूल लिखत पर प्रभार्य हो, पांच रुपये से अधिक न हो ।"

(12) आर्टिकिल 25 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"पांच रुपये"

(13) आर्टिकिल 34-ए के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) यदि शुल्क जो मूल लिखत पर प्रभार्य हो, दस रुपये से अधिक न हो"

(14) आर्टिकिल 34-ए के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"पांच रुपये"

(15) आर्टिकिल 35 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के नीचे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु किसी भी दशा में जब, किसी पट्टे के करार पर, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प लगाया जाय, और बाद में ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा निष्पादित किया जाय तो ऐसे पट्टे पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा ;"

(16) आर्टिकिल 39 के खण्ड (ए) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"एक सौ रुपये"

(17) आर्टिकिल 39 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात :—

"तीन सौ पच्चीस रुपये"

(18) आर्टिकिल 45 में, स्तम्भ 2 में, परन्तुक के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(क) जब कोई ऐसी लिखत जिसमें सम्पत्ति को पृथकतः विभाजित करने का करार हो, निष्पादित की जाय और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन किया जाय तो ऐसे विभाजन को प्रभावी बनाने वाली लिखत पर अथवा घोषणा के रूप में या अन्यथा ऐसे विभाजन की शर्तों को अभिलिखित करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत के संबंध में संदत्त शुल्क की रकम कम कर दी जायगी किन्तु प्रभार्य शुल्क पांच रुपये से कम न होगा ;"

(19) आर्टिकिल 45 के स्तम्भ 2 में, वर्तमान खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :—

"(ग) जहां विभाजन करने के लिए किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतिम आदेश पर या किसी मध्यस्थ के ऐसे अधिनिर्णय पर जिसमें विभाजन के लिये निदेश दिया गया हो, विभाजन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प लगाया गया है और तत्पश्चात् ऐसे आदेश या अधिनिर्णय के अनुसरण में विभाजन के लिखत निष्पादित की जाय तो ऐसी लिखत पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा ।"

(20) आर्टिकिल 46 में मद (ए) के उपमद (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"एक सौ पचास रुपये"

(21) आर्टिकिल 46 में मद (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(22) आर्टिकिल 48 में दर की वर्तमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जाय, अर्थात् :—

"

लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(क) जब किसी एक संव्यवहार के संबंध में एक या दो रुपये पचास पैसे एकाधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण कराने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे एक या एकाधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकार करने के लिए निष्पादित किया जाय ;	
(ख) जब खण्ड (क) में उल्लिखित मामले से भिन्न एकल संव्यवहार में कार्य करने क लिए एक या एकाधिक व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाय ;	पांच रुपये
(ग) जब एक से अधिक संव्यवहार में संयुक्ततः तथा पृथकतः अथवा साधारणतः कार्य करने के लिए पांच से अनधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय ;	बीस रुपये
(घ) जब एक से अधिक संव्यवहार में संयुक्ततः तथा पृथकतः अथवा साधारणतः कार्य करने के लिए पांच से अनधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय ;	चालीस रुपये
(ङ) जब प्रतिफल के लिए दिया जाय और किसी स्थावर सम्पत्ति को बेचने के लिये अटर्नी को किया जाय ;	उतना ही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम के लिये किसी हस्तान्तरण (संख्या 23) पर हो ।
(च) किसी अन्य मामले में ।	प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति के लिये पांच रुपये

",

(23) आर्टिकिल 54 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"पचहत्तर रुपये"।

(24) आर्टिकिल 55 के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(क) यदि दावे की रकम या उसका मूल्य 2,500 रुपये से अधिक न हो"

(25) आर्टिकिल 55 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"एक सौ रुपये"

(26) आर्टिकिल 57 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

(27) आर्टिकिल 58 के सामने स्तम्भ 2 के वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय अर्थात् :—

"परन्तु, जहां किसी, समझौते के करार पर समझौते की लिखत की अपेक्षानुसार स्टाम्प लगाया जाय और तत्पश्चात ऐसे करार के अनुसरण में समझौते की लिखत निष्पादित की जाय तो ऐसी लिखत पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा ।"

(28) आर्टिकिल 61 के स्तम्भ 1 में वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(क) जब ऐसा शुल्क जो पट्टा पर प्रभार्य है, सैंतिस रुपये पचहत्तर पैसे से अधिक न हो ।"

(29) आर्टिकिल 61 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

(30) आर्टिकिल 62 के स्तम्भ 1 में खण्ड (सी) की वर्तमान मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दी जाय, अर्थात् :—

"यदि ऐसे बन्ध पत्र, बन्धक विलेख या पालिसी पर शुल्क सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे से अधिक न हो ।'

(31) आर्टिकिल 62 के खण्ड (सी) की वर्तमान मद (2) के सामने 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

परन्तु उस दशा में जब कई बन्ध-पत्रों, बन्धक विलेखों अथवा बीमें की पालिसियों द्वारा प्रतिभूत किया गया हित किसी एक ही लिखत द्वारा अन्तरित किया जाय तो ऐसी लिखत के संबंध में संदेय शुल्क उन शुल्कों का योग होगा जो संदेय होते यदि हर ऐसे बन्ध-पत्र, बन्धक विलेख या बीमें की पालिसी के सम्बन्ध में पृथक अन्तरण विलेख निष्पादित किये जाते ।"

(32) आर्टिकिल 64 में मद "बी" के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

"वही शुल्क जो सम्बद्ध सम्पत्ति के रकम या उसके मूल्य के बराबर रकम के लिये बन्ध-पत्र (संख्या 15) पर हो परन्तु वह पचहत्तर रुपये से अधिक न होगा ।"

निरसन 7—इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1974

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

ऐक्ट संख्या 2, 1899

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जात है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 25 मई, 1974 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4, 5, 6, 7, खंड 1, प्रस्तावनाएवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि आर्डीनेंसेज के माध्यम से 3 करोड़ रुपये के टैक्स वसूलने का काम आज आपने इस विधेयक को लाकर किया है । अभी आपने जो बजट भाषण किया था उसमें आपने बिक्री-कर के माध्यम से डीजल पर टैक्स बढ़ा कर, स्टम्प की कीमत बढ़ा कर, अन्य टैक्सेज को लगाकर यह कहा था कि 30 करोड़ रुपये का प्राविधान आपने कर दिया है। इस प्रवृत्ति के विरोध में मैं खासतौर से यह चाहता हूं कि इसका पारण न हो । इसलिये कि एक ओर तो आप यह ढिंढोरा पीटते हैं कि घाटे का बजट प्रस्तुत करने के बाद भी जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया और दूसरी ओर चोर दरवाजे से आर्डिनेन्सेज के माध्यम से इस प्रदेश की जनता पर इतने बड़े कर लगायें हैं, यह एक प्रकार से गर्दन मरोड़ने की कोशिश की गयी है । अभी उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके कारण कोई विशेष बात नहीं होती है । कोर्ट्स में एफिडेविट लगाया जाता है । उसका उपयोग जितना आज से दस साल पहले होता था उसका बीस गुना आज बढ़ गया है । इस प्रदेश में कई लाख विद्यार्थी इंटर और हाई स्कूल में पढ़ते हैं । जब उनकी परीक्षा का समय आता है तो उनको एफिडेविट लगाना पड़ता है । आपने आम जनता के लिये यह टैक्स लगाया है । यह आपका काला कानून है और इस तरह से मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह बिल पास न हो ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नार्दर्न इन्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 1974 के अननुमोदन का संकल्प तथा नार्दर्न इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974†

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

यह बहुत ही आवश्यक संशोधन विधेयक इस माने में है कि जो शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक परियोजनायें हैं उनमें तेजी से काम हो और किसानों की खरीफ के लिये पानी मिले। इसके लिये आवश्यक व्यवस्था करनी थी विशेष रूप से गंडक प्रोजेक्ट के लिये जिससे गोरखपुर और देवरिया जिलों में पानी मिल रहा है। अगर वहां तेजी से गूलें बना दी जायं तो दो लाख एकड़ अतिरिक्त तक खरीफ में सिंचाई हो सकती है। ऐक्ट में जो पहले प्राविधान था उसके हिसाब से करीब तीन महीने जमीन लेने आदि में लग जाते थे। तब तक खरीफ की फसल निकल जाती। तो देवरिया के किसानों ने विशेष रूप से कहा कि सिंचाई की क्षमता है, बड़ी नहर बन चुकी है लेकिन चूंकि सामूहिक गूलें नहीं बन पायी हैं इसलिये पानी बरबाद हो रहा है। इसलिये सरकार का लक्ष्य यह है कि 30 दिन से पहले ये गूलें बन जायं। इसीलिये आर्डीनेंस निकाला गया। काम इस वक्त चल रहा है। सदन को यह जान कर खुशी होगी कि किसानों को पानी पहुंचाने का काम जारी है। मुझे विश्वास है कि सदन सर्वसम्मति से इस विधेयक जो स्वीकार करेगा ।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट 1 मास के भीतर दे दे ।

इस सम्बन्ध में पहले 31 मई को आर्डिनेन्स लाया गया और आज विधेयक के रूप में पेश किया गया है। इस पर मेरी पहले आपत्ति यह है कि संसदीय अध्ययन समिति ने 1972 के प्रतिवेदन में यह बात कही थी कि समिति यह उचित समझती है कि जब विधान सभा को आहूत करने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो तो उस विज्ञप्ति के जारी करने के उपरान्त कोई अध्यादेश जारी न किया जाय और केवल विशेष परिस्थिति होने पर ही अध्यादेश का सहारा लिया जाय। आपने जो यह अध्यादेश निकाला है यह संविधान की मर्यादाओं के विरोध में है इसलिये मैं अपने संकल्प को पेश करता हूं ।

---

†10 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं संशोधन पर आता हूं। आपने इस विधेयक की संख्या 3 के अन्तर्गत एक संशोधन कर लिया है। आप 1873 के ऐक्ट का संशोधन करना चाहते हैं। 1873 के ऐक्ट में सेक्शन 30 के (बी) में है:--

Calling upon the Gaon Sabha to implement scheme.

(सी) में है:

"procurement or acquiring of land for the scheme."

(डी) में है:

"Inspection of works by divisional canal officers.

(ई) में है:--

Implementation of scheme by the State Government.

ये चार प्राविजन दिये हुये हैं जिनके अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि जब किसी की जमीन ली जायगी तो क्या उसको जमीन लेने का अधिकार है, उसको मुआविजा देने का अधिकार है या नहीं, गांव समाज की जमीन है या किसी व्यक्ति की है, उसका कितना मुआविजा होगा, उसे जमीन पर एन्ट्री करने का अधिकार है या नहीं, ये सारी बातें इसके अन्दर निहित हैं। लेकिन आपने संशोधन करके इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया यह कह कर कि इसमें मुकदमेबाजी होती है, लोग आब्जैक्शन्स करते हैं, इस सब में समय लगता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं। गोंडा जिले में पी० ए० सी० ने लगभग 40 एकड़ जमीन ले ली और उसको बिल्डिंग बनना शुरू हो गयी। शहर से लगी हुई वह जमीन है और किसी भी शहर से लगी हुई जमीन की कीमत एक हजार रुपये बीघा से कम नहीं होती है। पी० ए० सी० ने वह जमीन ले ली और मुआविजा देने के समय चक्कर काट रहे हैं। तीन साल हो गये मुआविजा नहीं दिया गया। आप बिल्डिंग बनाइये, कैनाल बनाइये लेकिन क्या किसान के हित को आप ताक पर रख देंगे, क्या उसे इस बात का मौका नहीं देंगे कि उसको जमीन का पैसा मिले। आप सरकारी अधिकारियों को मनमाने अधिकार देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बिल में संशोधन करने के लिये जो प्रस्ताव आपने किया है उस पर प्रवर समिति में विचार होना चाहिये। यह विधेयक पास होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू हो जायेगा, जिसकी जमीन आप लेना चाहेंगे, ले लेंगे और वह गरीब कोर्ट में भी नहीं जा पायेगा। मेरा निवेदन है कि यह सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे प्रवर समिति में भेजने की कृपा करता कि वहां पर विचार हो सके।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नार्दर्न इन्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 जो एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी हरियाणा, पंजाब, गुजराज आदि में हमारे यहां से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने वहां की परकैपिटा इन्कम को नहीं देखा.....

एक सदस्य--

स्टैम्प ड्यूटी वाला बिल तो खत्म हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवान सिंह--

मैं इसी कैनाल वाले बिल पर आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो फी बीघा कीमत किसान को दी जाती है वह यहां के मुकाबले ज्यादा दी जाती है। यहां के मुकाबल वह 5-6 गुना ज्यादा होती है।

इसके अलावा आपने जो यह बिल का नाम रखा है वह वही रखता है जो सन् 1873 में था "नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज।" अंग्रेज चले गये मगर कानून की गुलामी अभी तक चली आ रही है। गांव का किसान इसे क्या समझेगा। इसकी जगह कोई हिन्दी का शब्द रखना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

नाम अगर बदल देते तो संशोधन कहां होता ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

नया नाम बदल देते।

श्री बलवान सिंह--

मान्यवर, सन 47 से आज तक आपकी हूकूमत रही, मगर यह पुरानी अंग्रेजी शब्दावली को नहीं बदल पाये। किसान इस शब्दावली को क्या समझेगा ?

आपने बताया कि पहले गांव सभा तथा ब्लाक आदि के कारण काफी समय लग जाता था जमीन एक्वायर करने में और उसके कारण रचनात्मक कामों में देरी होती थी, इसलिये अब इस काम को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। यह अच्छी चीज है पानी के काम को आप अपने हाथ में ले रहे है, लेकिन इस ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो छोटे-छोटे काश्तकार है ज्यादातर जिनके पास एक या दो बीघे जमीन है ऐसे काश्तकार लगभग 70 फीसदी हैं। इन लोगों की जमीन ले ली जाती है। छोटी छोटी नहरों और छोटे छोटे गूलों के अन्दर इनकी जमीन पड़ जाती है तो मेरा कहना है कि इन लोगों को आप क्या दे रहे है। आप एक्वीजीशन कर लेते है, कम्पेनसेशन इतना कम देते हैं। दूसरे सूबों के मुकाबले में वह एक तिहाई होता है तो मैं आपसे कहता हूं कि जनहित में जो जमीन ले रहे है, लारजर इन्टरेस्ट में आप जो जमीन ले रहे हैं उनका उचित मुआवजा दीजिये।

खासतौर से देवरिया, गोरखपुर में रामगंगा कैनाल प्रोजेक्ट के लिये आप जमीन ले रहे हैं। आप के हाथ में ताकत आ जायेगी और आप इस ताकत का दुरुपयोग करेंगे। कानपुर में हजारों एकड़ जमीन एक नहर के सिलसिले में ली गयी है। श्रीमन् 10 साल से खुदी हुयी पड़ी है। शायद करोड़ों रुपये उसकी खुदाई में खर्च हो जायेंगे। लाखों मन गल्ले का नुकसान हुआ होगा लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं है। अंग्रेजी सरकार पहले पानी का इंतजाम करती थी तब वह नहर खुदवाती थी लेकिन हमारे ये दोस्त पहले नहर को खुदवाते हैं और उसके बाद पानी का इंतजाम करते हैं। आपने देखा कि कानपुर में हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन बरबाद हुयी है। और जिनकी जमीन बरबाद हुई है ज्यादातर उनमें सब छोटे-छोटे किसान थे।

आपके पानी का दुरुपयोग हो रहा है। आपकी जो क्षमता है उसका काफी बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। आपका ही कहना है कि 40 फीसदी बेकार चला जाता है। आज लाखों एकड़ जमीन सूखी पड़ी हुयी है। जब पानी की जरूरत होती है तब पानी नहरों में नहीं आता है और जब पानी की जरूरत नहीं होती है तब पानी नहरों में बेकार जाया करता है। तो आप पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल कीजिये। आज यह निश्चित नहीं है कि आप

पानी नहरों में कब देंगे। किसान को पता नहीं चलता है कि नहरों में पानी कब आयेगा। आप का कोई टाइम सेड्यूल नहीं है। आप किसान को बताइये कि पानी कब आयेगा आप अखबारों में निकालिये कि पानी कब देंगे जिससे किसान उसका सदुपयोग कर सके।

आपका कैनाल मैनुअल प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक देश के लिये उचित नहीं है। विरोधी दल का उद्देश्य केवल यही है कि आप इसमें आवश्यक संशोधन कीजिये। देवरिया जैसे जिले में ज्यादा से ज्यादा कम्पेंसेशन दीजिये। यह मेरा संशोधन है। आपकी 2 हजार किलोमीटर लम्बी नहर की योजनायें हैं, इतनी लम्बी योजना पर करोड़ों रुपये खर्च होगा। लेकिन आज चारों तरफ जो पानी यू0 पी0 का है, हमारे पानी जो दूसरे सूबों के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं है। इस तरह से हमारे पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

ट्यूबवेल के जरिये से आप नहरों में पानी डाल रहे हैं। इस पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। इन नहरों की कम से कम उपयोगिता तो है, परन्तु पानी देने के लिये किसानों को गारन्टी देना चाहिये। सरकार अपने हाथ में ताकतें और लिये जाने की बात करती है तो मेरा कहना है कि आप जो जमीन लेना चाहते है तो ले लें परन्तु काश्तकारों का हित ज्यादा से ज्यादा हो।

श्री ऊदल--

जहां तक माननीय मंत्री जी ने बताया है कि गूलों की आवश्यकता है जिससे किसानों तक पानी पहुंचे। तो यह बात सही है लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शारदा नहर का जो जिक्र किया है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि शारदा सहायक नहर की पुरी योजना से मंत्री जी परिचित नहीं है। शारदा सहायक की नहर जौनपुर जिले से होते हुये हमारे क्षेत्र से तथा माननीय प्रभू नारायण सिंह के क्षेत्र से होकर गुजरती। यहां पर कुछ सदस्य प्रतापगढ़ जिले के भी है तो उनको मालुम होगा कि उनके जिले में जब से नहर बनी तब से आज तक पानी नहीं गया और हजारों एकड़ जमीन आपने किसानों की ले ली। किसान आपकी दया पर निर्भर है क्योंकि यदि वे पाटेंगे तो आप उनको गिरफ्तार करेंगे। वह अदालत में भी नहीं जा सकता है। सारे अधिकार किसानों के सरकार ने ले लिये। क्या सरकार और लोगों के संबंध में भी अदालत या हाई कोर्ट के अधिकार लना चाहती है।

इसी प्रकार सबेरे एक प्रश्न में आया कि जिला मिर्जापुर में एक सड़क बिल्ड़म गंज को सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनीं और मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि किसान अपनी जमींन स्वेच्छा से दे दिये ह। लेकिन उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला क्योंकि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की कार्यवाही नहीं हुई है। उनको भी जाने दिया जाय। दूसरी बात यह है कि इसी प्रकार मिर्जापुर से गाजीपुर तक जो चालू सड़क है उसका अभी तक राष्ट्रीय-करण नहीं हुआ है क्योंकि उसका मामला हाई कोर्ट में लटका पड़ा है। इस प्रकार आपकी वहां नहीं चल पा रही है। परन्तु आपकी चलेगी गरीब किसानों के ऊपर। यही नहीं गरीब किसानों को मुआवजा भी दो तरीके से देंगें। सन् 1873 के कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं। इसको देखकर मान्यवर मुझे बड़ा दुख होता है। तो मान्यवर मैं सीधी बात कहना चाहता हूं कि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो यदि सीधे-सीधे इसके बारे में कानून बना दिया जाय संशोधन करने की क्या बात है। 100 वर्ष पहले का यह कानून है और इसमें आप रोज-रोज कुछ न कुछ चकती लगाते रहेंगे।

मान्यवर दूसरी चीज देखें। 1894 का ऐक्ट जो एक्वीजीशन का है वह अंग्रेजों ने बनाया था। मान्यवर, आप विचार करें कि उसमें कितना मुआवजा रखा हुआ है और उस मुताबिक लिखते हैं कि किसानों से योजनाओं का क्रियान्वित करने के लिये भूमि का अर्जन

[श्री ऊदल]

करना होगा तो 1894 ऐक्ट के अन्तर्गत करेंगे। इधर तो आप 1894 ऐक्ट का हवाला दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपने स्टाम्प डयूटी पर पर बोलते हुये कहा कि जमींन की कीमत 5 गुना बढ़ गई है इसलिये रजिस्ट्रेशन में राज्य सरकार को अधिक आमदनी होगी। जब जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई है लेकिन आप मुआवजा 1894 के मुताबिक देना चाहते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं लेकिन यह सरकार सुनती नहीं है।

हमारे यहां लोकोमोटिव का कारखाना है। जब उसकी जमीन को एक्वायर करने का सवाल आया उस समय बाबू संपूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे और माननीय नारायण दत्त तिवारी भी सदन के सदस्य थे। उसके लिये हजारों एकड़ जमीन ली गई। आपको मालूम है कि रेट क्या था वही 1894 के ऐक्ट के मुताबिक 200 रु0 एकड़। वहां के किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया। बाबू जगजीवन राम उस समय रेल मंत्री थे, मैं उनसे मिलने के लिये गया। उस समय आचार्य जुगुल किशोर जी शिक्षा मंत्री थे वह भी पहुंच गये। जब मैंने कहा कि बाबू जी आप 200 रुपया एकड़ के हिसाब से किसानों को कैसे मुआवजा देकर जमीन लेंगे जब कि पड़ोस में 5 हजार एकड़ जमीन लोग बेंच रहे हैं। तो बाबू जगजीवन राम ने आचार्य जुगुल किशोर की तरफ इशारा करके कहा, इन्हीं से पूछिये। यह काम तो स्टेट गवर्नमेन्ट का है। उन्होंने जितना मुआवजा देने को कहा रेल मंत्रालय ने दे दिया। हमारा क्या कसूर है क्योंकि लैन्ड एक्वीजीशन का काम तो उन्हीं का है। नतीजा यह हुआ कि मामला हाई कोर्ट में गया और 200 रुपये एकड़ के बजाय 5 हजार और 6 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से किसानों को मिला। मारकेट रेट पर। इसलिये आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गूलों का बनना भी जरूरी है, पानी का पहुंचना भी जरूरी लेकिन है, इस तरह के ऐक्ट पास करिये जिससे किसानों का भी भला हो।

मैं माननीय राज मंगल पांडेय से कह रहा हूं कि उनके यहां भी 2–1 परसेंट को छोड़कर बाकी सब छोटे किसान होंगे। आप उन्हीं को मारने के लिये गंडक योजना, शारदा सहायक योजना ला रहे हैं। योजना आपकी ठीक है, पानी लाइये, गूलें बनाइये, लेकिन कम से कम ये अधिकार तो दीजिये कि जिसकी जमीन आप ले रहें हैं चाहे आप समझौते से लें या कानून से कम से कम बाजार दर पर तो मुआवजा दीजिये। मान्यवर, आपके यहां से भी होती हुई यह नहर गई है, मैं भी उस रास्ते पर गया हू लकिन शायद साल भर में उसमें एक बार पानी आता हो। चोलापुर माइनर, शिवपुर माइनर में तो पानी पहुंचा ही नहीं है। आप जो योजना बना रहे हैं ठीक है लेकिन आप 1894 की ओर जो संशोधन आप कर रहे हैं 1873, में उसको खत्म कर दीजिये।

लेकिन उसको खत्म करके सिम्पिल और सीधा सादा ऐसा कानून बना दें ताकि हमारे प्रदेश के किसानों की समझ में आ जाय और यह गारंटी दे दें कि जिनकी जमीन लेंगे उनको कम से कम बाजार की दर से मुआवजा देंगे और कानून देंगे और सही टाइम पर जब तक किसानों को पानी की आवश्यकता होगी उनको पानी पहुंच जायगा। श्रीमन्, मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन यह संशोधन विधेयक बड़ा डिफेक्टिव है। इससे सरकार के हाथ में इतनी सत्ता आ जायगी कि प्रदेश का गरीब किस न मरेगा जिस तरह से कि मिर्जापुर का किसान आज भी मुआवजे के लिये तरस रहा है जिसकी जमींन सड़क में ले ली गई थी।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)––

अगर थोड़ी सी मेरी बात विरोधी पक्ष के सदस्य सुन लें तो शायद फिर विवाद की बात न रह जाय। हर सदस्य गरीबों की बात करता है। लेकिन जब गरीबों के हित के लिये ऐक्ट में परिवर्तन की बात हम करते है तो ऐसी ऐसी आशंकाएं प्रस्तुत की जाती है कि सारे उद्देश्य को ही खत्म कर देते हैं। ऊदल जी से मैं कहूंगा कि मेरे साथ वह देवरिया चलें। सन् 73–74 में यह हुआ कि एक लाख एकड़ जमीन खींची जायगी लेकिन वहां पर मुश्किल से 10

हजार एकड़ जमीन ही सींची गयी। लोगों ने बीच में पानी को अपने खेत में काटा तो पन्द्रह सोलह मील तक मालूम होता था जैसे बाढ़ आ गयी। डेढ़ डेढ़ फीट पानी भर गया। गेहूं में दाने न पड़ सके। जहां एक लाख की सिंचाई प्रस्तावित थी वहां दस हजार एकड़ जमीन ही सींची जा सकी। अगले साल दो लाख एकड़ का लक्ष्य है। हमने सोचा कि समय से चीजें न कर सके क्योंकि खाद्य समस्या भी भीषण समस्या है तो नियमों में ही कुछ परिवर्तन कर दें। इसलिए 30–ए से 30–सी की बात की गई। अगर ऐसा न करते तो रबी की फसल तो गयी ही खरीफ के लिये भी समस्या हो जाती।

यह बात सही है कि मुआवजे के बारे में कहीं कहीं दिक्कतें आयी हैं। हम तो कमोबेश मुआवजा देते भी है लेकिन ऊदल जी जो मुआवजे की बात करते हैं तो जहां उनकी थ्योरी है वहां बगैर मुआवजे के जमीन ले ली गयी। उन्होंने कहा कि तिवारी जी ने स्टाम्प ड्यटी पर बोलते हुए जमीन की कीमत बढ़ाने की बात कही। सही है लेकिन आज काश्तकार मुआवजे के लिये इतना परेशान नहीं है जितना कि वह पानी पीने के लिये परेशान है। वह इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह गूल बन जाय। आज हम उसको पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें मुआवजे की या गांव सभा की या लैण्ड एक्वीजीशन की बात लाकर बिलम्ब करने की प्रक्रिया अपनाई जायगी तो इसका सारा उद्देश्य ही मिट जायगा। हमने इसको इसीलिये रखा है कि पानी की बरबादी रोकी जाय और गूलों का निर्माण करा सकें।

*श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को और सदन के अन्य साथियों को यह बतलाना चाहता हूं, क्योंकि देवरिया जिले के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने और परिवहन मंत्री जी ने अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त अभी दो सप्ताह पूर्व देवरिया गये थे। उन्होंने गण्डक नहर में अधिकाधिक सिंचाई के लिये नहर का निर्माण हो, इस संबंध में उन्होंने सिंचाई विभाग के लोगों से बातें की बात ठीक है। यह चीज पवित्र है कि भविष्य में गूलों का निर्माण होना चाहिये, लेकिन इसमें जो कठिनाइयां निहित हैं उनकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज नहर बनने पर भी पम्पिंग सेट्स चल रहे हैं। लोग पम्पिंग सेट्स स सिंचाई कर रहे हैं। माइनर से ड्रेनेज इसलिये निकाली जाती है, क्योंकि जो पानी सिंचाई से बचता है, उसको पास की किसी नदी या तालाब में डाल दिया जाय। लेकिन यह नहीं किया गया। 2 मील दूर झरही नदी से मिलाया जा रहा है, जिससे कि पंचपेड़ा गांव डूब जायेगा और वहां के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

मुआवजे के संबंध में पिछले सत्र में एक विधेयक पारित किया गया था कि किसानों को जल्द से जल्द, जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गयी है, मुआवजा दे दिया जायेगा। लेकिन 25 हजार तक जिलाधिकारी 6 महीने में दो-तिहाई और 75 हजार तक मण्डल आयुक्त और उससे ऊपर रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार दिया गया है। आप गायघाट की ही बात ले लें। सारे किसान वहां के रो रहे हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। जो मिला भी है, वह हास्यास्पद। हरैया और हरया बुजुर्ग के किसान रो रहे हैं। उनकी फसल काट दी गयी है, लहलहाते धान कटहल और लीची के बाग काट दिये गये हैं। लेकिन मुआवजा नाममात्र के लिय दिया गया। इस प्रकार जले पर नमक छिड़का गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम]

कुदौता माइनर के पास कार्य हो रहा है। उसके पास एक बिरहच गांव है। वहां के सरपंच ने बताया कि वहां जो पुल बन रहा ह, वह एक तरफ से बन रहा है और दूसरी तरफ से ढ़ह रहा है। उसमें सीमेंट और बालू में 1.18 का अनुपात है। मैंने इस चीज को लेकर उस सरपंच के साथ वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से मिला तो वह कहने लगे कि इसके लिये निश्चित धनराशि जमा करनी पड़गी, तब उसका रासायनिक परीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह का वहां नाटक चल रहा है। एक पटरडेरा गांव है, जो पहले परिवहन मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र था। वहां के किसान रो रहे हैं और कहते हैं कि हम डूब जायेंगे, वह नहर नहीं कहर है। तो यह बरदान, लेकिन आपने इसको अभिशाप बना दिया है।

लोग अपने खेतों की फसल नहीं ला सकते है, पुल इस तरह से गलत ढंग से बनाये गये हैं कि डेढ़-डेढ़ मील दूर से घमकर आना पड़ता है। आपके साइफन ठीक नहीं है, जलस्तर ठीक नहीं है, पुल ठीक नहीं है। मुआवजे में भी घुटाला है। वहां पर 70 प्रतिशत ऐसे केसेज है, जहां पर मुआवजे के मामले में घटाला है। और 50 प्रतिशत से कम ऐसे केसेज नहीं है जिनमें किसी का मुआविजा कोई ले गया और पूछने वाला कोई नहीं। एक बनवारी राम हैं हजारों आरोप उनके विरुद्ध हैं लेकिन इस सरकार ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया। पता नहीं कौन सा राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है कि यह सरकार उनके विरुद्ध कुछ भी कर सकने में असमर्थ है जब कि हजारों किसानों की जमीन का मुआविजा वह ले गये और किसान वहां त्राहि त्राहि कर रहा है।

सरकार पुलों का निर्माण करे लेकिन मुआविजे की धनराशि निर्धारित कर दे। कहने को तो यह है कि पुलों में थोड़ी सी जमीन आयेगी लेकिन उस थोड़ी सी जमीन की 8 गुनी ली जाती है। इन किसानों के साथ न्याय होना चाहिये। मैं एक उदाहरण दे दूं। एक बलकुड़िया ताल है। कई हजार एकड़ का ताल है। धान की अच्छी फसल होती है। देश के शायद किसी इलाके में इतनी अच्छी धान की फसल होती हो लेकिन पारसाल की बात है धान की फसल नष्ट हो गयी। मठिया माइनर ठीक से तैयार नहीं था। एक आदमी ने उसे रोक दिया, नहर तैयार नहीं हुई, पानी छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि बलकुड़िया ताल के विशाल भूखंड में एक दाना भी धान नहीं उग सका। लोगों ने मुआविजे की मांग की तो सिंचाई विभाग ने उन पर पानी का टैक्स लगा दिया और उनकी कुर्की हो रही है, नीलामी हो रही है। इस तरह का जुल्म व अत्याचार हो रहा है। हजारों एकड़ फसल इस तरह से वहां नष्ट होने की स्थिति पैदा हो गयी है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुये यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो एक महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे और तब यह विधयक यहां लाया जाय।

*श्री त्रिवेणी सहाय---

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्तर्गत सेक्शन 30 के उप सेक्शंस में जो प्राविजन्स थे उनमें माननीय मंत्री जी ने मिनिमाइज करके जो लोग बनाने वाले हैं उनको ऐसे अधिकार दे दिये जिनका आगे चल कर बहुत भयंकर परिणाम निकलने वाला है। जहां तक मुआविज का प्रश्न है उसका तहसील में रेट फिक्स है जो बहुत पुराना रेट है। सरकार जब किसी चीज को एक्वायर करती है तो उसका कम्पेनसेशन देती है लेकिन आज तो हर चीज के दाम बढ़ते जाते हैं चाहे वह खेती की जमीन हो उसे जमीन की कीमत भी पहले की अपेक्षा आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इसीलिये उसी के अनुसार उस जमीन का मूल्य भी होना चाहिये। मेरा मूल विषय यही है। आज तहसीलों में मुआवजा देने के बहुत पुराने रिकार्ड पड़े हुये हैं। हम सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से सदन में मांग करते हैं कि आप जमीन के रेट को तय करो किन्तु न तो आपके पास कोई नियम है, न कोई फारमूला है आंख मूंदकर उस जमीन का मुआवजा लेखपाल और कानूनगो लगाये चले जाते हैं। जो जमीन दो हजार रुपये में मिलती हो उसकी कीमत ये लोग ढ़ाई सौ तीन सौ रुपया लगाते हैं। मैंने कल भी यही निवेदन किया था कि आज इस तरह का कुठाराघात किसानों के ऊपर हो रहा है.....।

श्री बलवान सिंह---

माननीय राजमंगल पांडेय जी बोले किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि कम्पेनसेशन कितना होगा। मार्केट वैल्यू पर देंगे या....

श्री अध्यक्ष---

माननीय राज मंगल पान्डेय जी ने तो दखल दिया है। उत्तर तो माननीय वित्त मंत्री देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय---

आज माननीय मंत्री जी बहुमत में हैं और उसी का उनको घमन्ड है। उससे चाहे वे जो पास करा ल। लेकिन यह गलत बात है। प्रदेश की जनता को कोई कष्ट न हो इस बात को दृष्टि में रखत हुये आज आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि जो जमीन दो हजार किलोमीटर की गूल बनाने के लिये ली जायेगी उसमें किसानों की जमीन का पूरा और वास्तविक मुआवजा दिलाया जायगा। ऐसा न हो कि किसान दरख्वास्तें देता फिरे और उसे कोई मुआवजा न मिले और ऐसा भी न हो, जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जमीन किसी की ली जाय और मुआवजा किसी को दिया जाय। ऐसा विधेयक यहां पर आज तक नहीं आया जिसमें यह प्राविधान हो कि किसानों को उनकी ली गई जमीन का वास्तविक मुआवजा दिया जायेगा उसके मुताबिक आप मुआवजा उनको दे सकें। ऐसा विधेयक आप लाते तो उस पर विचार हो सकता है। एक ओर आप कहते ह कि मोटर नहीं खरीदेंगे 'पेट्रोल खर्च नहीं करेंगे और दूसरी ओर 2 हजार किलोमीटर गूल के लिये आप परमीशन लेना चाहते हैं ताकि किसान कोई आब्जक्शन न कर सके, और गूल बनाकर बैठ जायं। मैं आपसे कहता हूं कि जो भी विधयक आप यहां पर लायें उसे सोच समझ कर लायें। इसीलिये मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये संशोधन प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्य इसको मानें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं माननीय सदस्य गोंडा की कार्य-तत्परता और विचारों की कट्टरता का आदर करता हूं। व निरन्तर इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि चाह कोई कारण हो या न हो, उसकी अपक्षा हो या न हो, प्रत्यक विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि व मेर साथ दवरिया जिले में चल....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मेरा निवेदन यह है कि यह आषाढ़ का महीना है और इस महीने में गूलों का निर्माण नहीं करना चाहिये। जब वक्त था तब तो आप सोचते नहीं हैं। एक तो बाढ़ को रोकन में और दुसर निर्माण कार्य में। बहुत पहल उसको इस निर्माण कार्य को कराना चाहिय था, इस वक्त नहीं। इस वक्त तो खेती की बुवाई हो चुकी है। इस समय होन स किसान को क्षति होगी और वह बहुत बलवा करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह मेरे पुराने मित्र हैं, इस समय मैं यही सूचित करना चाहूंगा कि इस समय यह नहीं हो रहा है। इस का काम तो हफ्तों पहले से शुरू हो चुका है और बहुत जगह तो यह समाप्त भी होने वाला होगा। समय से गल्स बना दिये जायं, इसीलिये आर्डीनेन्स निकाला गया। यह कार्य इस समय तेजी से चल रहा है। जितनी यह सदन तेजी चाहता है, उतनी तेजी से कार्य हो, सिंचाई की क्षमता जो बनाई गई है वह उपलब्ध हो, यही मेरा प्रयास है। मुआवजे आदि का जो प्रश्न है, पहले से ही इसमें लिखा हुआ है, सब वही कायम है। यदि मेरे माननीय सदस्य गोंडा ने कृपा करके वित्तीय ज्ञापन को पढ़ा होता तो स्पष्ट हो जाता उन्हें, इसमें लिखा हुआ है---'इस विधेयक के प्राविधानों से वर्तमान प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी, किन्तु व्यय के जो विद्यमान प्राविधान हैं, वही बने रहेंगे। तो इसमें केवल तेजी लाने की इस समय बात है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

हमारे पास विधेयक में वित्तीय ज्ञापन है ही नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

केवल तेजी से प्रक्रिया हो सके, इसकी अपेक्षा की गई है। मैं आग्रह करूंगा कि कार्य के हित में तेजी लाने के लिये केवल दो करोड़ रुपये की अपेक्षा की है।

श्री बलवान सिंह---

उन्हें इस समय इसमें मार्केट वैल्यू पर दें, इतना तो आप कम से कम कह दें। इसके अन्दर इतना और जोड़ दें कि काम में तेजी आये, हम इस कार्य को जल्दी कर सकें और जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यु से मिल।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसके बारे में आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं। नियम पहले ही परिवर्तित किये जा चुके हैं। इस विषय में मुख्य मंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। इसका एक अधिकारी होता है, वह मुआवजा तय करता है। मुआवजा यहां से हम और आप तय नहीं करते हैं।

श्री बलवान सिंह---

किस बुनियाद पर तय करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इस सम्बन्ध में सन् 1894 का जो नियम है, उसमें बहुत कम मुआविजे का प्राविधान है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मुआवजे के सम्बन्ध में आदेश बहुत पहले निकल चुके हैं, उसी का अनुपालन होगा। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं आग्रह करूंगा कि इसको पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इन्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐण्ड डेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

नार्दर्न इण्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 का अग्रेतर संशोधन करने लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

1873 के ऐक्ट संख्या 8 में नई धारा 30-ई ई का बढ़ाया जाना

2—नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873, जैसा उसे उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में संशोधित किया गया है, की धारा 30-ई के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्—

बृहत सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में विशेष उपबन्ध ।

"30-ई-ई—(1) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो गण्डक, शारदा सहायक या रामगंगा सिंचाई परियोजना अथवा राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य बृहत् परियोजना के कमाण्ड के अन्तर्गत हो सिंचाई प्रभाग का प्रभागीय नहर अधिकारी एक योजना तैयार कर सकेगा जिसमें धारा 30-ए में निर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी और तदुपरान्त वह ऐसी सभी कार्यवाही कर सकेगा जो योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों और योजना के अनुसार जलसरणी तथा उससे सम्बद्ध सभी संकर्म सन्निर्मित और कार्यान्वित करायेगा और ऐसी योजना के सम्बन्ध में धारा 30-बी, 30-सी, 30-डी और 30-ई की कोई बात लागू नहीं होगी ।

(2) उपधारा 1 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभागीय नहर अधिकारी;—

(क) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित किसी भूमि का अधिकरण करने हेतु संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) ऐक्ट, 1948 ई0 के अधीन अधिकृत करने वाले अधिकारी से आवेदन कर सकेगा ; या

(ख) योजना कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित किसी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करने के लिये राज्य सरकार को समावेदन कर सकेगा; या

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) दोनों के अधीन अर्थात् प्रथमतः भूमि अधिकृत किये जाने की और तत्पश्चात् अर्जित कराने की कार्यवाही कर सकेगा ।

(3) प्रभागीय नहर अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों को किसी उप प्रभागीय नहर अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन तैयार की गयी योजना और ऐसी योजना के अन्तर्गत सन्निर्मित जलसरणी तथा अन्य संकर्म के सम्बन्ध में धारा 30-एफ, 30-जी, और 36-ए के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 30-ए, 30-बी, 30-सी, 30-डी, और 30-ई में निर्दिष्ट किसी योजना और उसके अनुसार सन्निर्मित जलसरिणों तथा अन्य संकर्मों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, 1974।

निरसन तथा अपवाद

3—(1) नार्दर्न इन्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गयी बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 और खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग लाने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी कराधान संशोधन विधेयक 1974†

परिवहन मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह कोई विवादास्पद विषय नहीं है। केवल जो समय की सीमा निर्धारित की गयी थी अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग थी। हमारे यहां एक हफ्ते, पंजाब में तीन महीने में कर की वसूली होती थी। कई जगह एक महीने में होती थी। लिहाजा ट्रांस्पोर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी ने 1971 में एक सम्मेलन करके निश्चय किया कि एक रुपया लाने के लिये हर जगह दो हफ्ते का पीरियड कर दिया जाय ताकि यूनिफार्मिटी जाने से इंटरस्टेट गाड़ियां कर जमा कर सकें, सब को पता चल सके कि कहां-कहां कितना कर जमा होगा।

---

†10 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष जी, में अपना संशोधन आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 जो सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे। श्रीमन्, यह विधेयक इस बात से संबंधित है कि जो बाहर से गाड़ियां उत्तर प्रदेशमें आयें उनको कर देना होगा। पुराना ऐक्ट जो संयुक्त प्रांत मोटर-गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 था उसकी धारा 5-ए का उद्धरण दिया हुआ है।इसमें यह है--"वैहिकिल्स नाट टु बी यूज्ड विधाउट पेमेंट आफ टैक्स"। 5-ए में दो क्लाज हैं, जिनमें कुछ टैक्स पड़ेगा। उसके लिये शेडयूल बना हुआ है। रेट के 1/52 के हिसाब से टैक्स लिया जायगा। यहां उधर के लोग चूक गये। आपकी मंशा है कि पैसा लिया जाय। जबदेश की जनता से पैसा लेना चाहते हो तब आप तो कोई विचार नहीं करते हैं, मनमाने ढंग से जो पैसा चाहा बढ़ाया एक्साइज ड्यूटी में, डीजल में, स्टाम्प ड्यूटी में हमने देख लिया। लेकिन जब बाहर के लोगों से पैसा वसूल करना था और बाहर की गाड़ियां जो उत्तर प्रदेश में आयें उनसे टैक्स कितना लिया जाय इस पर विचार करेंगे, तब आपकी विकास परिषद् का दिवालियापन हो गया। आपने दो हफ्तों के लिये कर लिया। कौन सा आधार था ? किस आधार पर तय किया ? वह आधार तय करना चाहिये। जब बाहर से गाड़ियां आए तो उनसे अच्छा टैक्स लेना चाहिये। आपने कह दिया कि विकास परिषद् ने बैठकर विचार कर लिया और दो हफ्ते कर लिया। उससे अच्छा टैक्स मिल सकता है। उनके लिये एक महीना कर सकते है, कोई भी गाड़ी आयेगी तो एक महीने का टैक्स अदा करना पड़ेगा। आपने दो हफ्ते कर दिया है। (व्यवधान) जहां तक मेरी समझ में आया है, बाहर की गाड़ियों को यहां कर देना होगा। अब तक वह सात दिन के लिये कोई परमिट इश्यू होता है तो सात दिन के लिये टैक्स जमा करना चाहिये। उसको बढ़ाकर आपने 15 दिन कर दिया है। जब बाहर की गाड़ियां आये उनसे अच्छा टैक्स लेना चाहिये। इसलिये इस पर विचार होना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

मान्यवर, मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि इसका क्या है।

श्री अध्यक्ष--

वह बाद में करेंगे।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, हमारे यहां यह था कि जो हमारे यहां दूसरे सूबों की गाड़ियों आती थी उनसे एक हफ्ते कर का लिया जाता था। लेकिन पंजाब से हमारी गाड़ियां जाती थीं तो उनसे तीन महीने का टैक्स लिया जाता था। एक ट्रांसपोर्ट अथोरिटी है उसने अपना निर्णय दिया है कि यह बड़ी गलत चीज है कि कहीं एक महीने का लिया जाय, कहीं दो हफ्ते का लिया जाय और कहीं एक हफ्ते कर लिया जाय। इसलिये एकरूपता लाने के लिये दो हफ्ते का कर लिया। यह हम अपने यहां करने जा रहे हैं। यह नहीं होगा कि कोई गाड़ी दो दिन रहे और उससे दो हफ्ते का कर ले लिया जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी बता दें कि कौन सी स्टेट्स में यह लागू किया गया है।

श्री राजमंगल पांडेय--

यह तो ट्रांसपोर्ट अथोरिटी ने निर्णय लिया है। इसीलिये हम इसमें संशोधन कर रहे हैं कि हम अपने यहां दो हफ्ते का टैक्स लें। इसी प्रकार से पंजाब और हरियाना करेगा। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)---

क्या हमारी सरकार इसमें पहल कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य इसको वापस ले रहें हैं या नहीं ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

एकरूपता लाने के लिये जब आपने यह किया है तो हम को समझा देते कि कहां कहां यह है और कब से लागू होगा ।

श्री राजमंगल पांडेय---

जैसे हमने दो हफ्ते का कर लिया है तो यह हमारे यहां लागू हो गया है । इसी तरह से पंजाब और हरियाना कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष एक माह में प्रस्तुत कर दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1935 की धारा 5-ए का संशोधन ।

2---संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में, धारा 1-ए में उपधारा (2) में, शब्द "एक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के लिए" के स्थान पर 5 शब्द "प्रत्येक दो सप्ताह अथवा उसके भाग के लिये" रख दिये जायं, और शब्द "एक बटा बावन' के स्थान पर शब्द "एक बटा छब्बीस ' रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत एक श्री रामसेवक यादव, श्री मधुकर दिघे, श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री बेनी प्रसाद का झांसी में पीने का पानी का संकट जो नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया है। शेष अस्वीकृत कर दिये हैं।

अब हम उठते हैं। 18 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 51 मिनट पर मंगलवार 18 जून, 1974 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
12 जून, 1974।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 540 पर)

मार्ग का पहला भाग-आसन डीह पोखरा बमनी

स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	कार्य की प्रगति मार्च, 1974
1 14 कि0मी0	12.43 लाख रुपये	मिट्टी कार्य 13.5 कि0 मी0
		पुल तथा पुलिया 9.5 कि0 मी0
		सीलिंग एकत्रीकरण 14.0 कि0 मी0
		सीलिंग कुटाई 12.5 कि0 मी0
		टापकोट एकत्रीकरण 13.5 कि0 मी0
		टापकोट कुटाई 9.5 कि0 मी0
		पेंटिंग 3.0 कि0 मी0

मार्च, 1974 तक 11.24 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं और इस भाग का निर्माण कार्य मई, 1973 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

मार्ग का दूसरा भाग-बमनी-चपको बीजपुर

36.58 कि0मी0	30.72 लाख रुपये	मिट्टी का कार्य 30.5 कि0 मी0
		पुल तथा पुलिया 26.00 कि0 मी0
		सोलिंग एकत्रीकरण 34.5 कि0 मी0
		सीलिंग कुटाई 23.4 कि0 मी0
		टापकोट एकत्रीकरण 31.5 कि0 मी0
		टापकोट कुटाई 8.0 कि0 मी0
		पेंटिंग शून्य कि0 मी0

इस भाग पर मार्च, 1974 तक 20.71 लाख रुपये, व्यय हो चुके और इस भाग का निर्माण कार्यमई 1975 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

इन दोनों भागों पर अब 11.20 लाख रुपये का कार्य बाकी है ।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 546 पर)

नलकूप लगाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित 28 ग्रामों सर्वेक्षण कराया जा चुका है:

1—दलहपट्टी,
2—गंहिया,
3—चन्द्रलउड्डिया,
4—कमासिन,
5—हरिसिंहपुर,
6—सौली,
7—सवेसर—2
8—दमोदर पुर,
9—लछिरामपुर,
10—हरदरा,
11—काटाडूंडी,
12—पतकलियां,
13—सम्मौली,
14—ऐबकपुर मोहवा,
15—रामपुर,
16—नकहरा,
17—गरसर,
18—सिकरा,
19—तेलियानी,
20—रेपुरी,
21—मुखरिया,
22—चिरौरापाण्डेय,
23—नौतीकहरवार,
24—खैरा,
25—पिकुराडाङ
26—मैंटोली
27—दिलमन देवरिया,
28—मसारी,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 60 वि० सभा—(1013)—1974—835.